ISBN: 978-81-966567-2-0

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-6
बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा
Child Develpoment, Protection and Education

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)
Bachelor of Social Work (Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

ISBN: 978-81-966567-2-0

मॉड्यूल–6 : बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा
Child Develpoment, Protection and Education

अवधारणा एवं रूपरेखा : **द्वितीय संस्करण 2016**

श्री बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
श्री जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
श्रीमती अलका उपाध्याय, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शनः

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्शः

डॉ. अरुण गोपाल
डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
डॉ. वीणा घाणेकर, आई.ए.एस., वरिष्ठ सलाहकार
जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

लेखक मण्डलः

डॉ अरुण गोपाल, पूर्व निदेषक, निपसिड
संध्या व्यास, आई.सी.डी.एस.
डॉ. अनीता जोशी, आई.सी.डी.एस.
श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ, संकाय सदस्य
श्रीमती उषा जोषी, प्रषिक्षक (स्कूल पूर्व षिक्षा), बाल निकेतन संघ
कु. अर्चना शर्मा, रीजनल मैनेजर, ISSNIP
डॉ. शीतल नागपाल, प्राध्यापक, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली

वेटिंग मण्डल :

डॉ. राजनिधि सिंह, प्राध्यापक
डॉ. विनोद षंकर सिंह
ई.. अष्विनी दुग्गल
डॉ. नन्दलाल मिश्र
डॉ. कुसुम सिंह

रेखांकन :

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी एवं श्री लिंगेश

मुद्रक एवं प्रकाशक :

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्कः

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई–मेल–cmcldpcourse@gmail.com, फोन– 07670265622
श्री आर.के. मिश्रा, एम.पी. टास्ट, वात्सल्य भवन, भोपाल
ई–मेल–rkmishra@gmail.com, मोबाइल–9425171972

कॉपीराइटः –महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति आभार।

ISBN: 978-81-966567-2-0

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व) मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

सैद्धांतिक विषयों की कडी में यह छठवां माड्यूल/प्रश्न पत्र है। शीर्षक है **बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा** इस खण्ड में हम बाल विकास, सुरखा एवं शिक्षा से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी देंगे।

इस माड्यूल को पढने के बाद आप यह समझ पायेगे कि गर्भधान से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति कितनी तेज होती है। यह अवधि विकास और सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंती है तथा अगर बच्चे को सीखने के उचित औसर तथा वातावरण न प्राप्त करवाया जाये तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस समय जीवन के बाद के वर्षो के विकास की नीव है। अतः इसके प्रभाव दीर्घकालिक होते है। विकास के वल आहार या मशीनी कार्य नहीं बल्कि स्नेह की उष्मा और सीखने के अवसरों के साथ उभरी स्वस्थ वातावरण से सम्पूर्ण बेहतरी की भावना है। इा माड्यूल में आप बच्चों की आवश्यकताओं तथा उनके विकास को गति प्रदान करने के लिए उत्प्रेरण एवं गतिविधियों की महत्वतां के बारे में भी जान पायेंगे। इस पाठ्यक्रम में आप बालको की देखभाल एवं सुरक्षा की अवधारणा के साथ–साथ बाल अधिकारो के बारे में तथा इससे संबंधित कानूनों के बारे में समझ विकसित कर पायेंगे।

विश्वास है कि जानकारी और प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन–पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

ISBN: 978-81-966567-2-0

प्रश्नपत्र/मॉड्यूल–6

बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा

6.1	**बाल विकास– अर्थ सिद्वान्त एवं गर्भावस्था में शिशु का विकास**	**5–39**
6.1.1	विकास में बुनियादी अवधारणाएं	5
6.1.2	विकास के आयाम	12
6.1.3	वृद्धि व विकास और इसे संचालित करने वाले सिद्धांत	15
6.1.4	विकास में विशिष्ट अवधि	19
6.1.5	बाल विकास के आधार और वातावरण का विकास पर प्रभाव	25
6.1.6	जन्म के पूर्व विकास	30
6.2	**शैशवावस्था एवं आरम्भिक बाल्यावस्था के दौरान विकास**	**40–84**
6.2.1	प्रथम तीन वर्षो के दौरान बालक का विकास	40
6.2.2	विकास के विभिन्न चरण	44
6.2.3	बच्चों की आवश्यकताएँ	49
6.2.4	बच्चों में विकास के लिये उत्प्रेरण	53
6.2.5	तीन वर्ष तक के बच्चे के लिए विकासात्मक गतिविधियाँ	55
6.2.6	स्कूल पूर्व वर्षों (3–6 वर्ष) के दौरान विकास	66
6.3	**प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा**	**85–110**
6.3.1	प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का परिचय	85
6.3.2	प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता और महत्व	91
6.3.3	मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सेवा का अवलोकन	100
6.4	**बालकों की देखभाल,सुरक्षा एवं शिक्षा**	**111–144**
6.4.1	बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा की अवधारणा	113
6.4.2	बाल अधिकार	114
6.4.3	बाल संरक्षण, सुरक्षा एवं कानून	118
6.4.4	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000	121
6.4.5	बच्चों की देखभाल शिक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाएँ तथा कार्यक्रम	136

6.1 बाल विकास– अर्थ सिद्वान्त एवं गर्भावस्था में शिशु का विकास

NOTES

आप सभी ने अपने गांवों, परिवारों और समुदायों में बच्चों को जन्म लेते और बढ़ते देखा होगा। आपने देखा होगा कि प्रत्येक बच्चा अपनी अलग–अलग क्षमताओं के साथ पैदा होता है और अपनी ही गति से बढ़ता है। जिस तरह दो बच्चे एक जैसे दिखाई नहीं देते उसी तरह उनमें समान क्षमताएं और विशेषताएं नहीं होती हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चा अनूठा है। इस इकाई का उद्देश्य आपको एक बच्चे की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, विकास में विशिष्ट अवधि, विकास के चरण और डोमेन, जन्म के पूर्व का विकास तथा विकास में वातावरण और आनुवांशिकता के सम्बन्ध पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं।

एक बच्चा (शिशु) सीमाओं से मुक्त जन्म लेता है। उसकी जरूरतें समेकित होती हैं, उन्हें स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा में बाँटने का काम हम करते हैं। बच्चा अपने खाने की भूख को प्यार की भूख से या ज्ञान की भूख से अलग करके देखना नहीं जानता (अल्वा 1986)

6.1.1 विकास में बुनियादी अवधारणाएँ

शिक्षण उद्देश्य :

इस उप इकाई अध्ययन करने के बाद आप निम्न को समझनें में सक्षम हो जाएंगे।

(अ) बाल विकास की अवधारणा की व्याख्या कर सकेगें।

(ब) विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझ सकेगें।

(स) विकास के आयाम (डोमेन) को समझ सकेगें।

बाल विकास की परिभाषा

हरलॉक के अनुसार– ''आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। बाल विकास के साथ–साथ यह भी खोज करने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं तथा इसका कारण क्या है। परिवर्तन वैधनिक है या सार्वभौमिक।''

बाल विकास का संबंध गर्भाधान के समय से उम्र के 18 साल तक एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन से है। यह बताता है कि गर्भाधान के समय एक कोशीय जीव

रहा बच्चा कैसे एक संचारकर्ता, विचारवान, योग्य और परिपक्व वयस्क में परिवर्तित होता है। इसलिए बाल विकास को विकास की अवधि के माध्यम से प्रगतिशील परिवर्तन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

NOTES

बाल–विकास का महत्व

1. **बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक**– विभिन्न आयु–स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन–कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन पर परिवर्तनों के क्या कारण ाहोते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यह सब बाल–विकास बनाता है; इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल–निर्देशक, बाल–विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं।

2. **बालकों की शिक्षा में सहायक**– बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है। इसका पता बाल–विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार, उस बालक विशेष की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है। उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है।

3. **बालक के विकास को समझने में सहायक**– प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है, कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं। उनके बारे में बाल–विकास बताता है जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है।

4. **बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता**– बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन–से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं; कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सबकी जानकारी बाल–विकास देता है। इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है।

5. **बालक के व्यवहार नियन्त्रण में सहायक**– प्रत्येक बालक अपने व्यवहार सम्बन्धी कुछ समस्याएँ उत्पन्न करता है। उन्हें नियन्त्रित करने तथा दूर करने में बाल–विकास सहायता करता है।

6. **बाल निर्देशन में सहायता**– बच्चों में माता–पिता, अध्यापक तथा बाल–निर्देशक जो कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं। बाल–विकास उनकी मदद करता है।

NOTES

विकास की अवस्थायें

एक व्यक्ति के विकास को अवस्थाओंमें बांटा गया है और प्रत्येक अवस्था में विकास को आयाम में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित चार्ट विकास के विभिन्न अवस्थाओं और आयाम को समझने के लिए आपकी सहायता करेगा।

बाल विकास की अवस्था

जन्म से पूर्व

1. डिम्बावस्था (गर्भावस्था 0 से 2 सप्ताह)
2. पिण्डावस्था (2–5 सप्ताह)
3. भ्रूणावस्था (9 सप्ताह से जन्म तक)

जन्म के पश्चात्

1. शैशवास्था (जन्म से 2 वर्ष)
2. स्कूल पूर्व अवस्था (3–6 वर्ष)
3. बाल्यावस्था (6–12 वर्ष)
   (अ) पूर्व बाल्यावस्था (ब) उत्तर बाल्यावस्था
4. किशोरावस्था (13 से 21 वर्ष)
   (अ) पूर्व किशोरावस्था (ब) उत्तर किशोरावस्था

विकास के आयाम

1. शारीरिक और गत्यात्मक विकास
2. सामाजिक और भावनात्मक विकास
3. भाषा का विकास
4. संज्ञानात्मक विकास

विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताऐं

गर्भावस्था

गर्भावस्था में अति सूक्ष्म जीवाणु से एक पूर्ण बालक का निर्माण होता है।

शरीर के सभी अवयवों का निर्माण होता है।

बच्चा पूर्ण रूप से अपने मां पर निंभर रहता है।

हृदय का धड़कना तीसरे माह से शुरू हो जाता है।

इन्द्रियों का निंमाण हो चुका होता किन्तु इन्द्रियां किया शील नही होती है।

विकास की गति अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है।

NOTES

शैशवास्था–(जन्म से 2 वर्ष)

- इस अवस्था के दौरान विकास बहुत तेज होता है।
- शिशु बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार पर निर्भर होता है।
- परिवार के सदस्यों को पहचानने में सक्षम, स्वयं को पहचानता है और तत्काल संपर्क में रहने वाले

  लोगों के साथ लगाव स्थापित करता है।

  अपनी आवश्यकताओं का बता सकता है, थोड़ा–थोड़ा और छोटे–छोटे संवाद बोलने लगता है।
- अवधि के अंत तक चलने और दौड़ने में सक्षम होगा।

स्कूल पूर्व के वर्ष (3–6 वर्ष)

- शारीरिक विकास की दर प्रारंभिक अवस्था की तुलना में धीमी हो जाती है।
- दौड़ने, चढ़ने, कूदने में सक्रिय रूप से भाग लेता है और मांसपेशियों व गति कौशल के उपयोग में काफी प्रगति दिखाता है।
- इस अवस्था में बच्चों की सामाजिक दुनिया का विस्तार होता है और वे परिवार के बाहर दोस्ती करते हैं।
- वे इस स्तर पर बेहद उत्सुक और साहसी हो जाते हैं और नई सामग्री और विचारों के साथ प्रयोग करते हैं।
- संचार क्षमता तेजी से बढ़तीहैं।
- भाषा तेजी से विकसित होती है।
- कम समय के लिए घर से दूर रहने के लिए तैयार होते हैं और आंगनवाडी व प्ले स्कूल में जा सकते हैं।

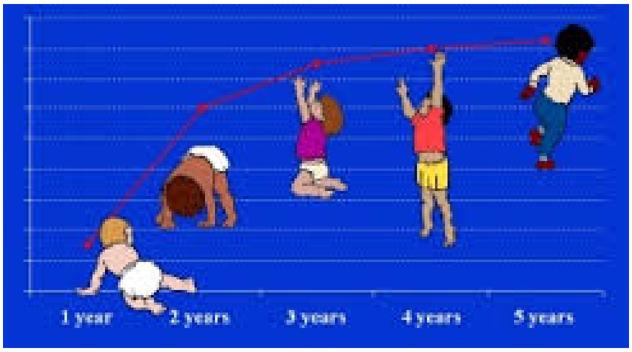

बाल्यावस्था–(6–12 वर्ष)

- शारीरिक विकास धीमा हो जाता है।
- बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकते हैं।
- वे नए कौशल सीखने का प्रयास करते हैं।
- शैक्षिक और खेलों के लक्ष्यों को सक्रियता से पाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौशल प्राप्त करते हैं।
- मजबूत और स्थाई दोस्ती करते हैं।
- इस अवस्था का मुख्य जोर कौशल के अधिग्रहण और नए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर होता है।

NOTES

किशोरावस्था –(13–21 वर्ष) –

किशोरावस्था वह समय है जब बालक परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारम्भ लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। किशोरावस्था को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं–

(क) पूर्व/प्रारम्भिक किशोरावस्था – (बालकों के लिए 14–17 वर्ष एवम् बालिकों के लिए 13–16 वर्ष)

(ख) उत्तर किशोरावस्था

प्रारम्भिक किशोरावस्था

यह अवस्था लड़के में 14–17 वर्ष तथा लड़कियों में 13–16 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में उसमें अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में वह बालक से बड़ा होने लगता है।

प्रारम्भिक किशोरावस्था की अग्रलिखित विशेषताएँ हैं–

1. **प्रारम्भिक किशोरावस्था बदलाव का समय है**– इस समय बालक के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़कों के मुँह पर दाढ़ी–मूँछ उगना प्रारम्भ हो जाते हैं, लड़कियों में मासिक स्राव प्रारम्भ हो जाते हैं तथा स्तन उभर आते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ऊँचाई और वनज दोनों की बढ़ने की तेजी पहले आती है और पहले समाप्त होती है। इस समय व्यवहार में भी अंतर आता है। बालक बालिकाओं में विपरीत लिंग की ओर रुचि बढ़ जाती है। लड़कों की आवाज भारी और लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है।
2. **प्रारम्भिक किशोर का स्तर दुविधाजनक**– शुरू–शुरू में किशोर दुविधाजनक स्थिति में होता है क्योंकि यदि वह बालकों जैसा व्यवहार करता है तो कहा जाता है कि वह बच्चा नहीं है और बड़ों जैसे व्यवहार करता है

तो कहा जाता है वह अभी प्रौढ़ नहीं हुआ है। इसलिए उसका स्वर दुविधाजनक होता है।

NOTES

3. **यह संवेगों की तीव्रता का समय होता है**— पूर्व किशोरावस्था कठिनाइयों तथा परेशानियों से परिपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था को अत्यधिक तनाव का समय भी कहा जा सकता है। इस समय उसका तेजी से विकास होता है। शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप अनेक नवीनताएँ आती हैं। इसमें परिपक्वता का अभाव होता है। अतः वह कल्पना की उड़ान भरता है और इच्छाएँ पूरी न होने पर तनावग्रस्त रहता है। वह काफी भावुक होता है, संवेदनात्मक जीवन व्यतीत करता है, उसमें अत्यधिक उत्साह और गम्भीर निराशा देखी जा सकती है क्योंकि उसके विचारों को अपरिपक्व तथा अव्यावहारिक माना जाता है। किशोर में अत्यधिक तनाव के अग्रलिखित कारण होते हैं—

   (अ) दुविधाजनक स्तर

   (ब) शारीरिक परिवर्तन

   (स) संवेगों की तीव्रता

   (द) माता—पिता द्वारा प्रतिबंध

4. **प्रारम्भिक किशोरावस्था में अस्थिरता पायी जाती है**— आरंभ में किशोर अपने आपको असुरक्षित समझता है, उसकी निजता में विविधता आ जाता है, वह न बालकों के साथ खेल पाता है, न बड़ों के साथ। वह अपने आप को असुरक्षित समझता है। इससे उसके व्यवहार में अस्थिरता व्याप्त हो जाती है। यह सब उसके शरीर में अचानक आए परिवर्तनों के कारण होता है।

5. **युवा किशोर नाखुश रहता**— शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर को यह ज्ञात नहीं होता कि घर में और बाहर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अतः वह या तो बहुत शान्त या बहुत झगड़ालू हो जाता है। अधिकतर किशोर इस अवस्था में नाखुश रहते हैं।

6. **युवा किशोर की अनेक समस्याएँ होती हैं**— अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है, युवा किशोरों की अनेक समस्याऐं होती हैं जो शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य सामाजिक व्यवहार भविष्य की योजना जैसे विषयों का चुनाव आदि से सम्बधित होती है क्योंकि उन पर अधिक रोक—टोक होती है।

उत्तर किशोरावस्था

यह अवस्था लड़कियों में 16 से 20 वर्ष तक होती है तथा यह लड़कों में 17 से 21 वर्ष तक होती है।

विशेषताएँ– उत्तर किशोरावस्था में अग्रलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं–

NOTES

1. **स्थिरता में वृद्धि**– इस समय किशोरों के व्यवहार करने में बहुत अधिक स्थिरता दिखाई देने लगती है। वे अधिक परिपक्व व्यवहार करने लगते हैं, कहने का आशय यह कि वे बड़ों के समान व्यवहार करने लगते हैं, उनके कपड़ों, रुचि, मित्रता आदि में स्थिरता आ जाती है।

2. **समस्याओं से जूझने की हिम्मत**– अब किशोर समस्याओं को समझ कर सुलझाने लगता है। जब उसकी समस्याएँ थोड़ी सुलझने लगती है तो वह अच्छी तरह से समायोजन कर सकता है और अच्छी तरह से रह सकता है। अब वह परिवार के लिए समस्या नहीं होता।

3. **प्रौढ़ व्यक्तियों की और से कम ध्यान**– इस अवस्था में किशोरों की गिनती थोड़े बड़ों में होने लगती है। इस कारण अब बड़े उन पर कम ध्यान देते हैं तथा उन पर पाबन्दियाँ भी थोड़ी कम कर दी जाती है। अब किशोर भी परिवार के लिए कम समस्या पैदा करते हैं, इस अवस्था में वे शिक्षा भी पूरी करने वाले होते हैं।

4. **संवेगात्मक रूप में अधिक शान्त**– उत्तर किशोरावस्था में किशोर का संवेगों पर अधिक नियन्त्रण हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन हो चुके होते हैं। इस अवस्था में वे स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकते हैं। बड़ों का हस्तक्षेप कम होने लगता है निजता में भी स्थिरता आने लगती है। अतः वे शीघ्र उत्तेजित नहीं होते तथा संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं।

5. **वास्तविकता की ओर झुकाव**– इस अवस्था में किशोर स्वयं तथा समाज के अनुभवों के आधार पर वास्तविकता की ओर ध्यान देने लगते हैं। इस कारण अब वे अधिक प्रसन्न तथा आशावान दिखाई देते हैं। इस अवस्था में वे किसी भी काम को सही रूप से देखते हैं।

6. **बड़ों का अनुकरण**– इस अवस्था में किशोर युवावस्था की ओर उन्नमुख होने लगता है। अतः वह पहनावे, बात करने का ढंग आदि में बड़ों का अनुकरण करता है। बड़ों की आदतें, व्यवहार आदि अब उसमें दिखाई देने लगती है। अब वे बच्चा नहीं दिखाई चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति उन्हें बड़ा समझें।

- बच्चों में तेज शारीरिक और यौन परिवर्तन होते हैं। प्रजनन प्रणाली संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होती है।
- ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है।
- विकास की इस अवस्था में मित्र काफी महत्वपूर्ण लगते हैं।
- बच्चा सक्रिय रूप से अपनी पहचान की खोज करता है और प्रश्न कि 'मैं कौन हूं?' का उत्तर पाने की कोशिश करता है।

- इस चरण के अंत में, बच्चा परिपक्व वयस्क में विकसित होता है जो जिम्मेदारी लेने, स्थायी संबंध बनाने और एक परिवार आरंभ करने के लिए तैयार होता है।

NOTES

यह याद रखना महत्वपूर्ण है एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तन क्रमिक होता है अचानक नहीं। प्रत्येक पिछली अवस्था बच्चे को अगली अवस्था के कार्य करने के लिए तैयार करती है। हम इकाई 2 में 0–2 वर्ष और 2–6 वर्ष की अवधि में बच्चों में विकास के बारे में अधिक पढ़ेंगे।

6.1.2 विकास के आयाम (Domain)

शारीरिक विकास

शारीरिक विकास ऊंचाई, वजन और शरीर के अनुपात में परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए बचपन में शिशु का वजन पहले 6 महीनों में लगभग दोगुना हो जाता है और पहले साल में तीन गुना। लंबाई प्रथम वर्ष में 50 प्रतिषत तक बढ़ जाती है। शरीर की सभी प्रणालियां परिपक्व होने लगती है।

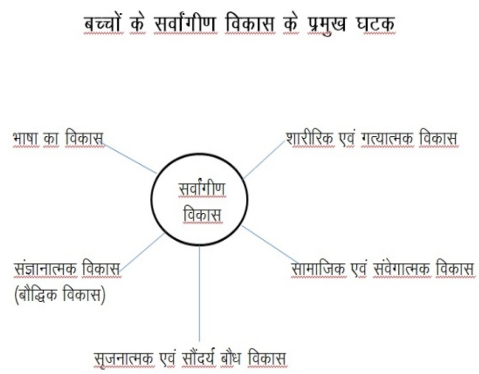

गत्यात्मक विकास

गत्यात्मक विकास मांसपेशियों का विकास और गति में उनका उपयोग है। सकल गत्यात्मक विकास बड़ी मांसपेशी समूहों पर नियंत्रण करने को संदर्भित करता है जो रेंगने, खड़ा होने, घूमने, चढ़ाने और चलाने जैसे कार्य निष्पादन में सहायता करते हैं। बेहतर गत्यात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है और इसमें चीजों को पकड़ना शामिल होता है जैसे एक कप को पकड़ना, पुस्तक के पन्नों को मोड़ना, बटन और चेन लगाना, चित्र बनाना, लिखना आदि। जैसे–2 बच्चे का विकास होता है वे अब तक प्राप्त गति संबधी कौशल को सुधारते हैं और नए कौशल को प्राप्त करते हैं।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास अन्य लोगों के साथ बातचीत करने, संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने, साझा करने, सहयोग और एक समूह में रहने में बच्चे की क्षमता को दर्शाता है। इसमें उस समाज के सामाजिक मानदंडों का सीखना शामिल है जिसमें वह बड़ा हो रहा है और इसलिए समाज का एक उत्पादक सदस्य होने के लिए परिपक्व होता है।

भावनात्मक विकास

भावनात्मक विकास प्रेम, क्रोध, भय, खुशी, प्रसन्नता और अन्य भावनाओं के साथ ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य और उचित तरीके से इन भावनाओं को व्यक्त करने के सीखने के तरीके के उद्भव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए दो वर्ष के बच्चे को दूसरों को मारने के लिए माफ किया जा सकता है लेकिन एक बड़े बच्चे को शारीरिक आक्रामकता नियंत्रित करनी होगी और मारने के अलावा अन्य तरीकों से गुस्सा व्यक्त करना सीखना होगा। इस तरह, भावनात्मक विकास सिर्फ भावनाओं का अनुभव नहीं है बल्कि उनकी उचित अभिव्यक्ति भी है।

NOTES

भाषा का विकास

भाषा का विकास मौखिक रूप से अन्य लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता प्राप्त करने को बताता है। जन्म के समय शिशु की मुख्य वाचिक क्षमता रोना होती है। समय के साथ जब वह बड़ा होता है तो एक–दो शब्द बोलना शुरू करता है जैसे पापा, मम्मी, दादा आदि। जब वह दो साल का होता है वह सरल वाक्य बोलने में सक्षम होता है जैसे 'मुझे पानी दो' आदि और छह वर्ष की उम्र तक धारा प्रवाह बोलने में सक्षम होता है। शब्दावली, व्याकरण और संचार कौशल का विकास एक व्यक्ति की भाषा के विकास के अध्ययन का हिस्सा है।

संज्ञानात्मक विकास

संज्ञानात्मक विकास तर्क, स्मृति, समस्या सुलझाना, समझ, याद करना, धारणा और अवधारणा बनने जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को दर्शाता है। अनुभूति का संबंध इस बात से है कि हम कैसे हमारे आसपास की दुनिया को जानते हैं।हम में से हर एक लोगों और घटनाओं के बारे में हमारे अपने विचार हैं। हम कैसे इन विचारों और विश्वासों को स्थापित करते हैं? कैसे ज्ञान विकसित होता है? अनुभूति विचार और ज्ञान के विकास से संबंधित है। यह सूचनाओं को प्राप्त करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है और कार्रवाई के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अनुभूति का विकास व्यक्ति को वातावरण और परिस्थितियों के स्वीकार करने में मदद करता है। विचारों के विकास के साथ व्यक्ति अधिक प्रभाव के साथ स्थितियों को समझने और संभालने में सक्षम होता है। संज्ञानात्मक विकास को बच्चों में कई प्रेरक गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है जिसे आप बाद के खंडों में पढ़ेंगे।

NOTES

बाल विकास विकासात्मक मानदंडों को निर्दिष्ट करता है जो हमें यह मूल्यांकन करने में सहायता करता है कि बच्चे अपनी उम्र के लिए सामान्य गति से विकास कर रहा है या नहीं। यह हमें ये समझने में सहायता करता है कि किस अवस्था में हमें बच्चों से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस समझ के साथ, हम उनके लिए आयु उपयुक्त गतिविधियों की योजना कर सकते हैं। हम व्यक्ति में शारीरिक विविधताओं के साथ बौद्धिक विकास की उम्मीद और उसे स्वीकार करते हैं। बाल विकास का ज्ञान हमें सांस्कृतिक रूप से उपयुत श्रेष्ठ शिशु देखभाल प्रथाओं, बच्चों को अनुशासित बनाने के तरीके, नवजात प्रेरणा पद्धतियों, बच्चों की भावनाओं की प्रकृति, खेलने के महत्व आदि के बारे में बताता है।

अपनी प्रगति जांचे अभ्यास 1

1. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें।
   (अ) बाल विकास को ——————————के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता।
   (ब) 0–2 वर्ष के बीच की विकास अवस्था कहलाती है ——————।
   (स) 2–6 वर्ष के बीच की विकास अवस्था कहलाती है ———————।
   (द) शारीरिक विकास संदर्भित करता है———————————————।
   (ड) भाषा विकास संदर्भित करता है———————————————।
2. निम्न की कम से कम दो विशेषताएं लिखें
   (अ) शैशवावस्था———————————————————————
   (ब) स्कूल पूर्वक वर्ष ——————————————————————
   (स) बाल्यावस्था ——————————————————————
   (द) किशोरावस्था ——————————————————————

6.1.3 वृद्धि व विकास और इसे संचालित करने वाले सिद्धांत

NOTES

शिक्षण उद्‌देश्य

इस उप इकाई के अध्ययन करने के बाद आप निम्न करने में सक्षम होना चाहिए

(अ) वृद्धि और विकास के अर्थ के बारे में जान सकेगें ।

(ब) वृद्धि और विकास के बीच अंतर करना और वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझने में समक्ष हो सकेंगें।

वृद्धि और विकास का अर्थ :

वृद्धि सभी विकास की बुनियाद है। यह ऊंचाई, वजन और शरीर की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। यह मापने योग्य मात्रात्मक शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि को परिपक्व होने तक जारी रहना माना जाता है।

विकास एक जीव के व्यवहार में समय के साथ प्रगतिशील परिवर्तन को दर्शाता है। विकास परिपक्वता लाने वाले व्यवस्थित,अनुक्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन को संदर्भित करता है। जब ये परिवर्तन अपने पर्यावरण को समायोजित करने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करते हैं तो यह गुण विकास के रूप में चिह्नित होते है। ये परिवर्तन व्यवहार और कौशल के मामले में अधिक हैं। परिवर्तन समय–समय पर दो या अधिक बिंदुओं पर आकलन द्वारा अलग किया जा सकता है। विकास जीवन भर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं हमारी विचार क्षमता बढ़ती है, हमारा तर्क कौशल परिवर्तित होता है, हमारी शब्दावली बढ़ती है, हमारा शरीर अधिक क्षमतावान होता है, हमारे सामाजिक संबंध बढ़ते हैं और इसलिए हम संचार के और अधिक परिष्कृत और उचित तरीके सीखते हैं। निम्न तालिका आगे वृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करती है।

NOTES

वृद्धि	विकास
वृद्धि एक व्यवस्थित पैर्टन में होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। वृद्धि सेलुलर है, यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होती है। वृद्धि की दर और पद्धति शरीर के कुछ भागों के लिए विशिष्ट हैं। वृद्धि ऊंचाई, वजन और शरीर की संरचना में मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। वृद्धि मापी जा सकती है। परिपक्वता तक जारी रहती है। वृद्धि दर में विस्तृत व्यक्तिगत अंतर होता है।	विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट होने की कार्यवाही है। विकास संगठनात्मक है। यह सभी भागों का संगठन है जिसे वृद्धि और अंतर उत्पन्न करता है। विकास व्यवहार, दृष्टिकोण, गत्यात्मक (मोटर) कौशल, सामाजिक–भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास को आसानी से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है लेकिन समुचित रूप से आकलन किया जा सकता है। विकास जीवन भर जारी रहता है। विकास में दरें बदलती हैं।

वृद्धि और विकास के सिद्धांत :

विकास की दिशा : विकास एक दिशा और एक व्यवस्थित तरीके से एक समान पद्धति का पालन करती है। विकास सिर से पैर की अंगुली की दिशा में होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर, मस्तिष्क और आंखों का विकास धड़ और पैरों से पहले होता है। बचपन में, बच्चे पहले के शरीर के ऊपरी हिस्से का नियंत्रण पाते है और फिर निचले शरीर पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसके अलावा विकास की दिशा शरीर के केन्द्र से परिधि तक होती है। रीढ़ की हड्डी के पास की मांसपेशियां कंधों, बांह, हाथ की मांसपेशियों पहले नियंत्रण पाती है उसके बाद उंगली की मांसपेशियों में नियंत्रण आता है जो उन्हें लिखने में सहायता करती है।

विकास एक क्रम का पालन करता है : दुनिया भर में सभी बच्चे पहले बड़बड़ाते हैं, फिर तुतलाते हैं और फिर पहले शब्द बोलते है व बाद में वाक्य बनाने लगते हैं।हालांकि विकास का अनुक्रम एक ही है फिर भी सभी बच्चे उनके विकास दर के आधार पर अलग–अलग होते हैं।

NOTES

विकास में नई विशेषताओं को शामिल करना जैसे शब्दावली में वृद्धि। इसमें पुरानी विशेषता को छोड़ना भी शामिल है जैसे जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो वह रेंगना छोड़ देता है।

विभिन्न प्रकार के विकास जीवन के विभिन्न चरणों में अधिक तेजी से होते है : शारीरिक और गत्यात्मक विकास बचपन के दौरान सबसे अधिक तेजी से होता है, भाषा का विकास स्कूल पूर्व के वर्षों के दौरान सबसे अधिक तेज होता है, तार्किक क्षमता और सुशीलता मध्य बचपन के दौरान सबसे तेज विकसित होते हैं जबकि प्रजनन प्रणाली किशोरावस्था में परिपक्व होती है।

वृद्धि दरः वृद्धि दर में व्यक्तिगत अंतर होता है। लगभग एक ही उम्र के बीस बच्चों के एक समूह में कुछ बच्चे तुलनात्मक रूप से लंबे होते हैं जबकि कुछ छोटे प्रतीत हो सकते है, कुछ बच्चे गोल – मटोल हो सकते हैं और कुछ दुबले और पतले लग सकते हैं। विकास बचपन के दौरान सबसे अधिक तेजी से होता है, यह स्कूलपूर्व के वर्षों के दौरान थोड़ा धीमा हो जाता है। विकास शैशवावस्था के दौरान बहुत धीमा हो जाता है और उसके बाद किशोरावस्था की शुरूआत में फिर से तेज होता है और व्यक्ति को वयस्क ऊंचाई हासिल करने में सहायता करता है।

व्यक्तियों की अद्वितीयता : प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीयता, उसकी बौद्धिकता, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, खेलकूद क्षमता और संगीत भावना आदि के अंतर में परिलक्षित होती है।

विकास में लिंग अंतर : लड़कियों की तुलना में लड़के थोड़ा लम्बे और भारी होते हैं। यह प्रवृत्ति किशोरावस्था की शुरुआत में कुछ वर्ष में बदलती है। जब लड़कियों में विकास तेजी होता है और वे लड़कों से लंबी हो जाती हैं क्योंकि लड़कियों में वृद्धि लड़कों की तुलना में दो साल पहले हो जाती है। लड़के जल्द ही फिर आगे निकल जाते हैं।

विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद हैः आप एक छह माह के बच्चे को चलने के लिए खूब प्रशिक्षण दें लेकिन क्या वह चलना सीख पाएगा? जब तक कि जीवों का आंतरिक तंत्र परिपक्व नहीं होगा, जब तक मस्तिष्क परिपक्व नहीं होगा तब तक कितना भी ज्यादा अभ्यास कराये हम उसे चला नहीं सकता। इसी समय, विकास के लिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

NOTES

वृद्धि और विकास के अध्ययन प्राप्त जानकारी के आधार पर ध्यान देने योग्य बिन्दु

- विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अंतर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- दूसरों के साथ बच्चे की तुलना से बचें।
- बच्चों पर अनुचित दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।
- बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार सीखने की प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर बल दें।
- विकास एक सतत प्रक्रिया है इसलिए बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।
- व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि बच्चे पर अनुचित मांगों का भार ने डाला जाए।
- सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त के शिक्षण का अधिकतम अभ्यास
- उनके इष्टतम विकास और वृद्धि के लिए बच्चों को एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

1 . निम्न में से वाक्य के आगे (सही) या गलत (X) पर निशान लगाएं।

(अ) विकास एक व्यवस्थित फैशन में होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सही / गलत

(ब) विकास सेलुलर है। यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होता है। सही / गलत

(स) विकास आसानी से मापा जा सकता है। सही / गलत

(द) वृद्धि दर में व्यापक व्यक्तिगत अंतर होता है। सही / गलत

(ड) विकास जीवन भर जारी रहता है। सही / गलत

2 . निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।

(अ) विकास .... भर जारी रहता है।

(ब) विकास .... जटिल और सामान्य से .... होने की कार्यवाही है।

(स) वृद्धि एक .... में होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।

(द) वृद्धि दर में विस्तृत .... अंतर होता है।

(ड) वृद्धि .... जा सकती है।

6.1.4 विकास में विशिष्ट अवधि

NOTES

शिक्षण उद्देश्य

इस उप इकाई अध्ययन करने के बाद आपको निम्न कार्य करने में सक्षम होना चाहिए–

- विशिष्ट अवधि के अर्थ और महत्व के बारे में बता सकें।
- बच्चे के विकास में कुछ विशिष्ट अवधि के महत्व का वर्णन कर सकेगें ।

विशिष्ट अवधि का अर्थ

बच्चे के विकास के दौरान कुछ अवधि होती है जो विकास और सीखने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि के दौरान अगर बच्चे को अनुकूल अनुभव हो तो उसके विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि इन अवधियों में प्रतिकूल अनुभव होता है तो विकास प्रभावित होता है। अगर कोई नुकसान हो चुका हो तो ये अपरिवर्तनीय हो सकता है। ऐसी अवधि जिसमें बच्चा वातावरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है, उस अवधि को विशिष्ट अवधि कहा जाता है। इस अवधि को संवेदनशील अवधि भी कहा जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट या संवेदनशील अवधि को जीवन के उस समय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव का बच्चे के विकास पर सबसे अधिक असर होता है।

विशिष्ट अवधि बच्चे के विकास की अहम् अवधि है क्योंकि इस अवधि में बच्चा एक विशेष कौशल सीखने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा तभी बोलना सीखता है जब वह जीभ, होंठ और स्व रज्जू की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है और मस्तिष्क का आगे विकास हो चुका होता है। यानि कि बच्चा के बात करने के लिए जैविक रूप से तैयार होना चाहिए। यह जैविक तत्परता परिपक्वता को दर्शाती है। हालांकि, परिपक्व होने के अलावा बच्चे के बात करने में सक्षम होने के लिए उसको भाषा सुनने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, बोलना जानने के क्रम में बच्चे को जैविक रूप से तैयार होने के साथ ही भाषा के सुनने और बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इस अवधि के दौरान, बच्चे को सीखने का अनुकूल अनुभव मिलना आवश्यक है जो उसे कौशल हासिल करने में सहायता करेगा। अगर अनुकूल अनुभव विशिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद दिए जाएं तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है।

NOTES

विकास में विशिष्ट अवधि

बच्चे के विकास में निश्चित समय की पहचान की गई है जो विशेष योग्यता सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारण से इस समय अवधि के दौरान बच्चा एक सुविधाजनक वातावरण से वंचित होता है तो इस खास विशेषता/क्षमता/क्षेत्र का विकास अस्थाई रूप से अवरुद्ध हो जाता है या जीवन भर के लिए क्षमता का नुकसान हो सकता है।

जीवन की प्रारंभ से शुरू करते हुए जन्म के पूर्व की अवस्था के विकास की पहचान विशिष्ट अवधि के रूप में की गई है। यहां इस बात पर बल देना आवश्यक है कि हानिकारक वातावरण की वजह से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती और इसका आजीवन प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि गर्भावस्था के पहले तीन महीने मुख्य रूप से अधिकांश शारीरिक प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इन महीनों के दौरान हानिकारक वातावरण कारक प्रमुख विकास दोष पैदा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान सभी अंगों और अंग प्रणाली का तेजी से विकास होता है। एक अंग जब सबसे तेजी से विकसित हो रहा होता है तब हानिकारक प्रभावों के ज्यादा असर की आशंका होती है। इस अवधि में शरीर के सभी भागों में अंतर होता है लेकिन मस्तिष्क सबसे तेजी से बढ़ता है। नुकसान का कारण बन सकने वाले अन्य कारक हैं– एक्स रे से बार–बार संपर्क, अन्य विकिरण, गर्भवती महिला कुछ ऐसी दवाइयां खा रही हों जो चिकित्सक ने नहीं लिखी हो जैसे एंटीबायोटिक, हार्मोन, स्टेरॉयड, एंटीकोगुलेंट्स, नशीली दवाएं, और संभवतः कुछ हालूसिनेजोनिक दवाइयां, शराब पीना/धूम्रपान करना,अन्य बीमारियां जैसे रूबेला/गलसुआ/खसरा/ इन्फ्लूएंजा आदि। जन्म के पूर्व की अवधि और भ्रूणावस्था के दौरान नकारात्मक प्रभाव के शरीर के अन्य अंग स्थाई रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जैसे हृदय रोग, ऊपरी और निचले अंग, आंख, कान, दांत, तालू और बाह्य जननांग। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन हानिकारक कारकों का प्रभाव गर्भावस्था के पहले तीन महीनों के दौरान अधिक होता है। उदाहरण के लिए, पहले तीन महीनों के दौरान मां को अगर रूबेला होता है तो यह अंधत्व, बहरापन, हृदय दोष, मस्तिष्क क्षति आदि जैसा नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन यदि महिला इसी बीमारी से गर्भावस्था के बाद के माह में पीड़ित होती है तो यह भ्रूण पर महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाता है।

जीवन के पहले वर्ष की दूसरी छमाही को शिशु और माँ प्राथमिक देखभालकर्ता के बीच लगाव की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिशु मुस्कुराने, रोने, घूरने, बड़बड़ाने जैसी प्रतिक्रियाओं के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें माँ देखभालकर्ता के संपर्क में लाते हैं। बच्चे एक सामान्य घर में दैनिक आधार

पर बातचीत, मुस्कुराहट, लिपट कर सोने और बुनियादी गर्माहट में ममता का अनुभव प्राप्त करते हैं। मां और बच्चे का यह साथ पहले वर्ष की दूसरी छमाही में धीरे – धीरे गहरे लगाव में विकसित होता है। अनाथालयों में बड़े होते बच्चो के लिए एक देखभालकर्ता होता है जिसे कई बच्चों की जवाबदेही दी जाती है जो ज्यादातर शारीरिक देखभाल और नवजात की आहार आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। यहां शिशु बात करने, मुस्कुराने, लिपट कर सोने, बुनियादी स्नेह जैसे सामान्य ममता वाले अनुभवों से वंचित रहते हैं जो एक बच्चा सामान्यतः घरों में प्राप्त करता है। जो बच्चा भावनात्मक संबंद्ध नहीं बना पाता वह अधिक रोता है, अधिक भयभीत होता है, लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देता है और सामाजिक संबंधों को खत्म कर लेता है। बचपन के दौरान इन अनुभवों की कमी का परिणाम है कि व्यक्ति बाद के जीवन में गहरे भावनात्मक/स्नेह संबंध नहीं बना पाता।

NOTES

भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले कुछ वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले वर्ष में भाषा विकास के दौरान शिशु उम्र के लगभग 6 महीनों में बोलने का प्रयास और विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है जो इस बढ़ते बच्चे को भाषा का इनपुट प्रदान करता है। बच्चा जितनी भाषा सुनेगा वह उतना ही बोलने का प्रयास करेगा अब ऐसे बच्चों का उदाहरण लेते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता। क्योंकि यह बच्चे भाषा और आसपास की आवाज सुन नहीं सकते इन्हें बोलना भी नही आ पाता। सुनने में अक्षम बच्चे को यदि शुरूआती अवस्था में सुनने के सहायक उपकरण लगा दिए जाएं और बच्चा आसपास की भाषा और शब्द सुनने लगे तो संभावना है कि बच्चा सामान्य रूप से बोलना शुरू कर दे। शैशवावस्था या बाद में सुनने में सहायक उपकरण लगाना अधिक उपयोगी साबित नहीं होता क्योंकि बच्चे के लिए आवाज को भाषा में बदलने में मुश्किल होती है और बोलना सीखना मुश्किल हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि बोलना सीखने के लिए पहले कुछ वर्ष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बच्चे ध्वनियों भेद करना जानते हैं और इस तरह प्रारंभिक वर्षों में बोलना सीखते हैं। इन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अनुभवों को सीखने में तालमेल होना चाहिए। विशिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद यदि महत्वपूर्ण अनुभव बच्चे को प्राप्त हो तो वह सीखने के लिए उतने प्रभावी नही हो पाते।

सामान्य रूप से, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवधि को विभिन्न कारणों से एक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पहला, वयस्कों की सोच और व्यवहार के तरीकों को बचपन के कई अनुभवों से पता लगाया जा सकता है।दूसरा, विकास के सभी आयाम में विकास की दर इन वर्षों में सबसे तेज होती है उदाहरण के लिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक। इस अवधि में वह कौशल प्राप्त किया जा सकता है जो बाद की उम्र में प्राप्त करना मुश्किल और कुछ समय पर असंभव हो जाता

NOTES

है। सीखना और कौशल प्राप्त करना पूरे जीवन भर चलता रहता है लेकिन जीवन में फिर कभी व्यक्ति इतने कम समय में कौशल की इतनी विविधता प्राप्त नहीं कर सकता है जो वह शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था के बीच में प्राप्त करता है। चूंकि विकास बहुत तेज दर से होता है उपयुक्त आहार का अभाव, पोषण और देखभाल, अस्वास्थ्यप्रद जीवन स्थितियां, बीमारी, बड़ों से संवाद की कमी, काम की परिस्थितियां जैसे प्रतिकूल अनुभव काफी हद तक विकास में बाधा बनते हैं। इसी तरह, अनुकूल अनुभव विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रकार इस अवधि के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अनुभवों का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

छह वर्षों के दौरान पहले दो वर्ष विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं। जीवन के दूसरे वर्ष के अंत तक मानव मस्तिष्क का विकास पूरा हो चुका होता है और महत्वपूर्ण मस्तिष्क संरचना तैयार हो चुकी होती है। तेजी से वृद्धि और विकास की इस अवस्था में बच्चा चलने, बोलने, सोचने, महसूस करने और लोगों तथा वस्तुओं से संवाद करने के अधिक जटिल स्तर को संभालना सीखता है।

विशिष्ट अवधि सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है; परन्तु आपको यह याद रखना चाहिए कि सीखने के लिए केवल यही समय नहीं है। मनुष्य बहुत लचीला होता है और बच्चा विशिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद भी सीख सकता है हालांकि इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है।

विकास की महत्व पूर्ण अवधि के दौरान ध्यान देने याग्य बातें

अवधि	पहल के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र	क्या किया जाना चाहिए
18 माह से 2–3 वर्ष की आयु	(1) **संवेदी शिक्षण**–इस उम्र के बच्चे अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। केवल देखने या सुनने में ही नहीं वे छूने, पकड़ने और चखने के लिए चीजों को मुंह में डालने में बहुत रुचि दिखाते हैं। (2)**चलना**– बच्चे अपने वातावरण को समझना चाहते हैं और ऊपर–चढ़ने उतरने, चलने और दौड़ने, धीरे – धीरे कूदने और अन्य नृत्य क्रियाकलापों के लिए शरीर को तैयार करना चाहता है।	(1) उन्हें छूने, स्वाद और गंध लेने के लिए उन्हें सुरक्षित वस्तुएं दीजिए। उन्हें महसूस करने के लिए विविध आकार की चीजें दें। उनसे धीरे–धीरे बात करे ताकि उन्हें ध्वनियों के बारे में पता चले। (2) उन्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएं और अवसर दें कि वे सुरक्षित और आनन्द के साथ इन चीजों की खोज कर सकें। आपको सड़क पार करते समय उनका हाथ पकड़ना पड़ सकता है लेकिन उन्हें ऐसा अवसर दें जहां वे स्वतंत्रता के साथ चीजों की खोज कर सकें।

18 महीनों से 4 साल की उम्र	**(1) भाषा पर अधिकार :** हालांकि इस उम्र में संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भाषा पर अधिकार 4 साल की उम्र मे होने लगता है। यह अवधि भाषा के कौशल के लिए अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाती है। बच्चे एक अक्षर शब्दों से बोलना शुरु करते है और बहुत जल्दी परिष्कृत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। वे न केवल शब्द या वाक्यं सीखते हैं बल्कि वे उच्चारण भी सीखते हैं। यह एक दूसरी भाषा से परिचित करवाने का बेहतर समय होता है।	(1) उन से बात करें। उन्हे सबसे पहले संज्ञाओं का ज्ञान ठोस उदाहरणों द्वारा करवाना चाहिए और धीरे–धीरे उनकी शब्दावली में नए–नए शब्दों को जोड़ना चाहिए। स्पष्ट रूप से बात करें और धीमी आवाज का उपयोग कर उन्हें विभिन्न ध्वनियों को सुनने का अवसर दें। (2) 2 1/2 वर्ष से 3 की आयु के बीच में उन्हें , अनुक्रमण के साथ गतिविधियों और मिलान करने का अवसर दें। वे अब स्थानिक संबंध में जागरूकता दिखाते है– उन्हें उपर, नीचे, कम–अधिक, नजदीक–दूर आदि की अवधारणाओं से परिचित करवाएं।
(आयु 2–6)	**(1) व्यवस्था**– बच्चे अपने परिवेश की व्यवस्था के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर आप उन्हें बताएं कि वस्तुएं कैसे और कहां व्यवस्थित करनी है और उनकी देखभाल कैसे करनी है तो वे उसे सीख लेंगें। वे व्यवस्था के अनुसार दिनचर्या में तालमेल बैठाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए नाश्ते के बाद बच्चे बाहर जाएंगे या बाहर के समय के बाद वे इकट्ठा होते और गीत गाएंगे और उसके बाद आराम करेंगें यह सब वह आसानी से सीख जाएंगे।	(1) उनके जीवन में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखें। उनसे किए गए वादों को पूरा करें। यह उनका विश्वास अर्जित करने में सहायता करेगा।
(उम्र4–5)	**(1) हाथों और उंगलियों का प्रयोग** –इस उम्र में बच्चे अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं।	(1) उन्हें चित्र और रेखांकन के लिए कला सामग्री दें। मांसपेशियों के छोटे व्यायाम के लिए कागज फाड़ना, चिपकाना, चित्रों में रंग भरना, धागे में मोती पिरोना, बटन लगाना जैसी अन्य क्रियाऐं करवाएं।

NOTES

NOTES

		(2) उन्हे उचित उपकरण और मार्गदर्शन के साथ बागवानी, साईकल चलाना, टायरों के साथ खेलना आदि का भी उचित समय है।
(उम्र 4–6)	**(1) संस्कृति, पढ़ना और गणित**– बच्चे इस बात में रूचि दिखाते हैं कि अन्य लोग कैसे जीते हैं, अन्य समाज क्या करता है आदि। वे किताबों और छपी सामग्री में रुचि रखते हैं। वे दृश्यों में अंतर करते हैं और अपने वातावरण के संकेत पढ़ते हैं। वे गिनने और संख्या में दिलचस्पी दिखाते हैं। वे एक के बाद एक गिनने में भ्रमित होते हैं लेकिन संख्या, बड़ी संख्या और उनके अनुक्रम के बारे जानकारी रखते हैं।	(1) उन्हें कहानियां सुनाएं और देखें कि क्या वे अनुक्रम दोहराते हैं। यह समझ का कौशल महत्वपूर्ण है। उन्हें नियमित आधार पर पढ़ने दें। उन्हें चुम्बक वाले शब्द अथवा अक्षर दें जिनके साथ वे खेल सकें और दिवाल पर शब्द अथवा दरवाजे पर अपना नाम, दोस्तो का नाम आदि बना सकें। उनके आसपास की चीजों के नाम बताएं। (2) उन्हें गिनती करने के लिए ठोस वस्तुएं दीजिए। उन्हें विभिन्न आकार की वस्तुएं दें ताकि वे डिजाइन बना सकें और खोज सकें। इन सभी गतिविधियां उनके गणितीय दिमाग के विकास में सहायता मिलेगी।

अभ्यास के प्रश्न

1 . आप बच्चे के जीवन में विशिष्ट या संवेदनशील अवधि से क्या समझते हैं?

____

____

____

____

2. निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें.

(अ) विशिष्ट अवधि के दौरान, बच्चे को सीखने का .... मिलना आवश्यक है।

(ब) विशिष्ट अवधि के दौरान हानिकारक वातावरण की वजह से होने वाले नुकसान की ....नही हो सकती।

(स) बच्चा जितनी भाषा सुनेगा वह उतना ही .... प्रयास करेगा।

(द) जीवन के दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे के ....का विकास पूरा हो चुका होता है।

6.1.5 बाल विकास के आधार और वातावरण का विकास पर प्रभाव

NOTES

शिक्षण उद्‌देश्यः–

1. वंशानुक्रम माता–पिता से किस प्रकार हस्तांतरित होते हैं, को समझ सकेगें।
2. वातावरण बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता हैं, को समझ सकेगें।
3. बालक के विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव कैसे होता हैं, को समझ सकेगें।

वंशानुकम और वातावरण का अर्थ

वंशानुक्रम का अर्थ

वंशानुक्रम में उन सब शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है जो व्यक्ति को अपने माता–पिता की वंश परंपरा से प्राप्त होती है। ये विशेषताएं पूर्वजो के द्वारा मिलती है। इस प्रकार गोरे माता–पिता की संतान गोरी व काले माता–पिता की संतान काली होती है। माता–पिता के काले और किसी के गोरे होने पर बालक का रंग किसी पर भी जा सकता है। शरीर का रंग, बाल का रंग, और बनावट, कद, नाक, नक्शा, आवाज आदि वंशानुक्रम के ही प्रभाव से निश्चित होते हैं इन पर वातावरण का प्रभाव नही पड़ता है।

वंशानुक्रम की परिभाषा :–

वुडवर्थ के अनुसार– ''वंशानुक्रम में वे सब बातें सम्मिलित हैं जो जीवन का आरम्भ करते समय, जन्म के समय न होकर अपितु गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में विद्यालय थीं।''

पेटरसन के अनुसार– ''वंशानुक्रम की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि व्यक्ति अपने माता–पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएँ प्राप्त होती है, वह वंशानुक्रम कहलाती है।''

स्त्री और पुरूष के सहवास से स्त्री का राजकण पुरूष के वीर्यकर्ण से मिलकर नए कोष का निर्माण करते हैं जिसको जाईगोट कहते हैं। जाईगोट में न्युक्लियस क्रोमोसोम्स और साइटोप्लाजमा पाये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 44

NOTES

क्रोमोसोम्स पाये जाते हैं, इनमें से 22 क्रोमोसोम्स मां से और 22 क्रोमोसोम्स पिता से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वंशानुगत विशेषताएं प्राप्त होती है। क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। पुरूषों में दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स (x y) स्त्रियों में केवल (x) ही पाये जाते हैं।

गर्भधारण के दौरान माता–पिता के अनुवांशिक गुणों का मिलन होता है। गुणों के हस्ताक्षरण में प्रबल तथा कमजोर जीन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक लक्षण के लिये दो जीन्स का समान गुण होता है जैसे–माता–पिता की आंखों का रंग भूरा है तो बच्चे की आंखों का रंग भी भूरा होगा किंतु एक जीन्स का रंग काला व एक जीन्स का रंग भूरा है तो बालक की आंखों का रंग प्रबल जिन्स द्वारा निर्धारित होगा। प्रत्येक शिशु की गर्भावस्था में एक समान ही वृद्धि होती है, परिवर्तन भी एक से होते हैं। जन्म के बाद भी शारीरिक परिपक्वताा मस्तिष्क तथा मांस–पेशियों का विकास एक क्रम से होता है। इस प्रकार जीन्स यह निर्धारित करते हैं कि, एक जाति के होने के कारण हम सब में समानता है फिर भी रंग, रूप, कद, काठी में अंतर है। यहाँ तक कि एक माता–पिता की संतानों में भी समानता नहीं रहती।

पर्यावरण की परिभाषा :–

जो हमारे आस–पास है वही हमारा वातावरण है। वातावरण में वह सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो बच्चे के व्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करती है। वातावरण दो प्रकार का होता है। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण व्यक्ति के व्यवहार तथा शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण में जलवायु के अलावा और भी चीजें आ जाती हैं, जिन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हैं।

वातावरण/पर्यावरण को परिभाषित करते हुये वुडवर्थ लिखते हैं–''पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरम्भ करने के समय से प्रभावित किया है।''

NOTES

वातावरण बनाम आनुवंशिकता

क्या विकास वंशानुक्रम या वातावरण से निर्धारित होता है ? इस प्रश्न पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शोध अध्ययन किए है। वंशानुक्रमवादी इस बात पर बल देते है कि बाल विकास तथा व्यवहार में वंशानुक्रम कां अधिक प्रभाव पडता है। इसके विपरीत वातावरणवादी कहते है के वातावरण ही बाल विकास तथा व्यवहार का एक मात्र आधार है। शोध अध्ययनो ने इस बात को सिद्ध किया है कि वंशानुक्रम विकास में एक सीमा तक ही प्रभाव करता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा बहुत लम्बे कद वाले मां–बाप के घर पैदा हुआ और उसके भी उतने लम्बे होने की सम्भावना होती है परन्तु किसी बीमारी के कारण या उचित आहार न मिलने के कारण वो उतना लम्बा नहीं हो पाता जितनी की उसकी वंशानुक्रम गुण के कारण आशा की गई। एक दूसरा उदाहरण मधुमेह बीमारी का है जिसकी सम्भावना अगर मां–बाप किसी को भी है तो बच्चे में आने का बहुत सम्भावना रहती है। परन्तु वातावरण से संबंधित कारणो को जैसे कि अधिक मीठा न खाना, अच्छा व्यायाम करना पर ध्यान देने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। इससे यह सिद्ध हाकता है कि विकास वंशानुक्रम या वातावरण दोनो में से किसी एक पर पूर्ण रूप से निर्भर नही है बल्कि दोनो के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर है।

विकास पर वातावरण के प्रभाव :–

1. **समाजार्थिक पृष्ठभूमि** :–जो बच्चे अच्छे समाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारो से संबंध रखते है वे गरीब परिवारो के बच्चो की अपेक्षा जल्दी विकसित होते है। इसका मुख्य कारण है अच्छा आहार कम बीमारी तथा स्वास्थ की अच्छी देखभाल।

2. **पारिवारिक संरचना** :–शहरीकरण तथा संयुक्त परिवारो के विघटन से मां– बाप दोनो नौकरी पर जाने लगते है जिसके वजह से बढते हुए बच्चे को सामाजिक वातावरण नही प्राप्त होता है। बच्चों और मां बाप के बीच जिस प्रकार की अंतः क्रिया होनी चाहिए वह नही हो पाती। इसका भी विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

3. **बौद्धिक वातावरण** :–अगर बच्चे को अच्छा बौद्धिक वातावरण प्राप्त हो जिसमें उसे सीखने समझने तथा अपनी उत्सुकताओ को संतुष्ट करने का अवसर मिले तो निश्चित तौर पर विकास और अच्छी प्रकार से और

तेजी से होता है, इसलिए बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान कराना आवश्यक है।

NOTES

4. **संगी साथी** :—बच्चे के विकास पर उसके संगी साथियो का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अगर बच्चा ऐसे साथियो के साथ रहता है जिनमें अच्छे संस्कार है तथा एक दूसरे के साथ सहयोग से रहने के गुण है तो बच्चा अच्छे विकास के तरफ अग्रसर होता है।
5. **आराम और शारीरिक किया**:— अच्छे विकास के लिए यह जरूारी है कि बच्चे को पुरी नीद आराम तथा उपयुक्त व्यायाम के पूरे अवसर प्राप्त हो। आयु अनुसार बच्चे को यह सब सुविधाए प्रदान करने से विकास में गति आना स्वभाविक है।

स्मरणीय बिन्दु

"वंशानुक्रम एक निर्धारक कारक है तथा वातावरण एक सामान्य शक्ति है। यह दोनों ही कारक एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों कारकों में से किसी कारक के अभाव में भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है।"

सीखना एवं परिपक्वता (Learning and Mataration)

सीखने का अर्थ है— मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में विभिन्न प्रगतिशील परिवर्तनों तथा निरन्तर सुधार होना। मनुष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों तथा निरन्तर सुधर होना। मनुष्य में जन्मजात प्रवृतियाँ होती हैं, जिसके कारण वह क्रियाएँ करता है, इन जन्मजात प्रवृतियाँ होती हैं जिसके कारण वह क्रियाएँ करता है। इन क्रियाओं के करने से कुछ परिस्थितियों का निर्माण होता है। इन परिस्थितियों में समायोजन के लिए वह पुराने अनुभवों द्वारा कुछ परिस्थितियों में समायोजन के लिए वह पुराने अनुभवों द्वारा कुछ परिवर्तन करता है, उसके पुराने व्यवहारों में परिवर्तन होकर कुछ नया आता है। यही नया जो सुधार आता है, जो समायोजन में सहायक होता है, यही सीखना होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है, उसी मानसिक प्रक्रिया के कारण हमारे स्वाभाविक व्यवहार में परिस्थिति अनुसार प्रगतिशील परिवर्तन आता है। सीखने की क्रिया के द्वारा मनुष्य कई नयी प्रक्रियाएँ

करता है तथा जो उसकी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है।

NOTES

गेस्ट के शब्दों में– ''अनुभव स्वयं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना चाहते हैं।''

परिपक्वता– परिपक्वता एक ऐसी क्रिया है जो स्वयं चलती है। इसे अपने आप चलने वाली क्रिया में जिसके कारण मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विवृद्धि पूर्ण तथा मजबूत होती है। यह परिपक्वता की क्रिया मनुष्य ये तब चलती रही है, जब तक स्नायु तथा माँसपेशियों का विकास परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर लेता है। सीखना एवं परिपक्वता का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

आइजेनिक के अनुसार– ''शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक विभेदीकरण तथा एकता की स्वतन्त्रता प्रक्रिया परिपक्वता है जो कि विभिन्न विकासात्मक व्यवस्थाओं में फैली होती है जिसके कारण मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विवृद्धि पूर्ण तथा मजबूत होती है और मनुष्य अपने जीवन से समायोजन करता है।

सीखना एवं परिपक्वता में अन्तर

सीखना	**परिपक्वता**
सीखना अनुभवों द्वारा होता है।	यह प्रक्रिया जन्मजात है।
इसके द्वारा व्यक्तिगत प्रक्रियाएँ विकसित होती है।	इसके द्वारा प्रजातीय प्रक्रियाएँ विकसित होती है।
अभ्यास से प्रभावित होती है। अभ्यास से स्थिरता व सुदृढ़ता आती है।	जन्मजात प्रक्रिया है, इसलिए अभ्यास से अप्रभावित है।
वातावरण का सीखने की प्रक्रिया पर धनात्मक, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।	वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी सुचारू गति से चलती है।
ये चेतनयुक्त प्रक्रिया है।	चेतना में कोई सम्बन्ध नहीं है।
ब्राह्य प्रक्रिया है।	अन्तर प्रक्रिया है।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

1 . निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।

(अ) शरीर का रंग, बाल का रंग, और बनावट, कद, नाक, नक्शा, आवाज आदि .... के ही प्रभाव से निश्चित होते हैं

(ब) मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे के .... और .... को प्रभावित करता है।

(स) .... विकास में एक सीमा तक ही प्रभाव करता है।

(द) विकास .... तथा .... दोनों के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर है।

(ड) बच्चे के विकास पर उसके .... का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

1 . सीखना किसे कहते हैं?

2. सीखना एवं परिपक्वता में क्या अन्तर है।

6.1.6 जन्म के पूर्व विकास

गर्भावस्था (गर्भाधान से जन्म तक)

गर्भस्थ शिशु का विकास उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन से माता–पिता में यौन संबंध स्थापित होने के परिणाम स्वरूप गर्भधारण की क्रिया होती है। आमतौर पर गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल नौ माह, दस या 280 दिन का होता है । स्त्री पुरूष सहवास के समय पुरूष का जीव कोष (शुक्राणु) स्त्री के जीव कोष (ओवम) से मिलकर उसे गर्भित करता है। शुक्राणु और ओवम का मिलन स्त्री के फालोपियन ट्यूब में होता है। यदि यह मिलन हो जाता है तो स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। फोलोपियन ट्यूब में ओवम मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 से 17 दिनों के बीच ही पहुंच पाता है। फोलोपियन ट्यूब में ओवम लगभग 3 से 7 दिनों तक रहता है और यदि ओवम गर्भित नहीं होता है तो नष्ट होकर मासिक धर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ओवम की अनुपस्थित में गर्भधारण संभव नहीं हैं। ओवम के अंदर एक पीले रंग का योग नामक पदार्थ पाया जाता है जो ओवम के भीतर का जीव का पोषण करता है। इस अवधि में जीव का आकार अण्डानुमा होता है, जिसे गर्भधारित अण्डा मां जायगोट कहते

हैं। जिसका आकार पिन की नोंक के बराबर होता है। गर्भावस्था 38 से 40 सप्ताह तक की होती है या 280 दिन।

NOTES

गर्भावस्था को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है :–

1. डिम्बावस्था – गर्भधारण से 2 सप्ताह
2. पिण्डावस्था– 2 सप्ताह से 5 सप्ताह
3. भ्रूणावस्था– 9 सप्ताह से जन्म तक

1. डिम्बावस्था :–

इस अवस्था की अवधि 14 दिन या 2 सप्ताह की होती है। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहा जाता है। इस समय डिम्ब का आकार पिन के हेड के (या एक चौथाई होता है। इस अवस्था में प्राणी अण्डे की आकार का होता है। जिसे गर्भधारित अण्डा या जायगोट कहते हैं इस वक्त यह अपना भोजन डिम्ब केन्द्र से प्राप्त करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया जायगोट के अंदर चलती रहती है परंतु बाहर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डिम्ब के फोलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में आने के पूर्व गर्भाशय में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय की आंतरिक दीवार डिंब को स्वीकार करने की तैयारी कर चुकी होती है। डिम्ब गर्भाशय में पहुंचकर एक सप्ताह तक तैरता है। दस दिनों पश्चात् गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसे रोपण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के बाद डिम्ब अपनी मां के आहार से पोषण प्राप्त करने लग जाता है।

गर्भावस्था में विकासशील प्राणी स्वतंत्रता से तैरता रहता है। उसका संबंध गर्भनाल से केवल नाभिनाल तक होता है। नाभिनाल एक जीवन नालिका की तरह कार्य करती है क्योंकि नाभिनाल की नई बनी हुई धमनियां तथा शिरा में माता एवं विकसित होने वाले बालक के बीच पोषण का आदान–प्रदान करती हैं। नाभिनाल की नालिकाओं के माध्यम से वयस्क व्यक्ति के समस्त संस्थानों का गर्भनाल से अप्रत्यक्ष संबंध जुड़ जाता है। पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, कुछ जीवन सत्व, दवायें, टीके तथा कुछ रोग जनित जीवाणु विकासशील बालक को इसी नाभिनाल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। व्यर्थ पदार्थ दूसरी दिशा को निकल जाते

हैं। पिंड की संरचना को देखा जाएं तो यह तीन परतों से होता दिखाई देता है :—

NOTES

2. पिण्डावस्थाः—

पिण्डावस्था कि अवधि दो सप्ताह से दो माह तक होती है इस अवस्था में पिण्ड में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते है इसी अवस्था में पिण्ड प्रारम्भिक मानव की आकृति को धारण कर लेता है।

पिण्ड की संरचना से देखा जाए तो यह तीन पर्तो से होता दिखाई देता है।

1. **बाहरी परत** (Ectoderm) **:-** इसमें शरीर के सबसे आवश्यक भाग स्नायु—मण्डल, ग्रन्थियां, नाखून, बाल, दांत एवं संपूर्ण बाहरी त्वचा का निर्माण होता है।
2. **मध्य परत** :—इसमें जीवनयापी संस्थानों, रक्त संस्थान, श्वसन संस्थान, विसर्जन संस्थान, मांसपेशियॉ एवं आंतरिक त्वचा का निर्माण होता है।
3. **आंतरिक परत** (Endoderm) :— इसमें शरीर के पाचन संस्थानों के अवयवों, श्वसन क्रिया के अवयवों, गल ग्रथियों व शरीर के अन्य अवयवों का निर्माण होता है।

इस अवधि में पिण्ड का भार 2 ग्राम और लम्बाई 2 इंच हो जाती है। इसमें सबसे अधिक विकास सिर और चेहरे के अवयवों जैसे आंख,नाक, कान, मुंह का होता है। हृदय की रचना पूर्ण हो जाती है और दिल धड़कने की क्रिया शुरू हो जाती है।

इस अवस्था में गर्भ के गिरने व आकृति बिगडने के कारण हो सकते हैं :—

1. मां का स्वास्थ्य खराब होना या मां की बीमारियां
2. कुपोषण
3. अधिक गर्भ होना
4. संवेदात्मक आघात
5. नशीली दवाईयों का सेवन
6. गर्भाशय पर भारी चोट

गर्भनाल का महत्व :–

पिण्डावस्था में गर्भनाल का विकास जारी रहता है। यह पिण्ड से लगी रहती है 6 माह में आधा गर्भाशय ढक लेती है यह पिंड तथा भ्रुण की रक्षा करती है, जब संचालन का कार्य करती है तथा माता के रक्त से आक्सीजन, खाद्य सामग्री, पानी और पोषक तत्वों का जीव तक पहुंचना तथा दूषित पदार्थों को माता के रक्त द्वारा बाहर निकालती है। माता के रक्त तथा गर्भ में विकसित जीव के रक्त में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है।

NOTES

भ्रूणावस्था की अवस्था :–

मां के गर्भ में पूर्ण विकसित बालक– यह अवस्था 2 माह से जन्म तक होती है। इस अवस्था में जीव में कोई नया अंग नही बनता है बल्कि उन अंगों की वृद्धि होती है जो पहली अवस्थाओं में बन चुके होते हैं। गर्भस्थ शिशु में होने वाले विभिन्न क्षेत्रों का विकास भिन्न है।गिलबर्ट ने भ्रुण अवस्था की वृद्धि को निम्न तालिका द्वारा बताया है।

भार एवं लम्बाई का विकास		
भ्रुण की आयु	भ्रुण का भार	**भ्रुण की लम्बाई**
3 माह	3 से 4 आउंस	3 इंच
5 माह	9 से 10 आउंस	लगभग 10 इंच
8 माह	4 से 5 पौंड	16 से 18 इंच
10 माह	6 से 7 पोंड	लगभग 20 इंच

गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक :–

1. **मां का आहार** :– गर्भावस्था में शिशु अपना आहार मां से गर्भनाल (placenta) से प्राप्त करता है। मां का आहार संतुलित और पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। मां के आहार में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स उपयुक्त मात्रा में हो। प्रोटीन से टिशूज (Tissues) का निर्माण होता है। फैट्स शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को

NOTES

शक्ति प्रदान करते हैं। यदि आहार संतुलित नहीं होता है तो शिशु में कई विकृतियां हो जाती है।

2. **मां का स्वास्थ्य** :— गर्भवती स्त्रियों की बीमारियां भी गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। शिशुओं में विकलांगता (शारीरिक व मानसिक) आ जाती है। गर्भपात हो जाता है। अधिक समय तक दवाईयां लेने पर भी शिशु को हानि हो जाती है।

3. **नशीली वस्तुओं का सेवन** :— गर्भवती स्त्रियां शराब व तम्बाकू का सेवन करती है तो इसका प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है तथा उसके हृदय की धड़कने बढ़ जाती है। गर्भस्था शिशु पूर्ण रूप से परिपक्व होने के पहले ही जन्म ले लेता है।

4. **माता—पिता की आयु** :— माता पिता की आयु अगर बहुत छोटी हो उदाहरण के तौर पर पत्नी की आयु 18 से कम तथा पति की 21 से कम अथवा बहुत अधिक हो जैसे कि माता कि आयु 35 वर्ष से अधिक। ऐसी स्थिति में बच्चे के सामान्य होने की सम्भावनाऐं कम रहती है।

5. **मां की संवेगात्मक अनुभूतियां** :— गर्भवती स्त्री की संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भधारण से प्रसन्न नहीं रहती है तो अप्रसन्नता के कारण उल्टियां तथा जी मचलाता रहता है। यदि मां गर्भकाल में चिन्तित तथा भयभीत रहेगी, तो उसका बुरा प्रभाव आने वाले बालक पर पड़ता है इसलिए मां को सदा प्रसन्न रहना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का भी कर्तव्य है कि गर्भिणी के साथ उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण तथा सहानुभुति पूर्णहोना चाहिए।

गर्भावस्था में विकास के चरण :—

दो सप्ताह—भ्रूण स्वयं गर्भाशय के अस्तर से जुड़ जाता है, और तेजी से विकसित होने लगता है।

तीन सप्ताह—भ्रूण आकार लेना शुरू कर देता है, अग्रिम और पीछे का हिस्सा बनना, शुरूआती धड़कन आ जाती है।

चार सप्ताह—इस सप्ताह में मुंड के भाग बनना, आंतों का बनना तथा यकृत का बनना शुरू हो जाता है, हृदय तेजी से विकास करने लगता है तथा सीर और दिमाग पृथक रूप से स्पष्ट होने लगता है।

छः सप्ताह—हाथ तथा पैर विकसित होना शुरू हो जाते हैं, परंतु बांह अभी बहुत छोटी होती है, यकृत में रक्त कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है।

आठ सप्ताह–अब भ्रूण 1 इंच लंबा हो जाता है। चेहरा, मुंह, आंखे तथा कान ने एक संपूर्ण परिभाषित रूप लेना शुरू कर देते है। मांसपेशियों का तथा नरम हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है।

बारह सप्ताह–भ्रूणअब 3 इंच लंबा हो चुका होता है और यह मानव रूप लेने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है, सिर का भाग बड़ा होता है। चेहरा बच्चे के समान होता है, आंखों की पलके और नाखून बनना शुरू हो जाते हैं, लिंग का पता आसानी से चल जाता है। तंत्रिका तंत्र अभी भी शुरूआती होता है।

NOTES

सोलह सप्ताह–भ्रूण 4 इंच लंबा होता है, मां बच्चे की आंतरिक क्रियाओं को महसूस कर पाती है, हाथ–पांव, तथा आंतरिक अंग तेजी से विकसित होने लगते हैं। शरीर के अधिकतम भाग शिशु की तरह होने लगते हैं।

पांच महीने–.गर्भावस्था आधी पूर्ण हो जाती है। किट्स 6 इंच लंबा हो जाता है जब वह सुनने और तुरंत हलचल करने में स्वतंत्र हो जाता है। हाथ और पांव पूर्ण रूप से बन जाते हैं।

छः महीने–भ्रूण अब 10 इंच लंबा हो चुका है। आखें पूर्ण रूप से बन गई है। स्वाद ग्रंथिया, जिह्वा पर आ चुकी है। किट्स सांसे अंदर लेने और बाहर छोड़ने में समर्थ हो चुका है और वह विकसित होने से पहले जन्म लेने पर रोना सीख चुका है।

सात महीने–.यह महत्वपूर्ण अवस्था होती है यदि वह समय से पहले जन्म लेता है तो वह आसानी से जीवित रह सकता है। सांस लेने की प्रक्रिया धीमी या असामान्य होती है।

सात महीने से जन्म तक–.मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती हैं। हलचल स्थिर तथा धनात्मक होती है। इस दौरान भ्रूण मुख्यतः वजन ग्रहण करता है।

शिशु का जन्मः–गर्भधारण के 267 से 280 दिन पश्चात् नव विकसित जीव इस योग्य हो जाता है कि वह बाहरी वातावरण में अपने आपको समायोजित कर लें। जन्म के दो सप्ताह पहले शिशु का सिर गर्भाशय के नीचे की ओर हो जाता है। गर्भस्थ बालक आने योग्य हो गया है माता के शरीर का निचला भाग कुछ नर्म तथा ढीला हो जाता है, ताकि बालक सरलता से बाहर आ सके। इस समय माता अपने शरीर में खिंचाव तथा पीड़ा का अनुभव करती है। जिसे प्रसूति– पीड़ा या प्रसव वेदना कहते हैं। जन्म के समय सामान्य बच्चे का वजन 7 पौंड या 3 किलो होता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु स्वतंत्र रूप से श्वसन क्रिया शुरू करता है तथा बाद में अन्य अंग क्रियाशील होते है और नये वातावरण के साथ समायोजन करता है।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

1. वाक्य पूरा कीजिये :–

(अ) फोलोपियन ट्यूब में ओवम लगभग ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, तक रहता है

(ब) पिण्डावस्था में ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, का विकास जारी रहता है।

(स) जन्म के ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, पहले शिशु का सिर गर्भाशय के नीचे की ओर हो जाता है।

(द) गर्भवती स्त्री की ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(ड) प्रोटीन से ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,का निर्माण होता है। फैट्स षरीर में ईंधन का कार्य करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ,,,,,,,,,,,,,,,,,, प्रदान करते हैं।

2. संक्षेप में लिखिये :–

अ. पिण्डावस्था की संरचना लिखिये

ब. गर्भावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिये

सारांश

इस खण्ड में हमने सीखा कि :–

गर्भाधान से 18 साल तक होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है।

विकास की 5 अवस्थाऐ है– गर्भावस्था, शैशवावस्था, स्कूलपूर्व, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। इन सभी अवस्थओं की अपनी अलग विषेषता है

इन अवस्थाओं से होते हुए बालक में भिन्न प्रकार के बदलाव आते है तथा शारीरिक गत्यात्मक सामाजिक, भावनात्मक, भाषा तथा संज्ञानात्मक विकास होता हैं

वृद्वि उंचाई, वजन और शरीर की संरचना में परिर्वतन को दर्शाता है तथा विकास एक जीव के व्यवहार में समय के साथ प्रगतिशील परिर्वतन को दर्शाता है

बच्चे के जीवन में कुछ अवधि विकास और सीखने के लिये महत्वपूर्ण होती है। जिसके दौरान उसको अनुकूल अवसर मिलने चाहिये जिससे उसका अच्छा विकास संभव होगा। यदि वह ऐसे अनुभवों से वंचित रह जाता है तो उसका विकास अवरूद्व हो सकता हैं ।

माता पिता की वंश परम्परा से प्राप्त होने वाले गुण बच्चे में हस्तान्तरित होते है तथा वातावरण में बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियां शामिल होते है जो बच्चे के सर्वागीण विकास पर प्रभाव डालते हैं । अतः दोनों ही एक तराजू के दो पलड़ो की तरह है दोनो का ही बच्चे के विकास में महत्व हैं जन्मपूर्व विकास में डिम्बावस्था ,पिण्डावस्था भ्रूणावस्था इन सभी के विभिन्न चरण होते है।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न–

1. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें।

(अ) बाल विकास को विकास की अवधि के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता।

(ब) 0–2 वर्ष के बीच की विकास अवस्था शैशवावस्था कहलाती है।

(स) 2–6 वर्ष के बीच की विकास अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है ।

(द) शारीरिक विकास शारीरिक कुशलताओं को संदर्भित करता है

(ड) भाषा विकास अपनी अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है।

2. निम्न की कम से कम दो विशेषताएं लिखें (उत्तर के लिए पेज क्रमांक .... से .... देंखें)

(अ) शैशवावस्था (ब) स्कूल पूर्व वर्ष

(स) बाल्यावस्था (द) किशोरावस्था

अभ्यास 2

1. निम्न में से वाक्य के आगे सही (√) या गलत (X) पर निशान लगाएं।

(अ) विकास एक व्यवस्थित फैशन में होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। (गलत)

(ब) विकास सेलुलर है। यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होता है। (गलत)

(स) विकास आसानी से मापा जा सकता है। गलत

(द) वृद्धि दर में व्यापक व्यक्तिगत अंतर होता है। सही

(ड) विकास जीवन भर जारी रहता है। सही

2. **निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।**

(अ) विकास जीवन भर जारी रहता है।

(ब) विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट होने की कार्यवाही है।

NOTES

(स) वृद्धि एक व्यवस्थित तरीके में होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।

(द) वृद्धि दर में विस्तृत व्यक्तिगत अंतर होता है।

(ड) वृद्धि मापी जा सकती है।

अभ्यास 3

1. आप बच्चे के जीवन में विशिष्ट या संवेदनशील अवधि से क्या समझते हैं (उत्तर के लिए पेज...... देंखें)

2. निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें.

(अ) विशिष्ट अवधि के दौरान, बच्चे को सीखने का अनुकूल अनुभव मिलना आवश्यक है।

(ब) विशिष्ट अवधि के दौरान हानिकारक वातावरण की वजह से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नही हो सकती।

(स) बच्चा जितनी भाषा सुनेगा वह उतना ही सीखने का प्रयास करेगा।

(द) जीवन के दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास पूरा हो चुका होता है।

अभ्यास 4

1. निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।

(अ) शरीर का रंग, बाल का रंग, और बनावट, कद, नाक, नक्शा, आवाज आदि वंशानुक्रम के ही प्रभाव से निश्चित होते हैं

(ब) मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है।

(स) वंशानुक्रम विकास में एक सीमा तक ही प्रभाव करता है।

(द) विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर है।

(ड) बच्चे के विकास पर उसके संगी साथियो का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है

NOTES

अभ्यास 5

1. **वाक्य पूरा कीजिये :–**

(अ) फोलोपियन ट्यूब में ओवम लगभग 3 से 7 दिनों तक रहता है

(ब) पिण्डावस्था में गर्भनाल का विकास जारी रहता है।

(स) जन्म के दो सप्ताह पहले शिशु का सिर गर्भाशय के नीचे की ओर हो जाता है।

(द) गर्भवती स्त्री की संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(ड) प्रोटीन से टिशुज का निर्माण होता है। फैट्स शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं।

2. **संक्षेप में लिखिये :– (उत्तर के लिए पेज .... से .... देंखें)**

अ. पिण्डावस्था की संरचना लिखिये

ब. गर्भावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिये

■■■

6.2 शैशवावस्था एवं आरम्भिक बाल्यावस्था के दौरान विकास

NOTES

यूनिट 1 में आपने बाल विकास, बाल विकास की अवस्थाऐं और विकास के विभिन्न आयामों, वृद्वि विकास में अन्तर एवं विकास के सिद्वान्त को पढ़ा व समझा । अब आप इस यूनिट में शैशवावस्था एवं प्रारम्भिक बाल्यावस्था के विकास के विभिन्न पहलू के बारे में सीखेगें इसके साथ ही विकास के मील के पत्थर एवं विभिन्न विकास हेतु गतिविधियों के बारे में जानेगें

सीखने के उद्देश्यः— इस इकाई के सीखने मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. प्रथम छः वर्षो में बच्चों के विकास के बारे में सीखेगें
2. विकास के विभिन्न चरणों के बारें में सीखेगें
3. छोटे बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे
4. बच्चों के क्रमिक विकास में उत्प्रेरण के महत्व को समझेंगें
5. इस अवधि के दौरान बच्चों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक गतिविधियों के बारे में जानेगें

6.2.1 प्रथम तीन वर्षो के दौरान बालक का विकास

इस उप—इकाई के सीखने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में जानेगें।
2. उसकी क्षमताओं के बारे में जानेगें।
3. पहले तीन वर्षो में विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं को समझेगें।

नवजात शिशु की विशेषताऐं

एक सामान्य नवजात शिशु का भार 2500 ग्राम और लम्बाई 21 इंच होती है। उसके शरीर के बाकी हिस्से का चौथाई भाग उसका सिर होता है। शरीर कोमल बालों से ढका रहता है। उसकी त्वचा लाल झुर्रियों वाली होती है। यद्यपि वह जन्म के समय असहाय दिखता है परंतु उसमें देखने, सूघने, सुनने, स्वाद, छूने की क्षमताएँ होती है और इनसे वह अपने परिवेश से अनुभव

हासिल करता है। इसके साथ–साथ बच्चा कुछ अनैच्छिक सजगताओं (reflexes) के साथ पैदा होता है जो कि विशिष्ट उत्प्रेरण देने पर प्रतिक्रिया देते है। यदि ये अनैच्छिक सजगताएं बच्चे में नहीं है तो वह केन्द्रिय तंत्रिका की अपरिपक्वता की ओर संकेत करती हैं। अनैच्छिक सजगताओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है।

NOTES

1. स्पर्श (Rooting) : जब बच्चे के गाल को छुआ जाये या स्पर्श किया जाता है तो वह अपना मुंह घुमा देता है।
2. चूसना (Sucking): जैसे ही मां का स्तन शिशु के मुंह में डाला जाये तो वह चूसना शुरू कर देता है।
3. पकड़ना (Grasping): यदि बच्चे के हाथ में कोई वस्तु दी जाये तो वह हथेली और अंगुली से उसे कस कर पकड़ लेता है।
4. पलटा (Babinski reflex): यदि बच्चे के पैर के तलुवे पर अंगुली और अंगूठे से झटका दिया जाये तो बच्चा अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाता है और बाकी अंगुलियाँ बाहर की तरफ निकल जाती है।

5- चौकना (Startle): अचानक ऊँची आवाज सुनने या झटका देने पर शिशु अपनी बांहे बाहर फैला कर रोता है।

प्रथम 2 वर्ष में बच्चे का विकास

पहले दो वर्षो के दौरान विकास मुख्यतः शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण तथा मांसपेशियों में समन्वय से संबंधित होता है। बच्चा जन्म से अपने शरीर के विभिन्न अंगों को चलाना कदम दर कदम सीखता है। बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन और फिर धड़ को नियन्त्रित करना सीखता है। बच्चा पैर और हाथ की अंगुलियों पर नियंत्रण करना सीखने से पहले बांह और टांगों पे नियंत्रण करना सीखता है। बच्चा बड़ी मांसपैशियों की क्रियाएँ जैसे दौड़ना, छोटी मांसपेशियों की क्रियाएँ जैसे ड्रांइग, रंग भरना आदि की अपेक्षा पहले सफलता पूर्वक क्रियान्वित करता है।

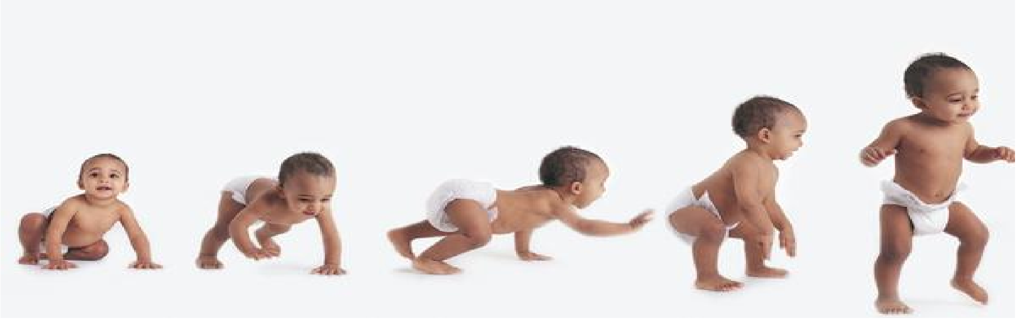

NOTES

जन्म के तुरन्त या बालक के जन्म होते ही पहली भाषा रोना है। दर्द में या संकट के समय रोकर प्रतिक्रिया करता है तथा पुचकारने से शांत हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले बड़ों का विश्वास ग्रहण करता है और यह विश्वास माता या देखभाल करने वाले के प्यार के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है। जीवन के पहले वर्ष में मिला प्यार और ममता उसके जीवन भर के अन्य लोगों से संबधों को प्रभावित करता है। 7 महीने की आयु तक बच्चा अपनी माँ के साथ लगाव प्राप्त कर लेता है तथा यदि उसे माँ से अलग कर दिया जाये तो वह परेशानी महसूस करने लगता है। 18 महीने का शिशु अपने आस–पास के अन्य लोगों से भी लगाव विकसित कर लेता है तथा अपने आस–पास के बच्चों में रूचि लेने लगता है। दूसरे वर्ष में स्व की भावना विकसित होने लगती है तथा बच्चे में अपने से संबधित चीजो और लोगों पर अधिकार की भावना परिलक्षित होने शुरू हो जाती है। अपने खिलोनों को पहचानता है और किसी से साझा करने को तैयार नहीं होता है। यदि जबरदस्ती की जाये तो रोने लगता है। जीवन के पहले वर्ष के दौरान शिशु अपने आसपास के परिवेश से सुन कर अपने वाक्य बनाता है और बोलता है। अपने पहले जन्म दिन पर वह पहला शब्द बोलता हैं और समान्यतः बोलना प्रारम्भ करता है। दूसरे वर्ष में शब्दों को जोड़कर लम्बा वाक्य बनाता है और अपनी बात दूसरो तक पंहुचाता है।

तीन वर्ष की आयु के दौरान विकास

तीसरे वर्ष के दौरान बच्चे का विकास और आगे तेजी से बढ़ता है। इस अवधि में निम्नलिखित गुण विकसित होते है।

बच्चा और अधिक चुस्त और स्वतंत्र हो जाता है। वह आसानी से भाग सकता है, कूद सकता है, पंजो के बल चल सकता है और गेंद को आगे–पीछे ठोकर मार सकता है। बड़े मोतियों में धागा पिरो सकता है तथा मोम वाले कलर (crayons) के साथ सीधी और आड़ी लाईने लगा सकता है।

भाषा का तेजी से विकास होता है। बच्चा छोटे–छोटे प्रश्न जैसे कि ''कहां'', ''क्यों'', ''कैसे'' पूछने लगता है। छोटी–छोटी कहानियाँ सुनने में भी बच्चे को आनंद आना शुरू हो जाता है।

इस आयु में बच्चे की ध्यानावधि सीमित होती है, पंरन्तु उसी ओर जानने की उत्सुक्ता बनी रहती है। बच्चा अपना नाम तथा शरीर के विभिन्न भागों का नाम ले सकता है।

बच्चा छोटी–छाटी गतिविधियों भाग ले सकता है तथा अपनी वस्तुओं के बारे में अधिकारात्मक (possessive) हो जाता है।

बच्चा छोटे–छोटे कार्यों में जैसे कि हाथ धोना, अपने वस्त्र उतारना, दरवाजे खिड़कियों की चिटखनी आदि खोलने में समर्थ हो जाता है।

NOTES

अभ्यास – 1

निम्न वाक्यों को पूरा कीजिये ?

(अ) एक .... का भार 2500 ग्राम और लम्बाई 21 इंच होती है।

(ब) जब बच्चे के गाल को छूआ जाये तो वह उधर ही अपना मुहं घुमा देता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को .... कहते है।

(स) यदि बच्चे के हाथ में कोई वस्तु दी जाये तो वह हथेली और अंगुली से उसे कस कर पकड़ लेता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को .... कहते है।

(द) अचानक ऊँची आवाज सुनने या झटका देने पर शिशु अपनी बांहे बाहर फैला कर रोता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को .. .. कहते है।

(ड़) ....की आयु में बच्चा छोटे–छोटे प्रश्न जैसे कि ''कहां'', ''क्यों'', ''कैसे'' पूछने लगता है।

6.2.2 विकास के विभिन्न चरण

NOTES

सीखने के उद्देश्य :– इस उप–इकाई के सीखने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

विकास के चरण की अवधारणा को समझ सकेगें

जीवन के प्रथम तीन वर्षा में क्रमिक विकास की समझ विकसित कर सकेगें

बाल विकास विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न शोध अध्ययनों पर आधारित बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों में कुछ मापदण्ड तैयार किए गये है। इन मापदण्डों के मील के पत्थर कहा जाता है जो कि एक सामान्य बच्चे को विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के लिये मार्गदर्शक पथ का कार्य करते हैं और ये संकेत देते है कि किस आयु में बच्चों को क्या करना सीख लेना चाहिए। वृद्धि को मापने के लिये आसान चरण है जैसे कि ऊंचाई, वजन आदि जबकि विकास को मापने के चरण ज्यादा जटिल एवं मुश्किल है जैसे कि समाजिक विकास, भाषा विकास एवं सज्ञानात्मक विकास। वैसे तो हर बच्चे के लिये चरण को पूरा होने के लिये एक सामान्य श्रेणी है परन्तु प्रत्येक बच्चा अपनी गति और अपने तरीके से उसे पूरा करता है। कुछ बच्चों में कभी–कभी चरण छूट जाता है अथवा उसे प्राप्त करने में कुछ देरी हो जाती है और कुछ बच्चों में प्रगति दूसरे बच्चों की अपेक्षा तेजी से होती है। अगर कभी किसी बच्चे में कोई चरण प्राप्त करने में कुछ देरी हो जाये तो इससे घबराने की जरूरत नही है परन्तु यदि यह देरी असामान्य हो तो यह एक संकेत है कि बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता है।

आइये हम सीखते है कि बच्चे के जन्म से तीन वर्ष के विकास के दौरान विभिन्न चरणों में कौन–कौन से चरण।

विकास के चरण

आयु जन्म से 1 वर्ष तक

आयु 1 महीना

भूख तथा असुविधा होने पर रोता है।

अपने दोनो हाथों को अपने मुँह के तरफ लाता है।

रूटिंग, चूसना, बाबिंसकी (Babinski) जैसी अनैच्छिक सजगता प्रकट करता है।

आयु 3 महीना

समाजिक प्रतिक्रिया करने लगता है।

'ओ' 'हो' आदि की ध्वनियाँ निकालने लगता है।

प्रकाश, आवाज व गति की ओर गर्दन घुमाना शुरू करता है।

दोनो हाथों की मुट्ठिया बॉध लेता है।

हाथ–पैर ठीक से चलाने लगता है।

आयु 6 महीना

पेट के बल लेटने पर ठोढ़ी को उठाता है और पटकता है।

सिर को उँचा उठाता है और वस्तु तक पहुचता है।

ध्वनि की दिशा में मुड़कर आवाज करता है।

वस्तुओं को पकड़ता हैं।

आगे पीछे रेंगने लगता है।

NOTES

NOTES

वस्तुओं को हाथ में लेकर मुँह में डालता है।

मॉ को पहचानने लगता है।

आयु 9 महीना

घुटने तथा हाथ के सहारे चलने लगता है।

एक जगह पर बैठ सकता है।

छोटी वस्तुओं को ुंगली तथा अंगूठे से पकड़ सकता है।

बिना सहारे बैठ सकता है।

सहारा लेकर खड़ा होने लगता है।

आयु 1 वर्ष

बिना सहारे खड़ा हो जाता है।

वस्तुओं को उठाने लगता है।

बाय–बाय का अर्थ समझने लगता है।

परिचित व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है नाम से पुकारने पर मुड़ कर देखता है।

सरल शब्द बोलता है।

1 से 2 वर्ष के दौरान विकास के चरण

शारीरिक विकास	भाषा का विकास	व्यक्तिगत/समाजिक विकास	संज्ञानात्मक विकास
1, बिना सहारे चल सकता है तथा दो	1, शब्द भंडार में कम से कम 50 शब्द हो जाते है। दो	1, अपना नाम पहचानता है ।	1, तथ्यगत अनुभवों को पहचानता है जैसे देखे

साल से दौड़ने लगता है 2, सहारा देने पर सीढ़ियां चढ़ता है 3, खिलोने तथा डिब्बियों को खीच, ढकेल सकता है 4, बिना सहायता के कम से कम पानी पी सकता है 5, हथेली में चाक या पैन लेकर घिस सकता है। 6, छोटी छोटी चीजे जैसे मोती , बटन आदि उठा सकता है।	शब्दों के वाक्य बोलता है जैसे – पानी दों , मां गई 2, वातावरण में पाई जाने वाली चीजों को पहचानता है तथा नाम बताता हैं	2, छोटे छोटे शब्दों को बड़बड़ाकर तथा अभिनय करके छोटे गीत गाने में भाग लेता है 3, छोटे और सरल र्निदेशों का पालन करता हैं । 4, अन्य बालको की ओर हंसकर और हाव भाव करके प्रतिक्रिया व्यक्त करता हैं 5, खिलाने पर अपना अधिकार दिखाता है अपने खिलोने दूसरों को देना पंसद नही करता है। 6, शौच तथा पैशाब आने पर बताता है।	हुऐ खिलोने को फिर से पहचान लेता है 2, किसी वस्तु को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करता है । 3, कुछ कार्य में कारण को समझने लगता है जैसे झुनझुना हिलाने पर आवाज आने की क्रिया को समझता है।

NOTES

2 वर्ष से 3 वर्ष के दौरान विकास चरण

शारीरिक विकास	भाषा का विकास	व्यक्तिगत / समाजिक विकास	संज्ञानात्मक विकास
1, सीधा चलता, दौड़ता है तथा बक्से एवं सीढ़ियां से कूदता है। 2, बिना सहायता सीढ़ी चढ़ता है। 3, एक पावं पर कुछ समय तक खड़ा रहता है और	1, बड़े वाक्य बोलता है और शब्द को जोड़ कर वाक्य बनाता है। 2, अन्दर–बाहर ,ऊपर– नीचे , सामने–पीछे, आदि को समझता है।	1, कपड़े पहनता है और उतारता है , स्वयं भोजन करता है , 2, थाली गिलास , चम्मच आदि का उपयोग करता है । 3, माता–पिता की नकल करता है।	1, पहले देखी हुई क्रियाओं को पुनः प्रदर्शित करता है। 2, खेलते समय नकल करता है जैसे वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताने के लिये संकेतों का उपयोग करता है।

NOTES

कूदने लगता है। 4, गेंद को पकड़ता और फेकता है। 5, पजल को जोड़ता है।	3, कौन, कब ,कहॉ आदि प्रश्नों के उत्तर देता है। 3, शरीर के अंगों के नाम बताता हैं तथा उससे संबधित छोटे गीत गाता है।	4, हाथ–पैर, मुंह स्वयं धोता हैं 5, आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। 6, निश्चित स्थान पर पैशाब करता है। 7, लोगों को नमस्ते कर अभिवादन करता है।	3, गुटको को जमाता है। 4, चित्रों में पक्षियों जानवरों ,फल आदि को पहचानता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. निम्न वाक्य पूरे कीजिये ?

(अ) बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों में कुछ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, तैयार किए गये है। इन मापदण्डों के ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,कहा जाता है

(ब) वृद्धि को मापने के लिये ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, चरण है

(स) शब्द भंडार में कम से कम ,,,,,,,,,,, शब्द हो जाते है।

(द) खेलते समय नकल करता है जैसे वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताने के लिये ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, का उपयोग करता है।

(ड़) बिना सहारे ,,,,,,,,,,,,, सकता है तथा दो साल से ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, लगता है

2. एक से दो वर्ष की आयु के कोई 4 माइलस्टोन लिखिये ?

(i)————————————————————————

(ii)————————————————————————

(iii)————————————————————————

(iv)————————————————————————

6.2.3 जन्म से 3 साल के बच्चों की आवश्यकताएँ (Needs of Children)

सीखने के उद्देश्यः— इस इकाई के सीखने मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

NOTES

जन्म से 3 साल के बच्चों की आवश्यकताओं का अर्थ समझ सकेगें।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माता—पिता एवं अन्य देखभाल करने वाले व्यक्तियों की भूमिका को समझ सकेगें

हर बच्चे की मूल आवश्यकताओं में खाना, रहना, रोगों से सुरक्षा तथा शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा शामिल है। बच्चों को भावनात्मक सहायता, सुरक्षा, सौहार्द, स्वीकृति ,प्रेम प्रशंसा तथा सराहना की जरूरत होती है । इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके सामान्य विकास से सीधा संबंध रखता है। जरा सोचिए अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते है। यदि किसी बच्चे की ये मूल आवश्यकताऐं पूरी नही होती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिये — शारीरिक जरूरते पूरी न होने से बच्चा कुपोषण और विकलांगता के अलावा मौत का शिकार भी हो सकता है। दूसरी ओर उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी न होने पर वह मानसिक असुरक्षा, लोगों पर अविश्वास, सामाजिक सामजस्यता में कमी तथा आगे चल कर व्यक्तित्व संबधी विकार का भी शिकार हो सकता है।

शारीरिक देखभाल की आवश्यकता

एक शिशु की जीवंतता के लिये यह जरूरी है कि उसकी शारीरिक देखभाल की जाये क्योकि वह अपनी देखभाल स्वयं से नही कर सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी निम्नलिखित जरूरतों को पूरा किया जाये।

खाना खिलाने की जरूरत।

नहाने, कपड़े पहनने तथा सोने की जरूरत ।

साफ–सुरक्षित वातावरण में विकसित होने की जरूरत जहां उसे गर्मी बरसात अत्यधिक ठंड से बचाया जा सके ।

पेशाब या टट्टी करने पर उसकी साफ–सफाई करने की आवश्यकता।

NOTES

प्रेम और पालन पोषण की आवश्यकता

प्रेम के साथ पालन पोषण बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिये आवश्यक है। अगर बच्चे को रिश्तों में प्रेम और दुलार का अनुभव प्राप्त हो तो उसमें सुरक्षा, आत्म विश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को –

बिना शर्त प्यार, दुलार एवं देखभाल प्राप्त हो।

उनसे बातचीत की जाए, पुचकारा जाए एवं उनके साथ खेला जाए।

उनकी बात को सुना जाय तथा उनके साथ समय व्यतीत किया जाय।

उनके छोटे–छोटे कार्यों पर प्रशंसा की जाय।

उत्प्रेरण की आवश्यकता

विकास वंशानुक्रम और वातावरण के पारस्परिक प्रभाव का नतीजा होता है। बच्चा वंशानुक्रम के माध्यम से कुछ चीजें करने की क्षमता लेकर पैदा होता है। दूसरी ओर वातावरण का भी शिशु के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिये यह आवश्यक है कि बच्चे को कुछ उत्प्रेरक अनभवों से अवगत कराया जाये। इन अनुभवों के माध्यम से बच्चे का विकास होता है तथा उसके अन्दर विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न

होता है । जिसके लिये देख रेख करने वाले को बच्चों की निम्न जरूरतो को पूरा करना चाहिये ।

अन्वेषण करने का अवसर देना चाहिये।

खेलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये

भिन्न प्रकार की गतिविधि तथा सामग्रीयों से बच्चो को अवगत कराना चाहिये

NOTES

<u>बच्चों के विकास में लालन पालन करने वालों की भूमिका</u>

बच्चों को बिना शर्त प्यार, दुलार तथा प्रशंसा प्रदान करना।
बच्चों को खेलने एवं खोजने का अवसर देना।
बच्चों को जोषीले ढंग से प्रोत्साहित करना।
बच्चों के साथ खेलें एवं बातचीत करने में रूचि रखे।
वातावरण में घुमाएं एवं बातचीत करें।
प्रेमपूर्वक क्रियाएं कराएं।
बच्चों को पौष्ठिक आहार, शारीरिक देख–भाल, स्वास्थ्य संबंधित देख–भाल प्रदान करना।

अभ्यास के प्रश्न

प्र01. निम्न वाक्य पूरे कीजिये ?

(अ) बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके .... से सीधा संबंध रखता है।

(ब) एक शिशु की जीवंतता के लिये यह जरूरी है कि उसकी .... की जाये।

(स) बच्चो से .... की जाए, पुचकारा जाए एवं उनके साथ खेला जाए।

(द) बच्चों को .... करने का अवसर देना चाहिये तथा खेलने के लिये .... करना चाहिये ।

NOTES

(ड़) बच्चो की बात को ....तथा उनके साथ .... व्यतीत किया जाय।

प्र02. बच्चों की निम्नलिखित किन्ही 2 जरूरतों पर टिप्पणी लिखिये ?

(अ) शारीरिक देखभाल की जरूरत ....

....

....

....

....

....

(ब) प्रेम और पालन पोषण की जरूरत ....

....

....

....

....

....

....

(स) उत्प्रेरण की जरूरत ....

....

....

....

....

....

....

6.2.4 बच्चों में विकास के लिये उत्प्रेरण (Stimulation)

सीखने के उद्देश्यः— इस इकाई के सीखने मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

उत्प्रेरण के अर्थ को समझना।

विकास में उत्प्रेरण की आवश्यकता एवं महत्ता को समझना।

NOTES

उत्प्रेरण का अर्थ

प्रारंभिक उत्प्रेरण द्वारा बच्चे को ऐसे अनुभव दिये जाते है, जो उसके सम्पूर्ण विकास को प्रोत्साहन दें। इसमें वह सभी गतिविधियों व खेल शामिल किए जाते है। जो उसके समेकित विकास (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं भाषा के विकास) में सहायकों, गतिविधियों तथा अनुभवों को बच्चे की परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक अनुभवों का बच्चे की परिपक्वता व समझ पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि —

प्रारंभिक वर्षों में विधि व विकास बहुत तीव्र होती है तथा यह समय विकास की दृष्टि से मुख्य है।

प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों द्वारा आत्मछवि (self esteem) और आत्म अवधारणा (self concept) पर असर पड़ता है तथा उसका बाद के वर्षों में आत्म विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

प्रारंभिक उत्प्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व

आपने यूनिट—1 में पढ़ा है कि बच्चे के विकास के दौरान विशिष्ट समय (critical periods) आते हैं, जबकि बच्चा दिये गये अनुभवों द्वारा अपने मस्तिष्क एवं शरीर का सबसे अच्छा प्रयोग कर सकता है। इसलिए हमें इस अवधि/समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि प्रारंभिक उत्प्रेरण के अवसर बच्चे को पूरी तरह से न उपलब्ध कराये जाये तो उसके विकास की गति धीमी हो जाती है तथा वह आंशिक रूप से ही विकसित हो पाता है। प्रारंभिक उत्प्रेरण बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य एवं परिपक्व बनाने में सहायक होता है।

NOTES

प्यार तथा दुलार किसी भी उत्प्रेरण गतिविधि की नीव है। वयस्क तथा बच्चे की बीच प्यार व स्नेह का रिश्ता उत्प्रेरण को सार्थक बनाने के लिए अतिमहत्पूर्ण है।

संवेदनात्मक अनुभव प्रदान कराना भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बच्चा अपने आस–पास के वातावरण का अनुभव मुख्यतः अपनी पाँच इन्द्रियों द्वारा ही करता है तथा इन्हीं के द्वारा अपने आस–पास के वातावरण में गतिशील होता है, अतः बच्चों के लिए गतिविधियाँ बनाते समय ध्यान रखे के वह संवेदनशील हो।

शारीरिक गतिविधियाँ तथा अन्वेषण आवश्यक है,क्योकि बच्चे अपने आस–पास के वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के साथ छेड़खानी व जोड़–तोड़ करके ज्यादा सीखते है। यह शारीरिक गतिविधियाँ शरीर और मॉंसपेशियों के साथ मस्तिष्क को भी उत्प्रेरित करती है।

संगीत बच्चों को जन्म से ही आर्कषित करता है। लोरियाँ, कविताएँ, लोकगीत आदि बच्चे के पालने के प्रयासों का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए हमें इन संगीतमय गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए तथा इनमें कुछ नई आकर्षक गतिविधियों को भी जोड़ना चाहिए ताकि बच्चें उत्प्रेरण के नये व आकर्षक अनुभव प्राप्त कर सके। दैनिक गतिविधियाँ जैसे – भोजन कराना, कपड़े पहनाना, मालिस करना आदि संगीत के साथ करवाई जाये तो बच्चे के अनुभव और आनंदमय हो जाते है।

खेल बच्चों के लिए एक सहज गतिविधि है, यह एक स्फूर्तिपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा बच्चे अपन आस–पास की छवि अपने विशिष्ट समझ के अनुसार बना पाते है। बड़ों या अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलना या फिर अपने खिलौनों के साथ बातें करना बच्चों में सीखने की क्षमता को और प्रबलता से विकसित करता है।

अभ्यास के प्रश्न

निम्न वाक्य पूरे कीजिये ?

(अ) प्रारंभिक उत्प्रेरण द्वारा बच्चे को सकारात्मक .... दिये जाते है

(ब) प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि व विकास बहुत तीव्र होती है क्योंकि यह समय .... की दृष्टि से मुख्य है।

(स) प्रारंभिक वर्षों के .... द्वारा आत्मछवि (self esteem) और आत्म अवधारणा (self concept) पर असर पड़ता है

(द) यदि प्रारंभिक उत्प्रेरण के अवसर बच्चे को पूरी तरह से न उपलब्ध कराये जाये तो उसके विकास की .... हो जाती है

(ड़) बच्चे अपनी .... से संसाधनों को स्वयं उपयोग करके सीखते हो।

NOTES

6.2.5 तीन वर्ष तक के बच्चे के लिए विकासात्मक गतिविधियाँ

विकास के सूचकांग को समझने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि विकास की दृष्टि से ये प्रारम्भिक वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण होते है। अतः बच्चें को अपनी समझ बढ़ाने के लिये जितने अधिक और व्यवहारिक अवसर व अलग अलग साधनों से संपर्क व अवलोकन का अवसर मिलेगा और जहां बच्चें को अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेंगे वही वातावरण विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जायेगा। जिन घरों में माता–पिता/कार्यकर्ता बच्चें की बढ़ती क्षमताओं का आंकलन कर उसके अनुरूप उत्प्रेरण की दिशा को निर्धारित करते है वही बच्चे का विकास सर्वांगीण विकास होना सम्भव हो पाता है इसलिये जरूरत इस बात की है कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाये जहां बच्चो को सुनने, बोलने तथा अभिव्यक्ति का मौका मिलता हो तथा बच्चे अपनी मर्जी से संसाधनों को स्वयं उपयोग करके सीखते हो। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों को बार–बार करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। साथ–साथ इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि उसके आस–पास कोई वयस्क भी रहे ताकि उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को सही दिशा प्रदान कर सकें। आईए अब

हम आपको बच्चे की आयु अनुसार कुछ गतिविधियों के बारे में जानकारी दें जिसके द्वारा उसके सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके।

जन्म से दो वर्ष तक के बच्चे के लिये विकासात्मक गतिविधियां

NOTES

(अ) शारीरिक गतिविधियॉः–

बच्चे के सामने अपनी उंगली ले जाइये उसे पकड़ने का मौका दे।

बच्चो के सामने झुनझुना या ताली बजाईये ताकि वह अपना सिर ऊंचा उठाकर देखे झुनझुने को एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाये ताकि बालक की नजर उसका पीछा करे।

बच्चे का चेहरा थोड़ी देर के लिए साफ कपड़े से ढक दीजिये और तुरन्त कपड़ा निकाल कर कहिये 'आह'।

बच्चे के शरीर पर ऊगलियों को चलाकर उसे गुदगुदाइये ताकि वह मुस्कुराकर, हलन चलन क्रिया करें।

पेट के बल लेटने पर लुढकने के लिए प्रोत्साहित करें।

खिलौने ऐसे दे जिनको वह पकड़कर मुंह में लेकर चूसने का अवसर दे।

बच्चे की मालिश व हाथ पैरों की कसरत करवाये।

बच्चे को बैठने के लिए तकिये का सहारा दे।

जब बच्चे रेंगनें लगे तब उसके सामने खिलौने रखें जैसे ही वह उसे पकड़ने लिए आगे बढ़े उसे खिसका दे तांकि बच्चे और आगे तक रेंगने लगें।

बालक जब रेंगना प्रारंभ कर दे तब उसके सामने पहिये वाले खिलौने रखें ताकि वह उन्हे धकेले।

बच्चों को जमीन पर बिठाएं और कुछ खिलौने छोटे स्टूल पर रखे ताकि वह उन्हें पकड़ने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न करें।

पकड़कर चलने के लिये प्रोत्साहित करें

बच्चों के साथ तालियां बजाकर, ऊगलियां खोले और बंद करे ताकि बच्चे उसका अनुसरण कर सके।

खिलौने, टेबल, कुर्सी धकेलने का अवसर दें।

जब बच्चा चलना सीख जाए तब उसे पहिये वाले खिलौने दे।

बच्चे के सामने जमीन पर आर्कषक खिलौने रखें ताकि वह उसे लेने के लिये कहें और आप झुककर उठायें ताकि बच्चा भी ऐसा कर सके।

बच्चों को कूदने वाले खेल खिलाये और उसका हाथ पकड़कर कूदने में मदद दे।

NOTES

बच्चो को दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

बच्चो को आसपास के वातावरण से परिचित करायें।

प्राकृतिक वस्तुओं के साथ क्रियाएं करवाये। जैसे– पत्थरो पर पैर रखना, लकड़ी के टुकड़ों पर चढ़ना और उतरना, सीढ़ियो पर चढ़ना, ध्यान दे की इन क्रियाओं को करते में उन्हे चोट न लगें ।

10–12 चीजों को टोकरी में रख कर बच्चों को दे और उन्हें टोकरी से बाहर निकालने का अवसर दें।

बच्चों को ढ़क्कन वाली वस्तुएं दे और उन्हें खोलने व बंद करने के लिए प्रोत्साहित करें।

अलग–2 आकार के डिब्बे दे और बच्चों को उन्हें एक के ऊपर एक क्रम से डालने को कहें।

बच्चो को बड़े मोती दे और धागे में पिरोने का अवसर दे।

बच्चों को बारी बारी दोनो हाथों का उपयोग करने का मौका दे।

बच्चों को मिट्टी तथा पानी से खेलने का मौका दे।

दो तीन वस्तुओं को टोकरी में मिलाकर रख दे और बच्चे को छाटने का मौका दे।

ठोस आहार खाते समय बच्चों की अपने हाथों से चम्मच की सहायता से खाने के लिए प्रोत्साहित करे।

(ब) भाषा विकास हेतु गतिविधियांः–

बच्चे को गोद में बैठाकर उससे बातें करें।

विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के सुनने को अवसर दें।

बच्चों की देखभाल करते समय छोटे–छोटे गीत तथा लोरी गाएं।

NOTES

बच्चो को आसपास की वस्तुएं दिखाकर उनके नाम बताएं।

भोजन बनाते समय कपड़े धोते समय या अन्य दैनिक क्रियाएं करते समय बच्चों से बातें करें।

बच्चो को जब बाहर घुमाने ले जाएं तो अलग–अलग जानवरों की पहचान कराएं और उनकी आवाजें निकालकर बताएं।

बच्चे जब बोलने का प्रयास करते है या नाम बताते है तो उन्हे हॅस कर अपने पास लेकर प्रोत्साहित करें।

बच्चों के साथ सरल व स्पष्ट वाक्य बोले।

संवाद लयबद्ध तथा अर्थ समझने योग्य हो। सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि बच्चे उन्हें दोहरा सके।

बच्चों को साथ लेकर सरल गीत गायें, गीत गाते समय हाथों का हलन–चलन करने का अवसर दें।

शरीर के अवयवों के नाम बतायें व बच्चों को अपने अवयवों के नाम बताने का अवसर दें।

बच्चों से छोटे–छोटे प्रश्न जैसे क्या कर रहे हो। उत्तर की अपेक्षा रखें।

बच्चे की सांकेतिक भाषा को आप शब्दों मे जैसे पत्थरों पर पैर रखना, लकड़ी के टुकड़ों पर चढ़ना और उतरना, सीढ़ियों पर चढ़ना, उतार पर उतरना चढ़ना, सीमेंट के पाईप में से आर पार निकलने दें। ध्यान दें कि इन क्रियाओं को करते समय उन्हें चोट न लगे।

10–12 प्रकार की वस्तुओं को टोकरी में मिलाकर बच्चों को दें और उन्हें टोकरी से बाहर निकालने का अवसर दें।

बच्चों की ढक्कन वाली वस्तुएं दें और उन्हें खोलने व बंद करने के लिए प्रोत्साहित करें।

अलग–अलग आकार के डिब्बे बच्चों कों दे व उन्हे एक के अन्दर एक क्रम से डालने को कहे।

बच्चों को बारी–बारी से दोना हाथों का उपयोग करने का मौका दें।

बच्चों को पानी, मिट्टी तथा पानी से खेलने दें।

दो तीन वस्तुओं की टोकरी में मिलाकर रख दें और बच्चे को छांटने का मौका दें।

ठोस आहार खाते समय बच्चों को अपने हाथो से चम्मच की सहायता से रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

दोहराए जैसेः— बच्चा आपको पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचता है तो उसे आप शब्दों में दोहरायें अच्छा आप बाहर जाना चाहते है, चलिए चलें।

विभिन्न जानवरों; पक्षियों पेड़ आदि की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित कर उनके नाम बताएं और उनकी आवाजें तथा अभिनय कर बताएं।

NOTES

बच्चों की बड़े—बड़े फल, जानवर, सब्जी, वाहन के चित्र दिखाकर उनके नाम उपयोग बनाने का अवसर दें।

बच्चों को अपने से बड़े भाई बहनों तथा आसपास के व्यक्तियों से बोलने के अवसर दें।

उन्हे रेडियो सुनने, टी.वी. देखने व सुनने का अवसर दें एवं उन्हें प्रश्न पूछने के अवसर दें और उनके प्रश्नों के उत्तर दें।

बालक जब पहला शब्द बोलता है तो उसे प्रोत्साहित करें।

(स) सामाजिक विकास की गतिविधियां

बच्चों के आसपास वातावरण रोचक बनाएं व देखने के अवसर दें।

बच्चों को रंगीन, मुलायम झुनझुने खेलने को दे उन्हें चूसने, पकड़ने और हिलाने का मौका दें।

अपना चेहरा हाथ से ढ़ककर छिपा—छिपी का खेल खेलें।

अपने पीछे खिलौना छिपाएं और बच्चों को ढूंढ़ने का अवसर दें।

एक टोकरी में बहुत से खिलौने या वस्तुएँ रखें और बच्चों को खेलने दें। बच्चे जब खिलौने फेकेंगे तब उन्हे टोकरी में इकट्ठा करें। ताकि बच्चे की खिलौनों को यथा स्थान रखना सीखें।

वातावरण मे सूर्य, चन्द्रमां तारे, प्राणी, पक्षी आदि दिखाएं। तारे दिखाते समय उंगलियों तथा आंखो से टिमटिमाने का अभिनय करें।

विभिन्न ध्वनियों से परिचित कराएं जैसे लकड़ी के टूटने की, वस्तुओं के गिरने की, कागज के फटने, घंटी बजने का प्रशिक्षण एवं पक्षियों की आवाजें।

रेत मिट्टी व पानी खेल खेलने के अवसर दें जैसे रेत में छेद करना उंगलियां डालना व छिपना, मिट्टी के खिलौने अपनी कल्पना से बनाने दें। पानी में वस्तुओं को डालने दे व उनका अवलोकन करने दें।

ताला चाभी दें और ताले मे चाभी डालने का अवसर दें।

बच्चों को नल की टोंटी खोलना–बंद करना, बिजली के बटन खोलना बंद करना आदि क्रियाएं करने का अवसर दें। ये क्रियाएं करवाते समय आप उसके करीब रहे।

NOTES

(द) भावनात्मक विकास की गतिविधियां

बच्चों की ओर ध्यान दें। बच्चों पूर्ण रूप से प्यार करें, स्नेह दें, और अपनी गोद में लेकर थपथपाएं। अपने से लिपटायें ताकि वह प्रेम का अनुभव कर सके।

स्तनपान कराते समय बच्चों को थपथपाएं, सहलाएं एवं बातें करें। दूध पिलाने के बाद कंधे पर लेकर पीठ पर हाथ फेरे।

बच्चों को ठोस आहार देते समय वर्णन करें जैसे चावल कटोरी में रखा इसमें दाल डाली और चम्मच से मिलाया व आपके मुंह मे डाला। जब आप खायेंगे तब बलवान व सुन्दर बनेंगे।

जहां तक हो सके नहलाने, खेलने और सोने में नियमितता का पालन करें।

परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेलने का अवसर दें।

बच्चों के मुस्कराने, खेलने, लिपटने आदि भावावेश के दौरान अपनी प्रतिक्रयाएं अवश्य दर्शाएं।

बालक को अपने आस पड़ोस तथा बाग बगीचे मे घुमाने अवश्य ले जायें। और वातावरण को देखने दें।

बच्चो के साथ खिलौने से खेले उन्हे गुदगुदी करे उंगलियों के खेल खेले।

परिवार के सभी सदस्यों के नामों का परिचय कराएं जैसे :– दादा, नाना, चाचा, मामा, मौसी, भैया, दीदी आदि।

आस पास की वस्तुओं से परिचित कराएं जैसे– ये दरवाजा है, ये कटोरी है, यह घड़ी है, आदि।

बाजार जाते समय या दूसरे से मिलने जाते समय बच्चे को साथ ले जायें व उसका भी परिचय कराएं।

घर पर आने वाले परिचित लोगों के साथ पारस्परिक क्रियाएं करने का अवसर दें।

मेहमानों से नमस्ते करने के लिए प्रेरित करें।

भोजन करते समय बच्चे को अपने साथ दरी बिछाकर बिठायें और उसे अपने हाथ से भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें। गिलास मे पानी दें और उसे पीने का अवसर दें।

NOTES

बच्चों की अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने दें, बातें करने दें व खेल–खेल में प्रौढ़ों का अनुकरण करने दें।

प्रौढ़ो के साथ उठने बैठने दें, उनसे बातचीत करने दें।

बच्चों को क्रिया करने के बाद प्रोत्साहन दें तथा बधाई दे जैसे–कटोरी के उठाने पर 'ओहो' आपने कटोरी उठाई आदि।

शौच की आदत डालें उससे समय–समय पर पूछें कि उसे टायलेट जाना है क्या? उसे उचित स्थान पर ही शौच क्रिया करवाएं।

दो वर्ष से तीन वर्ष के बच्चों के लिये विकासात्मक गतिविधियां

(अ) शारीरिक विकास के लिए गतिविधियाँ

बच्चे का हाथ पकड़कर सीढ़िया चढ़ने और उतरने में सहायता करें ।

फर्श पर गिरे पानी के साथ खेल–खेल जैसे–हाथ सिर पर रखकर पंजे पर चलें ,हाथ सीधे रख कर पंजे पर चलें।

जमीन पर 2–2 फीट के अंतर पर पाँच सीधी रेखाएँ खीचें और अपने साथ बालक को रेखा पर कूदने को कहें।

5 फीट की दूरी पर बालक को खड़ा करें और उसकी ओर गेंद फेककर खेलने को कहें और वापस गेंद को आपकी ओर फेंकने को कहें ।

बच्चे को थोड़ी दूरी पर खड़ा करें और गेंद देकर अपनी ओर ठोकर लगाने को कहें। आप भी उसकी दिशा में ठोकर लगाऍं।

बच्चे को किसी सीढ़ी पर खड़ा करें तथा उसे वहॉ से कूदने के लिए कहें।

बच्चे के साथ दौड़ने का खेल खेलें।

एक रस्सी को कुछ ऊॅचाई पर आड़ी बॉधें । बालक को उसके नीचे से जाने को कहें । धीरे–धीरे रस्सी को ऊॅचाई तक तक कम करते रहें जब तक बालक रेंग कर रस्सी के नीचे से नहीं निकलता।

आप गीत गायें ओर गीत की ताल पर बच्चे को नाचने के लिए प्रोत्साहित करें । गीत के साथ–साथ तालियों से ताल दें ।

बच्चे को खिलौने बनाने वाली मिट्‌टी खेलने के लिये दें ।

NOTES

बच्चे को एक मोटा धागा और गत्ते पर छेद किये रंगीन टुकड़ा खेलने के लिये दें।

बालक को एक डंडी दें और उसे गीली जमीन या रेत पर चित्रित करने दें।

बालक को एक कागज या स्लेट और रंगीन चाक या कोयला दें ताकि वह लकीरें खींच सके और चित्रांकन में व्यस्त रहें।

(ब) भाषा विकास के लिए गतिविधियाँ

बालक को हावभाव के स्थान पर शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करने को कहें।

बच्चे को नहलाने ,कपड़े ,पहनाने ,भोजन के समय शरीर के अंगों के नाम बताने को कहें। उदाहरण के लिये जब आप बालक की ओर देखें तो कहें कि मैं दो बड़ी ऑखें देख रही हूॅ. कह कर बालक की ऑखों में देखें वैसे ही कहें कि मुझे एक बड़ी नाक दिखाई दे रही है । बालक की नाक को पकड़ें फिर पूछें कि आपकी नाक कहॉ है? इसी प्रकार शेष अंगों के बारे में भी बतायें । बालक के साथ खेलें, धीरे–धीरे बालक को वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करें ।

बच्चे के बच्चों, गुड़िया प्राणियों की छोटी और मनोरंजक कहानियॉ सुनायें । साथ में चित्र दिखायें और जब वह प्रश्न पूॅछता है तब उसे समाधान कारक उत्तर दें । कहानी कहते समय उॅगलियॉ, हाथ, शरीर, सिर आदि की चेष्टाएँ हावभाव के अनुरूप करें। कहानियों में छोटी–छोटी काव्य पंक्तियॉ हों तो बालक उन कहानियों को अधिक पसंद करते हैं ।

बच्चे को आनंदित करने के लिए छोटे–छोटे सरल गीत गायें और बालक को उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें ।

सरल खेल खेलें, जैसे–बालक को अपने दोनो हाथों की मुटिठयॉ बॉधने को कहें और आप भी वैसा ही करें । हाथों को एक के ऊपर एक रखें और गीत गायें तथा गीत के साथ ताल में सिर भी हिलायें।

बच्चे के साथ बोलते समय धीरे–धीरे सरल और पूर्ण वाक्य स्पष्टता से बोलें । बोलते समय चेहरे पर विषयानुसार उचित हावभाव एवं आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिये।

बच्चे के साथ उसकी जरूरतें खिलौने और रूचियों के बारे में बार–बार वार्तालाप करें। तथा कहानियॉ सुनाते समय या बाद में प्रश्न पूॅछें ।

जब बच्चा किसी के बारे में कुछ सुनाता है, कुछ समझता है या कोई घटना या कहानी सुनाता है तब उसे ध्यान से सुनें।

यदि बच्चा किसी शब्द का उच्चारण सही तरीके से नहीं करता है तब उसे सही तरीका बतायें। फिर भी वह सही उच्चारण न करे तो उस पर दबाव न डालें । उसे अपने ही तरीके से बोलने दें किन्तु आपका उच्चारण सही हो।

NOTES

बालक को अपनी गोद में बिठायें और सचित्र कहानियों की किताब से संबंधित चित्र बता कर जोर से पढ़ें।

(स) व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की गतिविधियॉं

बच्चे को शौचालय का उपयोग करना सिखायें। शौचालय से आने के बाद हाथ और पैर धाने को कहें।

बच्चे को कपड़े पहनने और उतारने की क्रिया स्वयं करने दें। कपड़े उतारने की क्रिया उसके लिए आसान है लेकिन पहनते समय वह हाथ पॉव आगे कर के सहयोग देता है।

अपने हाथ में थाल, कटोरी, चम्मच आदि संभालकर भोजन करने के लिए प्रेरित करें।

अपने काम में बालक को मदद करने दें, गिलास में पानी लाना, किताब टेबिल पर रखना, बाल्टी में कपड़े भिगोते समय सूखते समय, तह किये कपड़े यथा स्थान रखने में उसे मदद करने दें ।

उपरोक्त कार्य करते समय बालक की प्रशंसा करें एवं प्रोत्साहन दें ।

रिश्तेदारों से मिलते समय बालक को अपने साथ रखें । बालक से उसके चाची, बुआ, चाचा, दादा, भाई–बहन आदि के बारे में बातचीत करें। कभी भी बालक को मेहमानों के सामने गाना या कविता सुनाने के लिये बाध्य न करें ।

बगीचा बाजार खेत, नदी, मैदान, प्राणी संग्रहालय जैसे स्थान पर घुमाने ले जायें तथा इनसे संबंधित विषयों पर बातचीत करें ।

अपने खिलौने खाद्य, पेय या अन्य वस्तुयें दूसरे बालक के साथ मिलजुल कर खेलने और खाने के लिये प्रोत्साहित करें ।

बालक से बहुत अधिक अपेक्षा मत रखिये, जैसे 'तुरन्त यहॉ आओ', ऐसा आदेश करना । यदि बालक किसी दूसरे काम में व्यस्त है तो उसे थोड़ा समय दें । थोड़ा धैर्य रखने पर बालक से सहयोग प्राप्त हो सकता है।

NOTES

बालक के लिये सरल तथा कम नियम बनायें और इस बात पर दृढ़ रहें कि इन बातों का पालन हो रहा है कि नहीं ।

यदि बालक चाकू मॉगता है तो दृढ़ता से इंकार करें और उसका कारण भी बताएं।

जब बालक नाखून से नोचकर या लेट कर, सिर पटक कर क्रोध प्रकट करे तो उसे गोद में उठाकर एकांत में ले जायें और उसे शांत करें तथा उसका ध्यान दूसरी तरफ बटायें । यदि फिर भी बालक का क्रोध शांत नहीं होता है तो उसे अकेला छोड़ दें । जब वह समझने की स्थिति में हो तब उसे समझायें और सांत्वना दें ।

(द) संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधियॉ

छिपने तथा खोजने के खेल खेलें। जानवर तथा रेलगाड़ी बनने के अनुकरणात्मक खेल खेलें।

बालक को भिन्न–भिन्न रंग तथा आकार की वस्तुऍ जैंसे –शंख, सीप तथा गोटियॉ खेलने के लिए दें। इनमें से छोटी बड़ी वस्तुओं के बारे में पॅूछें तथा बाद में उन्हें आकारानुसार छॉटने को कहें।

एक टब में पानी डालें और उसमें कुछ वस्तुऍ डालें, बालक को वस्तुऍ निकाल कर देने को कहें। जब यह क्रिया वह कर लेता है तब बालक से पॅूछें –कौंन सी वस्तुऍ डूबी हैं और कौंन सी तैर रहीं हैं?

खाली माचिस की डिब्बियॉ खेलने को दें। उनसे घर, सीढ़ियॉ आदि बनाने के लिये प्रोत्साहित करें। बनाये हुए घर को उसकी गुड़िया का घर बतायें।

माचिस की डिब्बियों के खड़े और आड़े चित्र बनाइये बालक को कहिए कि वह माचिस की खाली डिब्बियों के चित्रों के मेल के साथ रखें।

बालक को विभिन्न फल और खाद्य पदार्थों के स्वाद और गंध का अनुभव करने दें। उसे मीठा, खट्टा, कड़वा, आदि स्वाद चखने दें और फलों के आकार और रूप का संबंध फलों के स्वाद व नाम के साथ जोड़ने को कहें।

विभिन्न बनावट की वस्तुऍ जैसे—फूल की पंखुड़ी, पेड़ की छाल, गुटके या कपड़े का टुकड़ा आदि बालक को दें और उसे नरम और उसे नरम और खुरदरा कौंन सा है ? बताने को कहें ।

बालक को विभिन्न प्राणियों और पक्षियों की आवाज और चालढ़ाल की नकल उतारने को कहें, जैसे—कुत्ता, गाय, बिल्ली, चिड़िया ।

कुछ छोटी बस्तुऍ जैंसे मोती , गुटका ,बीज आदि को लेकर पहले बालक को बतायें बालक से पूछें कौंन से हाथ कौंन वस्तु है ? कभी—कभी बालक को एक हाथ खाली रखकर चकित भी कर सकते हैं । बालक को प्राणियों और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में अवश्य बतायें और उनसे वस्तुऍ पहचानने को दें।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

निम्न वाक्य पूरे कीजिये ?

(1) बच्चे के सामने अपनी उंगली ले जाइये उसे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, का मौका दे।

(2) बच्चों की देखभाल करते समय छोटे—छोटे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, गाए।

(3) बालक जब पहला शब्द बोलता है तो उसे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, करें।

(4) उसे नियत स्थान पर ही ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, क्रिया करवाएं।

(5) मेहमानों से ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,करने के लिए प्रेरित करे।

(6) बच्चे का हाथ पकड़कर सीढ़िया चढ़ने और उतरने में ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, करें।

(7) बच्चे को आनंदित करने के लिए छोटे—छोटे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, गायें और बालक को उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें।

(8) हाथ में थाल, कटोरी, चम्मच आदि संभालकर भोजन करने ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, करें।

(9) अपने खिलौने खाद्य, पेय या अन्य वस्तुएं दूसरे बालक के ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, कर खेलने और खाने के लिये प्रोत्साहित करें ।

(10) स्थानीय उपलब्ध सामान से ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, बनायें।

NOTES

6.2.6 स्कूल पूर्व वर्षो (3–6 वर्ष) के दौरान विकास

सीखने के उद्‌देश्यः– इस उप–इकाई के सीखने के मुख्य उद्‌देश्य निम्नलिखित है :

स्कूल पूर्व आयु में विकास की समझ होगी

स्कूल पूर्व आयु में विकास की गतिविधियों को समझ सकेगें

3 से 6 वर्ष के दौरान विकास

(अ) शारीरिक विकास :–

हॉलाकि बच्चे की लम्बाई व वजन बढ़ना जारी रहता है। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात विकास की दर प्रारंभिक वर्षों से काफी कम हो जाती है। प्रायः इस आयु के दौरान बच्चों का वजन 2 से 3 किलो तथा लम्बाई 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। बच्चे विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे दौड़ना, कूदना, वस्तुओं को उठाना, चीजों को जोड़–तोड़ करना आदि के द्वारा शारीरिक क्षमता तथा संतुलन ग्रहण करते है। एक बच्चे के मस्तिष्क का वजन व्यस्क व्यक्ति के 90 प्रतिशत वजन तक 6 साल की आयु में पहुँच जाता है।

(ब) गत्यात्मक विकास :–

शाला पूर्व वर्षों में बच्चे शारीरिक रूप से काफी गतिशील होते है तथा वह गति से संबंधी विभिन्न कौशलों में परांगत हो जाते है तथा अपने समय का एक बड़ा हिस्सा दौड़ने, कूदने, फाँदने अथवा झूले झूलने में व्यतीत करते है। बच्चे मोम के रंगों से तरह–तरह के आड़ी–सीधी लकीरे खीचते है तथा चित्रों में रंग भरना शुरू करते है। बच्चे मिट्‌टी, पानी, रंगों आदि के साथ अनेकों प्रयोग करते है। उन्हें तो बस प्रयोग करने के लिए कुछ न कुछ मिलना चाहिए फिर देखिए आप उनका कौशल। गत्यात्मक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है हांलाकि सीखने का अनुक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए समान होता है। परंतु प्रत्येक बच्चा अपनी सीखने की क्षमता के अनुसार से अलग–अलग समय में इन अवस्थाओं से गुजरता है। सूक्ष्म एवं स्थूल माँसपेशियों के विकास से संबंधित गत्यात्मक कौशल अनुवांशिकी, शारीरिक

विकास, स्वास्थ्य तथा मिले हुए अनुभवों पर निर्भर करता है। खराब स्वास्थ्य अकसर शारीरिक विकास संबंधित व कौशल को प्राप्त करने में देरी करता है।

NOTES

(स) भाषा का विकास :–

बच्चे अपनी स्थानीय भाषा को समझने लगने के साथ बात करने में और बातों को समझने में सक्षम होने लगते हैं। वे न केवल हर सुने हुए शब्द की नकल करने लगते हैं बल्कि शब्दों के अर्थ को समझकर उन्हें अलग–अलग संदर्भ में प्रयोग करना सीखने लगते हैं। वे अब सही व्याकरण का प्रयोग कर वाक्य बनाने लगते हैं तथा प्रभावी ढंग से विशेषण, सर्वनाम तथा क्रियाओं का प्रयोग करना सीख जाते है। उनकी भाषा, वयस्कों की भाषा से मेल खाने लगती है। वे प्रश्न करने लगते हैं तथा प्रश्नों का उत्तर सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार देने लगते हैं। हांलाकि उनकी अभिव्यक्ति तथा स्पष्ट जोड़ बन्दी में कुछ कमी रह जाती है। धीरे–धीरे 5 साल की अवस्था तक उनका उच्चारण भी सुधरने लगता है। शाला–पूर्व बच्चों को शब्दों से खेलना अच्छा लगता है। वे गाना गाने लगते हैं, कविताएं व चुटकुले सुनाने लगते हैं।

(द) मानसिक विकास :–

बच्चे इस समय तक अपने आस–पास के संसार की अच्छी–खासी समझ, रखने लगते हैं। वे अपनी समझ, लोगों, वस्तुओं व घटनाओं के आधार पर अपने आस–पास के संसार के बारे में साधारण अवधारणाएं बनाने लगते हैं। वे जिस तरह से संसार को देखते हैं, उसी तरह से उसे समझते हैं। अगर किसी वस्तु की भौतिक आकृति में परिवर्तन होता है तो ये बच्चे समझते हैं कि उस वस्तु में कुछ हटाया या जोड़ा गया है। शाला–पूर्व बच्चे बड़े ही जिज्ञासु होते हैं तथा वे जो भी देखते, सुनते, सोचते व महसूस करते है उसकी अपने अनुभव के अनुसार समझ पैदा करते हैं। शाला–पूर्व बच्चे निर्जीव वस्तुओं में मनुष्यों वाले गुण महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे मनुष्य, खाना खाते हैं, सोते है, दर्द महसूस करते हैं उसी तरह उनके संसार में उपस्थित हर वस्तु चाहे वह पेड़ हो या उनका कोई भी खिलौना, उन सभी में गुण देखते हैं जो मनुष्यों में होते हैं।

NOTES

उनके अनुभव अक्सर आस–पास के वातावरण से हुए व्यक्तिगत संवाद के आधार पर विकसित होते है। हाँलाकि उनका सारा समय गतिधियों में व्यतीत होता है लेकिन वे किसी एक गतिविधि में ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते। उनके एकाग्रचित हो कर ध्यान लगाने की अवधि कम होती है जोकि उम्र के साथ–साथ बढ़ने लगता है।

(ई) सामाजिक विकास :–

शाला–पूर्व अवस्था में बच्चा पहली बार अकेला बाहर आना सीखता है। बच्चे को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने के साथ–साथ माँ की सहायता के बिना अपने आपको सम्भालना भी सीखना पड़ता है। बच्चे का सामाजिक दायरा भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब परिवार के सदस्यों के अलावा उसके वातावरण में अन्य व्यक्ति, साथी तथा अध्यापक भी शामिल हो जाते है। माता पिता तथा अन्य व्यक्ति बच्चे को लगातार समझाते रहते हैं कि उससे क्या–क्या बातें अपेक्षित हैं। बच्चे समझने लगते हैं कि उन्हें बड़ों तथा हम उम्र साथियों के साथ जैसे व्यवहार करना है ? वे अपनी इच्छाएं व्यक्त करना सीख जाते हैं, किन्तु साथ ही यह भी जान जाते हैं कि किन बातों को ना मानने से माता–पिता या अध्यापक की डाँट खानी पड़ सकती हैं । वे समाज के कुछ नियमों को समझने लगते हैं। बच्चे लिंग के अनुरूप पहचान बना लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि सिर्फ छोटे बाल रखने से या निकर पहनने से लड़की, लड़का नहीं बन जाती या फ्रॉक पहनने से लड़का, लड़की नहीं बन जाता।

(फ) भावनात्मक विकासः–

बच्चे इस अवस्था में पिछली भावनाएँ जैसे खुशी, गुस्सा दुख आदि के साथ सामाजिक भावनाओं एक पूरी नयी रेंज जैसे, गर्व, आत्मग्लानि, शर्म इत्यादी का भी अनुभव करते हैं। वे अपने भावों को खुलकर व्यक्त करते हैं। खुश होने पर वे, कूदते–फाँदते है, उसी तरह गुस्सा होने पर वे चिल्लाते हैं, रोते हैं तथा चीजें इधर–उधर फेंकते हैं। उनकी सहनशीलता की क्षमता कम होती है तथा वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में हुई देरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। साथ ही बच्चों में अनेकों प्रकार के डर भी पैदा हो जाते हैं जैसे, अँधेरे का डर, भूत का डर, मृत्यु का डर, स्कूल का डर। क्योंकि ये डर विकासात्मक प्रकृति के होते हैं अतः समय के साथ बच्चे इनसे बाहर निकलते जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों को आत्म नियंत्रण सीखने में सहायता करनी पड़ती है साथ ही उन्हें यह भी सिखाना पड़ता

है कि संकट की अवस्थाओं में वे अपनी भावनाओं को कैसे संचारित करें। जैसे–जैसे बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ता है वे सक्रिय रूप से अलग–अलग लोगों से बात–चीत करना सीख जाते हैं।

NOTES

विकास के मील के पत्थर

आयु 3 से 4 वर्ष

शारीरिक विकास	भाषा का विकास	व्यक्तिगत / समाजिक विकास	संज्ञानात्मक विकास
1. ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल सकता है। 2. लाइन पर चल सकता है। 3. एक पैर से कूद सकता है। 4. खिलौनो को धक्का दे सकता है तथा खींच सकता है। 5. पहिये वाले खिलौने पर बैठ कर चल सकता है। 6. साईकिल चलाने की तैयारी कर सकता है। 7. ऊपर से नीचे कूद 8. सकता है। 9. गेंद को पकड़ सकता है।	1. छोटे–छोटे वाक्यों को समझने लगता है। 2. वाक्य में बोले गये समय को समझ सकता है जैसे :– कल हम बाजार जायेंगे। 3. बड़े तथा छोटे आकार को समझनें लगता है। 4. रिश्ते नातों को समझने लगता है, व वाक्य में बालने लगता है जैसे :– यह मेंरी मॉ है, यह मेंरे पिता जी है 5. एक साथ ही निर्देशों को समझने लगता है। 6. दो या तीन शब्दों के वाकयों को बोलने लगता है जैसे :– भैया	1. अन्य बच्चों के साथ खेलता है। 2. खिलौने को बॉट लेता है खेल कर जहॉ से लिए है वहॉ रख सकता है। 3. नाटकीय खेल, खेल सकता है सभी प्रकार का अभिनय कर सकता है जैसे :– यातायात के साधनों, परिवार के सदस्यों तथा प्राणियों की चालों की नकल कर सकता है। 4. छोटे गिलास में पानी डाल सकता है। 5. बड़े बटन लगा व खोल लेता है। 6. हाथों को धो लेता है	1. रंगो का मिलान कर सकता है 2. आकार को लाने का बोलने पर याद रख कर ला सकता है 3. समान चित्र को निकाल सकता है 4. अपनी आयु व नाम बता सकता है 5. प्रोत्साहन देने तथा समझाने पर प्रत्यय निर्माण होता है जैसे :– गुड़िया उस टेबल पर रखों 6. तीन से चार पजल जमा सकता है

NOTES

10. गेंद को फेक सकता है। 11. मीनार जमा सकता है। 12. मिट्टी के खेल, खेल सकता है।	कुर्सी पर बैठ जाओं। 7. एकवचन ओर बहुबचन का प्रयोग करने लगता है। 8. प्रश्न पूछने पर उत्तर दे सकता है जैसे :– कौन है ? कैसे है ? के साधारण उत्तर दे सकता है। 9. मै ओर मेरा का उपयोग करने लगता है। 10. सुने हुये गीत, कहानी को दोहरा सकता है 11. यह इसका है ? यह उसका है ? बता सकता है 12. परिवार के परिचित अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत कर लेता है	7. नाक आने पर पोंछ लेता है। 8. टायलेट का प्रयोग कर लेता है। 9. अपनी वस्तुओं के उठा लेता है तथा स्वयं कपड़े पहन व उतार लेता है।	

आयु 4 से 5 वर्ष तक

शारीरिक विकास	भाषा का विकास	व्यक्तिगत / समाजिक विकास	संज्ञानात्मक विकास
1. आगे–पीछें चल सकता है।	1. जल्दी में बोले गये दो या तीन आदेशों को समझ सकता है।	1. अन्य बच्चों के साथ खेलने में रूचि रखता है।	1. चार से छः रंगो का नाम बता सकता है

2. एड़ी तथा पंजे पर चल सकता है। 3. बिना थके जल्दी–जल्दी कूद सकता है। 4. सीढिंया चढ़ उतर सकता है। 5. कागज पर सीधी लाईन कैची से काट सकता है। 6. आकार खैच सकता है। 7. 1 से 5 तक के नंबर लिख सकता है।	2. सुन्दर, बहुत सुन्दर व सुन्दरता को समझकर तुलना कर सकता है। 3. क्रम बद्धता की समझ हो जाती है। 4. शिक्षा पूर्व कौशलों का प्रदर्शन कर सकता है। 5. कौन, कब, कैसे प्रश्न पूछ लेता है। 6. दो वाक्यों को बोल सकता है जैसे :– मुझें केला ओर दूध पसंद है। 7. बोलने में व्याकरण के शब्दों का प्रयोग करने लगता है तथा साथ ही कारको का प्रयोग करने लगता है। 8. बातचीत में इस प्रकार से, इस प्रकार आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है।	2. नाटक खेलने में भाग लेता है। 3. सरल, घरेलू कार्यो में मदद करता है। 4. चाकू की सहायता से आलू और टमाटर काट सकता है। 5. जूते का फीता बांधने लगता है। वस्तुओं से खेलकर उन्हें उनके स्थान पर रख देता है।	2. शब्दों के खेल, खेल सकता है जैसे :– तुकान्त शब्दों की रचना करना, समान ध्वनि वाले शब्द बनाना 3. एक समान वस्तुओं का मिलान करता है जैसे :– जूते, मोजे, सेव, संतरा, केला आदि 4. अपने शहर/ गॉव/ मोहल्ले का जानता है 5. उसकी एकाग्रता में अधिकता होती है 6. समय की संकल्पना समझता है जैसे :– आज–कल, सुबह–शाम,

NOTES

NOTES

आयु 5 से 6 वर्ष तक

शारीरिक विकास	भाषा का विकास	व्यक्तिगत/समाजिक विकास	संज्ञानात्मक विकास
1. कूद सकता है। 2. उछल सकता है। 3. रस्सी कूद सकता है। 4. सरल आकार को कैंची से काट सकता है। 5. अक्षरों को देखकर लिख सकते है। 6. 1 से 5 तक के नंबर लिख लेते है। 7. लाईन के अंदर रंग भर लेते है। 8. पेसिंल पकड़कर उपयोग करता है। 9. दायें ओर बायें हाथ में कुशलता आती है। 10. आकार में रंगीन कागज के टुकड़े चिपका लेता है।	1. संदेश सुनकर सुना सकता है। 2. किसी विषय पर बातचीत कर सकता है। 3. अपना नाम, आयु, पता तथा माता–पिता का नाम बता सकता है। 4. परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों व बड़ो के साथ बातचीत कर सकता है।	1. अपने साथी का चुनाव कर लेता है। 2. छोटे समूह में नियम के अनुसार खेल लेता है। 3. पूरा खेल, खेल सकता है। 4. खेल में दूसरे बच्चों की मदद करता है। 5. त्योंहार, सभा में सक्रिय भाग लेता है। 6. बच्चों के साथ घूमना शुरू कर देता है। 7. अपने कपड़े स्वयं पहन व उतार लेता है। 8. अपने दॉत स्वयं साफ कर लेता ह। 9. अपने जूते मोजे स्वयं पहन व उतार लेता है। 10. आत्म निर्भर हो जाता है।	1. चित्र पुस्तक में 1 से 10 तक की गिनती को याद कर सकता है। 2. वस्तुओं को अलग – अलग छांट सकता है जैसे :–रंग, आकार, आकृति के आधार पर। 3. प्रतिदिन के क्रिया कलाप को घड़ी के समय के आनुरूप करने लगता है। 4. बड़ो के समान याद करने लगता है। 5. बड़ो के साथ बातचीत करने में रूचि लेने लगता है।

तीन से छः साल के बच्चों के लिये विकासात्मक गतिविधियां

NOTES

अनुभाग 2.2.2 तथा 2.2.3 मे हमने जन्म से 2 साल तथा 2 से 3 साल के बच्चों के लिए विकास की गतिविधियों के बारे में जाना। आईए अब इस अनुभाग में 3 से 6 साल तक के बच्चों की गतिविधियों के बारे में जाना जाये। यह जानना भी जरूरी होगा कि निम्नलिखित गतिविधियाँ उदाहरण के रुप में है, इनके अलावा आप और बहुत गतिविधियों के बारे में सोच सकते है।

(अ) शारीरिक विकास हेतु गतिविधियाँ– बड़े स्नायु के विकास हेतु

बच्चों के समाने की ओर सीधा चलने के लिए प्रोत्साहित करें।

आधे फिट के ऊँचें प्लेट फार्म (लकड़ी की पट्टियां) पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें।

मैदान में पड़ी हुई बेलनाकार (सीमेन्ट का पाईप) वस्तुओं पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे, आवश्यकता होने पर हाथ पकड़े।

एड़ी और पंजे पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे।

रस्सी के खेल खिलायें जैसे :– सीधी रस्सी पर चलना, झीपझेप रस्सी पर चलना, रस्सी कूदना आदि।

प्राणियों की चाले चलवायें जैसे :– खरगोश, मेढ़क, हाथी आदि।

समूह में खेल खेलने दे जैसे :– पकड़म पारी, नदी पहाड़ आदि।

बच्चों को लगड़ी करने कूदने, फुदकने, उछाल के लिए प्रेरित करें।

गेंद के खेल खिलाएं जैसे :– सामने गेंद फेकना, ऊपर फेंकना, दांये फेकना, बांये फेकना, ठोकर मारना, पकड़ना आदि।

समूह में यदि गेंद खेलते है तो डॉयबाल, थ्रो बाल खेलने के लिए प्रेरित करें।

गेंद से स्वत्रंत रूप से खेलने के अवसर दें।

नृत्य की सरल क्रियायें सिखाएं, छुंछर, झांझ आदि की ताल पर नाचने को कहें।

स्थानी लोंक नृत्यों में सहभागी होने दे।

बच्चों को पुराने टायर को गोल–गोल घुमाने के अवसर दे।

टायर के खेल खिलायें जैसे :– टायर में कूदो, टायर पर चलों, टायर में से निकलो आदि।

NOTES

बच्चों को पेड़ की कम ऊंची शाखाओं पर चढ़ने उतरने के अवसर दे, शाखाएं मजबूत हो इस बात का ध्यान रखें व बच्चें जन यह क्रिया करते हों तब आप वही रहें।

बच्चों के शारीरिक नियंत्रण हेतु खेल खेले जैसे :– मूर्ति का खेल, अंधे का गोलीबार, ताल बृद्व हलन–चलन, छिपन छिपाई आदि।

(ब) शारीरिक विकास हेतु गतिविधियाँ – छोटे स्नायुओं के विकास हेतु

बड़े मोती धागें में पिरोने के लिए दें ।

सिलाई बोर्ड (कार्ड बोर्ड के टुकडे बीच में छेंद दो) में लेश डालने के अवसर दे।

बच्चों को चॉक, पेन्सिल, ब्रश, रंगीन चाक दे व स्वत्रंत रूप से जमीन, स्लेट तथा कागज पर चित्र बनाने के अवसर दे।

मिट्टी के खिलौने बनाते के लिए प्रेरित करें ।

कागज की घड़ियां बनाने दे जैसे :– नाव, मेढ़क आदि।

कैंची के कागज को काटने का अवसर दे ।

रंग व ब्रश दे ताकि वे अपनी इच्छा से चित्रों में रंग भर सकें ।

छपाई करने हेतु भिण्ड़ी, आलू, पत्तियां दे ताकि वे रंग में उन्हें डुबाकर कागज पर छाप सके।

बच्चों को सरल आकृति जैसे :– गोल , चौकोन, तिकान निकालने को कहें ।

आकृतियों में बांये से दांये लाईन खिचने को कहें ।

अर्धवृत्त, आड़ी तथा खड़ी रेखाएं खीचने को कहें।

छोटें–छोंटे बीजे जैसे :– (इमली, सीताफल, खजूर आदि) इकट्ठा करके बड़ी कटोरी में दे तथा इन्हें अलग–अलग करने को कहें।

डिब्बों के ढ़क्कन खोलने व बंद करने को दें।

सुई धागा व फूल देकर माला बनवाएं।

जमीन, स्लेट या कागज पर बिन्दु लगाकर आकृति बनाकर बच्चों को बिन्दु जोड़ने को दें।

सुई में धागा डालकर कपड़े पर बटन टांकने का अवसर दें।

(स) भाषा विकास हेतु गतिविधियाँ

NOTES

बच्चों को विभिन्न ध्वनियों को पहचानने के अवसर दे जैसे :— गांड़ियों की आवाज, पंछियों की आवाज, जानवरों की आवाज, बर्तनों की आवाज आदि।

बच्चों के साथ बोलते समय सरल शब्द, क्रिया, सर्वनाम, विशेषणों का प्रयोग करें।

छोटी—छोटी कहानियाँ हाव भाव के साथ आवाज में उतार—चढ़ाव लाकर सुनाएं जैसे :— कहानियां उसके परिचित पात्रों की हो।

बच्चों को बोलने के लिये प्रोत्साहित करे।

बच्चों से मुक्त वार्तालाप करें जब वे किसी घटना का वर्णन करते है तो उनसे प्रश्न पूछकर और बोलने के अवसर दें।

छोटे—छोटे अभिनय गीत को हाव भाव व ताल के साथ गाने के लिए प्ररित करें।

दैनिक घटना क्रम का वर्णन करने को कहें।

शब्दो के खेल जैसे :— प्रथम अक्षर समान व अंतिम अक्षर समान आदि जैस :— मटका, मगर, मन आदि।

सचित्र पुस्तक बच्चों को पढ़कर सुनाएं पृष्ठ बदलने का अवसर दे।

बच्चें जब प्रश्न पूछें तो शांति पूर्ण उन्हें उत्तर दे।

बच्चों को उनके नाम, लिंग, पता, माता—पिता व शिक्षिका (दीदी) का बताने के अवसर दें।

बच्चों को कहानी सुनाएं व उनकी सहायता से कहानी के प्रसंग जोंड़कर नई कहानी का निर्माण करें।

बच्चों के साथ ऐसे खेल खेलें जिनमें पर्यायवाची शब्द हो जैसे :— बड़ा—छोटा, ऊपर—नीचे, यहॉ—वहॉ, अंदर—बाहर आदि।

पहेलियां बूझें जैसे :— मै हरे रंग का हूॅ, हरी मिर्ची खाता हूॅ, टें टें बोलता हूॅ बताओं कौन मै कौन हूॅ ?

हमारे मददगार के लिये चित्र दिखाकर उनके कार्यो के बारे में बातचीत करें जैसे :— डॉक्टर, डाकिया, शिक्षक आदि।

बच्चें जब खिलौने से खेल रहे हो तब आप उसमें सम्मिलित होकर उनसे प्रश्न पूछें जैसे :— गुड़िया को बहुत भूख लगी है क्या करें ? आदि।

NOTES

बच्चों को एक अक्षर देकर शब्द बनाने को कहें जैसे :– ''न'' नल, नमक, नाम, नाव आदि।

कविताओं की तुकबंदी करने का अवसर दें।

सचित्र कहानियां किताब दें।

कुछ कार्ड जिन पर आस पास की वस्तुओं के नाम लिखे हो जैसे :– नल, पेड़, घड़ी, टेबल, कुर्सी आदि इन कार्डो को उनके चित्रों के सामने जमाने को कहें।

(द) संज्ञात्मक विकास हेतु गतिविधियां

बच्चों को वातावतरण की अलग–अलग वस्तुओं के साथ अनुभव प्राप्त करनें का अवसर दें।

स्पर्ष द्वारा वस्तुओं को पहचानने व तुलना करने का अवसर दे जैसे :– कठोर–नरम, चिकना–खुरदुरा, गीला–सूखा आदि।

खाई हुई वस्तुओं के स्वाद पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें जैसे :– आज आपने क्या खाया ? हलवा, हलवा कैसा था ? मीठा, आदि।

पानी के स्त्रोतों व उपयोग के बारे में बातचीत करें।

पानी स्वाद हीन, रंगहीन आदि प्रयोग द्वारा बतायें जैसे :– गिलास में पानी डालकर नमक डाले व चम्मच से हिलाये वह घुल जायेगा, कंकड़ डालेगें तो नही घुलेगें। इसी प्रकार रंग मिलाकर बताएं स्वाद हेतु पानी में नीबू निचाड़ कर पिलायें या शक्कर घोलकर पिलाये व पूछें कैसा लगा।

बच्चों को रूमाल धोकर धूप में सुखाने को कहें फिर पूछें पानी कहॉ गया इस प्रकार उनकी जिज्ञासा को बढ़ाये।

हल्की वस्तुएं हवा में उड़ती है जैसे :– कागज, पत्तियां, आदि इनको देखने के अवसर दें।

बच्चों को अपनी हथेली पर फूंक मारकर हवा का अनुभव लेने दे।

बच्चों को गर्म तथा ठंड़े का अनुभव लेने दें (मौसम के अनुरूप बातचीत करके भी बताया जा सकता है)।

बच्चों के साथ बोलते समय ऊंचा–ठिगना, बड़ा–छोटा, ऊपर–नीचे, आगे–पीछे, आदि शब्दों की संकल्पना का विकास करने का प्रयास करें।

गणित की अंक पूर्व आवधारणा को विकसित करें जैसे :— छोटा—बड़ा, ऊंचा—ठिगना, लंबा—कम लंबा, पास—दूर, पहले—बाद में, कम—ज्यादा आदि।

NOTES

शारीरिक अंगों के बारे में बात—चीत करें जैसे :— नाक एक, कान दो आदि।

समय की संकल्पना प्रश्न पूछकर विकसित करें जैसे :— सूरज कब निकलता है आप कब सोकर उठते हो ? स्कूल कब आते हो? आदि इसी प्रकार दैनिक जीवन के बारे में भी प्रश्न पूछें जैसेः— दॉत कब साफ करते हो, शौच कब जाते हो, नहाने कब जाते हों, खाना कब खाते हो, खेलने कब हो, सोते कब हो आदि।

विभिन्न रंगो को दिखाकर नाम बताये व वातावरण में ढूढ़ने का अवसर दें जैसे :— ये लाल रंग का रूमाल है अपने आस—पास इस रंग को छूकर बताएं।

फूल पत्तियां आदि के रंग के बारे में चर्चा करें।

रंगो के गीत सिखांये जैसे :— लाल, हरा, पीला, लाल बताओं क्या ? लाल—लाल टमाटर, लाल—लाल गाल आदि।

4 — 5 वस्तुएं बच्चों को दिखाएं फिर उसमें से एक कम कर दें फिर बच्चों से पूछों आपने कौन—कौन सी वस्तुएं देखी थी वे नाम बताएंगें और जो नही दिख रही है उसका नाम बताएंगें।

बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित गिनने को कहें जैसे :— दो कटोरी लाओ, चार चम्मच लाओ, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग करें की जिनमें संख्या का प्रयोग हो।

बच्चों को पॉच पत्तियां जमीन पर रखने को कहें तथा उनके साथ बीज जमाने को कहें।

अपने आसपास के वातावरण में जानवर, पक्षी, पेड़, पौधें, कीड़े, मकोड़े, फूल, सूर्य, चन्द्र, तारे, आदि से परिचित करवायें व पहचान बनाएं।

समान आकृतियों की जोड़ी बनाने को कहें।

आकारों को सही छिद्र में जमाने का अवसर दे।

बच्चों को बहुत से गोल व एक त्रिभुज दे व भिन्न पहचानने को कहें। इसी प्रकार जानवर के कार्ड दे व उनमें एक पक्षी दे व अलग पहचानने का अवसर दें।

NOTES

बच्चों को विभिन्न वस्तुएं एकत्रित करने दें उन वस्तुओं के साथ काल्पनिक खेल खेलने दें।

बच्चों को खिलौने के साथ खेलने दें।

बच्चों को गीली मिट्टी दे तथा उससे अलग–अलग प्रकार की वस्तुएं फल, सब्जियां, खिलौने, घर आदि बनाने दें।

आकृति बनाकर एसके टुकड़े करके बच्चों का दे ताकि वे पुनः आकृति निर्माण करें जैसे :– कार्ड बोर्ड पर खरगोश का चित्र बनाकर काट कर टुकड़े–टुकड़े करके दे बच्चें पुनः टुकड़ों को जोड़कर आकृति बनाएं।

अधूरा चित्र देकर बच्चों को पूरा करने को कहें जैसे :– स्लेट पर अधूरा हाथी बनाकर दे बच्चें उसे पूरा करें।

दीवार पर कलेण्डर टांगे व बच्चों को दिन दिनांक एवं माह देखने के अवसर दें।

बच्चों को पत्थर दे व उन्हें उनके तीन समूह बनाने को कहें जैसे :– छोटे पत्थर, बडे पत्थर, व बीच के पत्थर इन्हें क्रम से बड़े से छोटें की ओर भी जमवाएं आदि।

कुछ पत्तियां एकत्र कर बच्चों को उनमें से चौड़ी व सकरी पत्तियां छांटने को दे।

कंकड, बटन, पत्तियों के समूह बनाये व बच्चों को उनकी संख्या लिखने को कहें।

बच्चों के साथ पहेलियां, चित्र पूरा करो, उलझी रेखाओं वाले खेल खेले।

सह संबंध वाले चित्र दे व जोड़ी बनाने को कहें जैसे :– ताला–चाभी, सुई–धागा, चकला–केलम, गाय–बछड़ा, कुत्ता–पिल्ला, आदि।

(ई) सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ

बच्चों को उनके नाम से पुकारें।

बच्चों को हम उनके साथ खेलने दे। अपने खिलौने, खाने की वस्तुओं को मिल बॉट कर उपयोग करने दें।

बच्चों को परिचित, पड़ोसी, रिश्तेदार के साथ बातचीत करने के लिये प्रेरित करें।

NOTES

बच्चों को नियमित रूप से नियत स्थान पर शौच तथा टायलेट करने के लिये प्रेरित करें, तथा पानी का उपयोग सिखाएं जैसे :– पानी डाला या नही, हाथ धोया है नही प्रश्न कर पूछें।

बच्चों अपनी दैनिक क्रिया करने के लिये प्रेरित करें।

घर तथा विद्यालय में बच्चों को साथ लेकर धार्मिक उत्सव तथा समारोह में उत्साह पूर्वक भाग लेने दें।

बच्चों को छोटी–छोटी जिम्मेदारियां सौपे जैसे :– घर में अपने से छोटे भाई–बहनो को सम्भालने का मौका दे। विद्यालय में अपने सामान को सही जगह रखने तथा साथियों के साथ मिलाकर अपनी कक्षा को व्यवस्थित करने का मौका दें।

बच्चों की तुलना न करें। उसके कार्यो की प्रशंसा करें। दूसरों के सामने आलोचना न करें।

मारना, गुस्सा करना डांटना आदि से परहेज करें।

भोजन के पूर्व तथा पश्चात् हाथ धोने की आदत डालने पर ध्यान दें।

दैनिक क्रियाएं जैसे :– दॉत साफ करना, नहाना आदि के बारे में प्रश्न पूछों की साफ किये है या नहीं।

घर तथा विद्यालय में उसके लिये जगह दे जहॉ वह अपना सामान रख सकें व खेल सके, पुनः अपना सामान व्यवस्थित रख सकें।

खेलते समय उन्हें अनुकरण करने दे जैसे :– माता का रोल, शिक्षिका का रोल आदि।

बच्चों के खेल में आवश्यकता होने पर ही हस्तक्षेप करें अन्यथा नही करें। झगड़ा होने पर समूह में सामजस्य स्थापित करें।

शिष्टाचार हेतु अतिथियों का स्वागत करने का अवसर दें।

छोटे–छोटे कार्यो में बच्चों की मदद लेना जैसे :– भोजन परोसना, सब्जी धोना आदि।

नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार करें तथा उनके कारणों का पता लगायें प्रेम तथा धीरज से काम ले किन्तु दृढ़ रहें।

बच्चों को अपने कार्य स्वयं करने दे जैसे :– रूमाल धोना, कपड़े की घड़ी करना, कपड़े पहनना, उतारना, जूते मोजे पहनना, उतारना आदि।

NOTES

घर तथा विद्यालय साफ रखने में उनकी मदद लें।

त्योहार या समारो में उनकी भागीदारी ले जैसे :— दरवाजे पर रंगोली डालना तोरण बनाना, पताका बनाना आदि।

रिश्तेदारों के घर, सामाजिक समारोह में, जाते समय बच्चों को अपने साथ ले जायें व अन्य बच्चों तथा वयस्को से घुलने मिलने तथा सहभागी होने दें।

बच्चें को सहनशील, सहिष्णु और विनयशील बनने के लिये प्रेरित करें ।

अभ्यास के प्रश्न

निम्न वाक्य पूरे कीजिये ?

क. बच्चों की सूक्ष्म एवं ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, के विकास एवं नियंत्रण की ज़रुरत होती है ।

ख. छोटे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, के विकास में अंगुलियों, आंखों व पैर के पंजों की छोटी मांसपेषियों का उपयोग होता है ।

ग. ,, का अर्थ है ऐसे मानसिक कौशल हासिल करना है

घ. परिवारजनों और शिक्षकों के साथ रहने से बच्चों में ,,, की समझ विकसित होती है।

ड़. रचनात्मक गतिविधियाँ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, विकास में मदद करती है।

प्र0 2 शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास हमतु 4 गतिविधियां लिखिये

....

....

....

....

....

प्र0 3 भाषा एवं रचनात्मक विकास हेतु 4 गतिविधिया लिखिये ....

....

....

....

....

....

सारांश

इस इकाई में हमने सीखा कि :—

जन्म से ही बच्चा कुछ क्षमताओं के साथ (पांच ज्ञानेन्द्रियां) एवं अनैच्छिक सजगजता के साथ पैदा होता है।

पहले दो वर्षो में बच्चा शरीर के विभिन्न अंग नियन्त्रित करता है तथा मांसपेशियों में समन्वय सीमित करने की कोशिश करता है।

तीसरे वर्ष में शरीर के अन्य अंग नियंत्रित करता है साथ भाषा एवं मानसिक विकास के लिये कौशल प्राप्त करता हैं

बच्चें के विकास के विभिन्न चरणों के मापदण्ड को मील के पत्थर कहा जाता है जो एक बच्चे की सामान्य अवस्था में विकास को दर्शाता हैं तथा संकेत देता है कि किस आयु में बच्चे को क्या करना सीख लेना चाहिये ।

बच्चे को विकास के दौरान शारीरिक देखभाल, प्रेम पूर्ण पालन पोषण तथा उत्प्रेरण की आवश्यकता होती हैं ।

उत्प्रेरण बच्चे के विकास के लिये वह वातावरण उपलब्ध कराता हैं जिसमें बच्चे को अपनी ज्ञानेन्द्रियो एवं क्षमताओं का उपयोग करने के अवसर प्राप्त हो जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके।

विकास के दौरान विभिन्न गतिविधियां होती हैं जिससे उसका उत्तम विकास संभव है उसे अलग अलग तरह की गतिविधियां करने के अवसर दिये जाये ताकि उसे प्रोत्साहित किया जाये ।

3 से 6 आयु समूह के बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित करनी चाहिये। इस आयु में बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयारी करराना भी माता पिता तथा देखभाल करने वालो की एक बड़ी जिम्मेदारी हैं ।

NOTES

अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

NOTES

अभ्यास :–1

निम्न वाक्यों को पूरा कीजिये ?

(अ) एक नवजात शिशु का भार 2500 ग्राम और लम्बाई 21 इंच होती है।

(ब) जब बच्चे के गाल को छूआ जाये तो वह उधर ही अपना मुहं घुमा देता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को रूटिंग कहते है।

(स) यदि बच्चे के हाथ में कोई वस्तु दी जाये तो वह हथेली और अंगुली से उसे कस कर पकड़ लेता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को पकड़ना (grasping) कहते है।

(द) अचानक ऊँची आवाज सुनने या झटका देने पर शिशु अपनी बांहे बाहर फैला कर रोता है। इस अनैच्छिक सजगता (reflex) को Babinski कहते है।

(ड़) 3 वर्ष की आयु में बच्चा छोटे–छोटे प्रश्न जैसे कि ''कहां'', ''क्यों'', ''कैसे'' पूछने लगता है।

अभ्यास :–2

(अ) बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों में कुछ मापदण्ड तैयार किए गये है। इन मापदण्डों को मील के पत्थर कहां जाता है

(ब) वृद्वि को मापने के लिये आसान माइलस्टोन है।

(स) शब्द भंडार में कम से कम 50 शब्द हो जाते है।

(द) खेलते समय नकल करता है जैसे वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताने के लिये संकेतों का उपयोग करता है।

(ड़) बिना सहारे चल सकता है तथा दो साल से दोड़ने लगता है।

अभ्यास :—3

(अ) बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके सामान्य विकास से सीधा संबंध रखता है।

(ब) एक शिशु की जीवंतता के लिये यह जरूरी है कि उसकी शारीरिक देखभाल की जाये।

(स) बच्चों से बातचीत की जाए, पुचकारा जाए एवं उनके साथ खेला जाए।

(द) बच्चों को अन्वेषण करने का अवसर देना चाहिये तथा खेलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

(ड़) बच्चों की बात को सुना जाय तथा उनके साथ समय व्यतीत किया जाये।

NOTES

अभ्यास :—4

(अ) प्रारंभिक उत्प्रेरण द्वारा बच्चे को सकारात्मक अनुभव दिये जाते हैं

(ब) प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि व विकास बहुत तीव्र होती है क्यों कि यह समय विकास की दृष्टि से मुख्य है।

(स) प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों द्वारा आत्मछवि (self esteem) और आत्म अवधारणा (self concept) पर असर पड़ता है।

(द) यदि प्रारंभिक उत्प्रेरण के अवसर बच्चे को पूरी तरह से न उपलब्ध कराये जाये तो उसके विकास की गति धीमी हो जाती है।

(ड़) बच्चे अपनी मर्जी से संसाधनों को स्वयं उपयोग करके सीखते हो।

अभ्यास :—5

(1) बच्चे के सामने अपनी उंगली ले जाइये उसे पकड़ने का मौका दे।

(2) बच्चों की देखभाल करते समय छोटे—छोटे गीत तथा लोरी गाए

(3) बालक जब पहला शब्द बोलता है तो उसे प्रोत्साहित करें।

(4) उसे नियत स्थान पर ही शौच क्रिया करवाएं।

(5) मेहमानों से नमस्ते करने के लिए प्रेरित करें।

NOTES

(6) बच्चे का हाथ पकड़कर सीढ़िया चढ़ने औरउतरने में सहायता करें।

(7) बच्चे को आनंदित करने के लिए छोटे–छोटे सरल गीत गायें और बालक को उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें ।

(8) हाथ में थाल, कटोरी, चम्मच आदि संभालकर भोजन करने के लिए प्रेरित करें ।

(9) अपने खिलौने, खाद्य, पेय या अन्य वस्तुयें दूसरे बालक के साथ मिलजुल कर खेलने और खाने के लिये प्रोत्साहित करें ।

(10) स्थानीय उपलब्ध सामान से खेल सामग्री बनायें

अभ्यास :–6

(अ) विकास का अर्थ है जटिल कार्य करने की क्षमता हासिल करना और कौशल सीखना।

(ब) अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो उनमें ऊर्जा रहती है और वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

(स) मानसिक विकास का अर्थ मानसिक कौशल हासिल करना है।

(द) बच्चे सामाजिक व सांस्कृतिक अंतः क्रिया के ज़रिये भाषा सीखते हैं

(ड़) सामाजिक व भावनात्मक विकास का अर्थ यह है कि बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, उन पर नियंत्रण रख सके ।

(ड) रचनात्मक गतिविधियाँ भावनात्मक विकास में मदद करती है, जिससे बच्चे का सौंदर्यबोध बढ़ता है।

प्र0 2. निम्न गतिविधि के आगे संबधित विकास लिखिये ?

1. किसी विषय पर बातचीत कर सकता है। (भाषा का विकास)
2. खेल में दूसरे बच्चों की मदद करता है। (सामाजिक विकास)
3. वस्तुओं को अलग – अलग छांट सकता है (संज्ञानात्मक विकास)
4. एड़ी तथा पंजे पर चल सकता है। (शारीरिक विकास)

■■■

6.3 प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा

NOTES

ECCE का प्रारम्भ कब हुआ–

बच्चे के जीवन के पहले छह साल सबसे महत्वपूर्ण हैं और इस अवधि में विकास की गति तेज होती है इसीलिए इन वर्षों को विश्व स्तर पर संपूर्ण जीवन के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। इस क्षेत्र में हाल के शोध ने भी 'महत्वपूर्ण समय' के ठोस सबूत उपलब्ध करवाएं है जिसके बारे में आपने पिछले इकाई में पढ़ा है। शोध ने यह भी

बताया है कि इन वर्षों में समृद्ध वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास अपनी पूरी क्षमता में नहीं हो सकता है। इसलिए ईसीसीई हमारे बच्चों के पूर्ण विकास के लिए विशेष महत्व रखती है। इस इकाई में आप बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की अवधारणा, ईसीसीई के उद्देश्यों और इसकी आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। आप भी मप्र के विशेष संदर्भ के साथ भारत में बच्चों की स्थिति, ईसीसीई के लिए संविधान और नीति की रूपरेखा तथा भारत में ईसीसीई सेवाओं का भी अध्ययन करेंगे। बचपन के दौरान अभिभावकों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी।

शिक्षण उद्देश्य :

इस इकाई का मुख्य शिक्षण उद्देश्य आपको ईसीसीई के उद्देश्य, आवश्यकता और अवधारणा को समझाना और मप्र राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में बच्चों की स्थिति का एक सिंहावलोकन देना और मप्र व भारत कें प्रमुख ईसीसीई कार्यक्रमों से अवगत करवाना है।

6.3.1 प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का परिचय

शिक्षण उद्देश्य

इस उप इकाई के अध्ययन के बाद आप प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की अवधारणा और अर्थ को समझ सकेगें।

NOTES

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की अवधारणा

प्रारम्भिक बाल्यावस्था का अर्थ 0–6 साल की आयु अवधि है। जीवन की इस अवधि को सबसे तेज विकास और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है जैसे बात करना, चलाना, बढ़ना, डर का सामना करना, प्रसन्नता और खुद को खोजना तथा घर के बाहर के वातावरण में समायोजित होना। इस अवधि के दौरान बच्चे स्वायत्त होना और आसपास के वातावरण में वस्तुओं के साथ प्रयोग करना सीखते हैं। वे अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति जीवंत जिज्ञासा दिखाते हैं, अन्य बच्चों के साथ का आनंद उठाते हैं और वयस्कों के व्यवहार की नकल करते हैं। इस स्तर पर, बच्चे हर समय खेलते हैं। खेल शरीर को बढ़ने का अवसर और प्रतिबिंबित, सहानुभूति, भाव, खोजने, गिनने, आत्म अनुशासन, संवाद और मेलजोल करने का मौका देता है। खेल रचनात्मकता को बढ़ावा और उच्च स्तरीय बौद्धिक संरचनाओं को विकसित करता है।

बच्चे आसानी से भयभीत, नाराज और उदास हो जाते हैं इसलिए बचपन क्षणभंगुर भावनाओं जैसी विशेषता के कारण जाना जाता है। धैर्य और बच्चों की भावनाओं की समझ से उन्हे प्रसन्नतादायक, संतुलित और अच्छे व्यवहार वाले विकास में सहायता मिलेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक बाल्यावस्था की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनकी माता – पिता और अन्य देखभालकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि बच्चे को श्रेष्ठ स्थितियां उपलब्ध करवाई जा सके।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की खास विशेषताएं

सबसे तेज विकास

बच्चा चलना, बोलना, लगाव जोड़ना, भय का सामना और खुशी पाना सीखता है।

स्वतन्त्र होना सीखता है।

आसपास के वातावरण में वस्तुओं के साथ प्रयोग करता है।

आसपस घटने वाली घटनाओं के प्रति जिज्ञासा दिखाता है।

खेलना, संवाद करना और सामाजिक होता है।

इस समय उसे विशेष देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है।

ईसीसीई में, शब्द **'देखभाल'** का अर्थ है शिशुओं और बच्चों का ध्यान रखना है। देखभाल मानव शिशु की अनिवार्य आवश्यकता है। देखभाल के बिना एक शिशु का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः ध्यान देने की गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:

NOTES

परिवार उचित आहार प्रथाएं अपनाएं। शिशुओं व बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त करवाएं।

बच्चें को साफ और स्वच्छ परिवेश प्रदान करवाएं।

दुर्घटनाओं से संरक्षण सुनिश्चित करें।

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक देखभाल यानी स्नेह, प्रेम और उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बातचीत करना।

अच्छी देखभाल चाहे माता – पिता से मिले या अन्य वयस्कों से, एक अनुकूल वातावरण बनाती है और सीधे तौर पर बच्चों के जीवित रहने , वृद्धि और विकास में योगदान देती है।

शब्द ईसीसीई में **'शिक्षा'** अनौपचारिक स्कूल पूर्व की शिक्षा को दर्शाता है। स्कूल पूर्व कार्यक्रम की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

यह बच्चों के शरीर को विकसित होने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का अवसर देता है;

हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों जैसी महीन मांसपेशियों को ताकत और समन्वय की क्षमता मिलती है और बच्चे रंग भरना, लिखना, गांठ बांधना आदि गतिविधियां सीखते हैं

बच्चे वस्तुओं को जोड़ तोड़ के माध्यम से और स्वयं द्वारा कार्य करके सीखते हैं;

स्कूल पूर्व शिक्षा प्रकार, आकार, संख्या, स्थान और संबंधों की अवधारणा को समझाती है।

बच्चों को विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वे अच्छी तरह से समायोजित, खुश और उत्पादक वयस्कों के रूप में विकसित हो सकें। ईसीसीई में जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को स्वस्थ शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और प्रेरक वातावरण प्रदान करना, माता – पिता, परिवार, समाज और राष्ट्र की ओर से गतिविधियां, अवधारणाएं और प्रतिबद्धता शामिल हैं। यह उन्हें विकसित

NOTES

होने और उनके सामर्थ्य को पहचानने, समाज व परिवार के उपयोगी सदस्य और देश के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन के रूप में विकसित होने के लिए मजबूत नींव रखने में सक्षम बनाती है।

ईसीसीई गतिविधियों में गर्भवती महिला की देखभाल भी शामिल है क्योंकि प्रसव पूर्व सुरक्षित शुरुआत स्वस्थ नवजात शिशुओं की दिशा में पहला सुनिश्चित कदम है। ईसीसीई में शिशु की देखभाल, मां की देखभाल और बच्चे की देखभाल पर सामुदायिक जागरूकता में सुधार भी शामिल है। इस प्रकार, ईसीसीई कार्यक्रमों में शामिल है :

घर, क्रेच और आंगनवाड़ी में 0–2 वर्ष के शिशुओं और बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक उत्प्रेरण

शरीर, बुद्धि, सामाजिक–भावनात्मक कौशल और भाषा और संचार क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने को 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा।

परिवार और समुदाय में गर्भवती महिलाओं की देखभाल।

बच्चे की सकारात्मक देखभाल प्रथाओं पर माता पिता की शिक्षा और समुदाय की जागरूकता में सुधार लाना

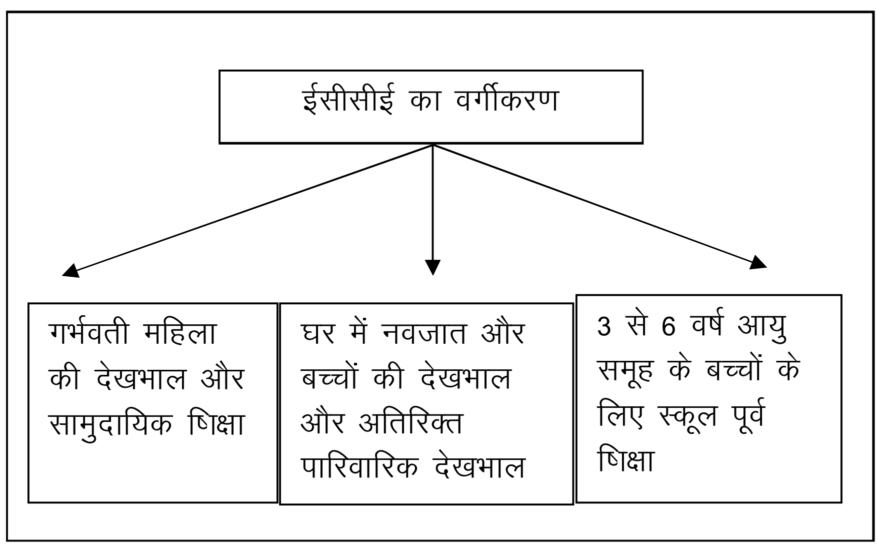

भारत सरकार की ईसीसीई पर राष्ट्रीय नीति (2012) के तहत ईसीसीई की परिभाषा

इस नीति का प्रयोजन और उसके तहत कार्रवाई बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) जन्म के पूर्व से छह साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कार्यकम और प्रावधानों को बताता है, जो बच्चे की सभी क्षेत्रों उदाहरण के लिए शारीरिक, गत्यात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और रचनात्मक और सौंदर्य प्रशंसा में विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है और स्वास्थ्य व पोषण पहलुओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करती हैं। इसकी निरंतरता में **ईसीसीई** प्रत्येक उप चरण के लिए विकास संबंधी प्राथमिकताओं को शामिल करेगा जैसे देखभाल, 3 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक एवं शीघ्र प्रेरणा/ बातचीत, 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अधिक संरचनात्मक मोड़ में विकासात्मक उपयुक्त स्कूल पूर्व शिक्षा और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नियोजित तत्पर स्कूली घटक। इस प्रकार यह नीति 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए हर क्षेत्र में जारी सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों/ संबंधित सेवाओं पर लागू होती है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी, क्रेच, प्ले ग्रुप/स्कूलों, प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, बालवाड़ी, प्रारंभिक स्कूलों, किंडर गार्टन्स, तैयारी स्कूल, बालवाड़ी, घर आधारित देखभाल आदि के साथ चल सकती है और जन्म के पूर्व से छह वर्ष की उम्र तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

NOTES

आओ पुनरावृत्ति करें

प्रारम्भिक बाल्यावस्था सबसे तेज विकास और वृद्धि की अवधि है। इस अवधि के दौरान सीखना काफी तेज होता है। इसलिए इस अवधि के दौरान बच्चों के लिए समृद्ध वातावरण का प्रावधान विषेष महत्व का है।

ईसीसीई 0–6 साल के बीच के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को दर्शाता है। इसमें गर्भवती मां की देखभाल और बच्चे की दोनों शारीरिक और प्रेरणा की आवष्यकता की पूर्ति के लिए समुदाय को षिक्षित करना शामिल है।

एक अच्छा ईसीसीई कार्यक्रम बच्चे के बाद के विकास के लिए ठोस आधार तैयार करता है।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

(i) निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें

(क) इस अवधि में बच्चे स्वायत्त होना और आसपास के वातावरण में वस्तुओं का ,,,,,,,,,,,,, करना सीखते हैं।

(ख) ईसीसीई में, 'देखभाल' का अर्थ है, बच्चों का ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, है।

(ग) बच्चा आसपास के वातावरण में ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, प्रयोग करता है।

(घ) बच्चे वस्तुओं को जोड़ तोड़ के माध्यम से और ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, करके सीखते हैं;

(ड) ईसीसीई में शिशु की देखभाल, मां की देखभाल और बच्चे की देखभाल पर ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, में सुधार भी शामिल है।

(ii) प्रारम्भिक बाल्यावस्था की अहम् विशेषताएं क्या हैं

____

____

____

____

____

____

____

(iii) आप ईसीसीई की अवधारणा से क्या समझते हैं? अपने ही शब्दों में संक्षेप में लिखें।

____

____

____

____

____

____

____

6.3.2 प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता और महत्व

NOTES

शिक्षण उद्देश्य

(i) ईसीसीई के महत्व और औचित्य को समझ सकेगें ।

(ii) एक बच्चे के जीवन में प्रारंभिक वर्षों के महत्व को समझ सकेंगें ।

पिछले कई दशकों में दुनिया भर में प्रारम्भिक बाल्यावस्था में विकास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं। विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों से एक साफ तथ्य प्राप्त हुआ है कि बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बुद्धि, व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार तेजी से विकसित होता है। आप पाठ्यक्रम की इकाई एक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति के इष्टतम् विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन के पहले छह साल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस अवधि में सबसे तेज विकास होता है जिसके फलस्वरूप यही वह समय है जब बेहतर वातावरण या उसके अभाव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यह समय जीवन के बाद के वर्षों के विकास की नींव है अतः इसके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि विकास केवल आहार या शारीरिक देखभाल का मशीनी कार्य नहीं है बल्कि स्नेह की उष्मा और सीखने के अवसरों के साथ स्वस्थ्य वातावरण से उपजी संपूर्ण बेहतरी की भावना है। निम्नलिखित चार्ट 0–6 साल के बीच बच्चों के विकास दर के संबंध में शोध के परिणामों का सार प्रस्तुत करता है

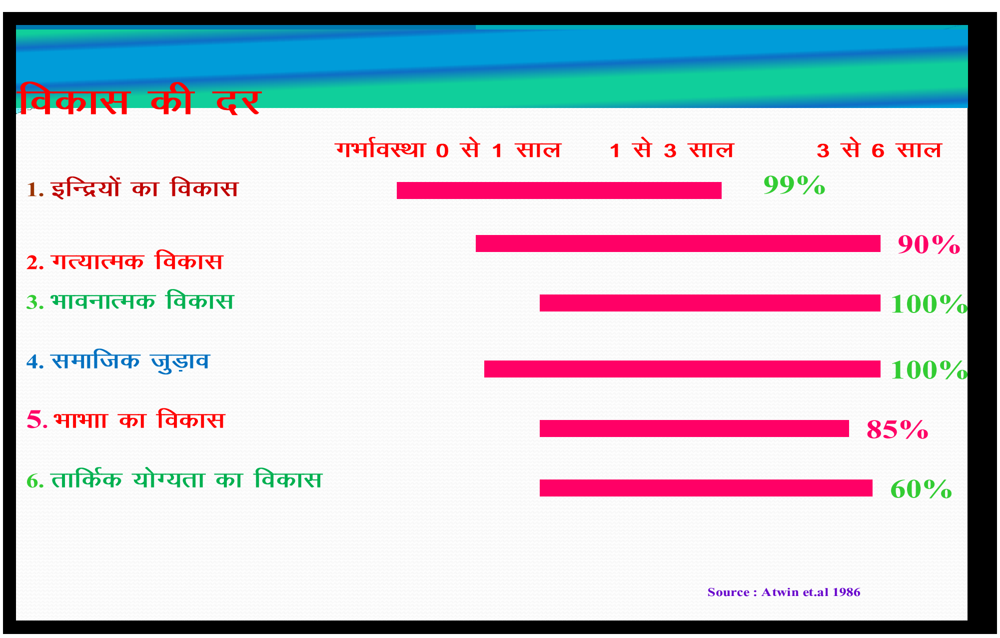

NOTES

इस ऊपर वाले चार्ट से स्पष्ट है कि लगभग 80 प्रतिशत विकास बच्चे की 6 साल की उम्र तक हो जाता है। इसलिए, बचपन के वर्षों का महत्व तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। यह मान्यता विकासशील देशों में गरीब बच्चों के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गरीबी द्वारा तय की गई सीमाएं और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बचपन की महत्वपूर्ण अवधि में बहु–कमियों का कारण बनते हैं और इन बच्चों को उनकी सम्पूर्ण क्षमता से प्राप्त करने से रोकते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक – आर्थिक वास्तविकताओं और अज्ञान के कारण परिवारों खासकर कमजोर वर्गों के परिवार अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण, पर्याप्त पोषण और प्रेरक अवसर प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक – आर्थिक वर्गों की स्त्रियों, को आजीविका कमाने में अपना सबसे अधिक समय खर्च करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में घर के बाहर काम करने वाली माताओं के बच्चे जिस अभाव का सामना करते हैं उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एक संगठित हस्तक्षेप के रूप में ईसीसीई कार्यक्रमों का होना आवश्यक हो जाता है।

साक्ष्य तेजी से बढ़ रहे हैं कि ईसीसीई पहल का सबसे प्रभावी क्षेत्र है और इसे 'अभाव के चक्र' को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में बचपन के कई कार्यक्रम उपलब्ध हैं तथा साथ में वे बच्चे के विकास पर इस तरह के कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को शानदार समर्थन दे रहे हैं। गरीब के संदर्भ में, गरीबी और अभाव के प्रभाव की क्षतिपूर्ति शीघ्र हस्तक्षेप से की जा सकती है। यहां तक कि एक बच्चा अगर वंचित परिवार से नहीं भी है, ईसीसीई स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास में मदद करने वाला वातावरण प्रदान कर सकता है। बच्चे को केवल इसलिए प्यार से देखभाल और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है कि वे एक दिन उत्पादक वयस्क हो जाएगा बल्कि इसलिए है कि एक बच्चा होने के नाते जीना और अपनी पूरी क्षमता से विकास करने का उनका अधिकार है। दूसरे शब्दों में, विकास अवधि के प्रत्येक चरण में हर व्यक्ति पूरी तरह से मानव अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। बच्चों को भी अधिकार है और उनके पूरी तरह से विकसित होने के अधिकार को सार्वभौमिक स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि उन्होंने कभी प्री स्कूल कार्यक्रम का उपयोग

नहीं किया और वे एक प्यार करने वाले परिवार की देखभाल में विकसित हुए हैं, इससे कुछ बुरा नहीं हुआ। वे हमें यह बताने में असफल होते हैं कि उनके पास देखभाल करने के लिए एक–दो बड़े सदस्यों के अलावा घर में पूरे समय रहने वाली मां थी। वे वंचित बच्चों की परिस्थितियों को भी नजरअंदाज करते हैं। इसके अलावा, श्रेष्ठ परिवार भी सामान्य रूप से सबसे अच्छी प्रेरक खेल गतिविधियां और अन्य बच्चों का साथ प्रदान नहीं कर पाते जो प्री स्कूल देने में समर्थ हैं। इसलिए सभी बच्चों के लिए ईसीसीई के प्रावधान निम्न कारणों से बहुत जरूरी है :

NOTES

(i) प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सेवा ईसीसीई एक बच्चे का अधिकार और विकास के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता दोनों है। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 (सीआरसी) को 192 देशों द्वारा मान्यता दी गई। भारत सरकार ने भी 11 दिसंबर 1992 को सीआरसी का अनुमोदन किया। सीआरसी में 'अब तक दिया गया बाल अधिकारों का सबसे पूर्ण बयान' है। संक्षेप में, इसका उद्देष्य बाल अधिकारों और उसके अभिभावक या उसके जीवन के लिए जवाबदेह वयस्कों के अधिकारों, विकास, संरक्षण और भागीदारी के बीच एक संतुलन बनाना है। 'बच्चे का सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत कन्वेंशन में पारित किए गए सभी अधिकार में सर्वोपरि है। सीआरसी चार अधिकारों पर केंद्रित है – अस्तित्व, विकास, सुरक्षा और सहभागिता और काफी हद तक ये सभी अधिकार एक–दूसरे पर आश्रित हैं और इनसे अलग–अलग नहीं निपटा जा सकता। हर बच्चे के सभी अधिकारों का सम्मान करना है तो इन सभी को एक साथ लागू और क्रियान्वित करना होगा। इसलिए ईसीसीई का प्रावधान बच्चों के अधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक अग्रदूत है।

(ii) ईसीसीई कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चे समय पर स्कूल जाना शुरू करते हैं और पढ़ाई छोड़ने और पुनरावृत्ति को कम कर लंबे समय तक पढ़ाई जारी रखते हैं। इस प्रकार, ईसीसीई 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है।

NOTES

(iii) ईसीसीई कार्यक्रम स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखने के कार्य से मुक्ति देता है इसलिए लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

(iv) ईसीसीई कार्यक्रम में भाग लेना जीवन के साथ अधिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है और जब बच्चा एक वयस्क हो जाता है तब बेहतर जीवन देने का वादा करता है। इसका परिणाम बाद में उपचारात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं की लागत में बचत के रूप में होता है।

(v) यह श्रम क्षेत्र में जाने से मुक्ति देने के लिए माता – पिता और देखभाल कर्ताओं के लिए उच्च्च आय लाता है।

(vi) कई ईसीसीई कार्यक्रम माता–पिता और देखभाल कर्ताओं को अभिभावक शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं जो वयस्क शिक्षण और कौशल में सुधार कर सकता है।

इस प्रकार ईसीसीई की जरूरत और महत्व को विकास, शैक्षिक, आर्थिक, अधिकार और सामाजिक समानता जैसे सभी परिप्रेक्ष्यों द्वारा उचित तरीके से से संक्षेप में बताया सकता है।

मानव विकास परिप्रेक्ष्य

पहले छह वर्ष विशेष रूप से पहले तीन साल विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आधे से ज्यादा मानसिक विकास 4 वर्ष की उम्र तक हो जाता है।
द्विनेत्री दृष्टि (Binocular vision), भावनात्मक नियंत्रण, जवाब देने के व्यवहारिक तरीके, भाषा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि।

शिक्षा परिप्रेक्ष्य

बच्चों की स्कूली तैयारी के विकास में मदद करता है
प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और ठहराव कम करता है
बड़े भाई–बहन को सुविधा विशेष रूप से लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी
इस स्तर पर बच्चे तेजी से भाषा सीखते हैं इसलिए यह घर और स्कूल की भाषा के बीच की खाई को पाटने में सेतू का काम करता है।
स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल करता है।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

सीखने और विकास के लिए उचित आधार प्रदान कर ईसीसीई इसे अधिक प्रभावी बना कर और स्कूल छोड़ने व फिर प्रवेश को घटा कर निवेष पर प्रतिदान बढ़ाता है।

माता–पिता को अधिक कमाने में सक्षम बनाता है कार्यक्षेत्र में उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है।

बच्चों मे प्रारंभिक निवेश कल्याण और अपराध, ड्रॉप आउट, विफलता, सामाजिक अव्यवस्था से जुड़े खर्च की जरूरत को घटा देता है।

कार्य क्षेत्र में शामिल होने में माताओं की मदद करता है।

अधिकार परिप्रेक्ष्य

ईसीसीई में बच्चों का विकास और शिक्षा का अधिकार शामिल है।

सभी बच्चों को ईसीसीई उपलब्ध करवाना बाल अधिकारों के कन्वेंशन के तहत राज्यों का दायित्व है।

सामाजिक समानता परिप्रेक्ष्य

सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जल्दी नुकसान की भरपाई के लिए घरेलू वातावरण में सहायता करता है और मौकों को भुनाने व उनके जीवन के अवसरों में सुधार करने के लिए सभी बच्चों को सक्षम बनाता है।

बच्चों को काम पर भेजने की प्रवृत्ति को घटाने और बालश्रम कम करने में मदद करता है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद के लिए माताओं का कार्य का सुविधाजनक माहौल बना कर रोजगार प्रदान करता है।

इस तरह ईसीसीई उच्च आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और बाल अधिकारों की पूर्ति के लिए अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है।

इस तरह ईसीसीई उच्च आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और बाल अधिकारों की पूर्ति के लिए अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है।

NOTES

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें :

(क) जीवन के पहले ,,,,,,,,,,,,,,,,,, साल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस अवधि में सबसे तेज विकास होता है

(ख) लगभग ,,,,,,,,,,,,,,, प्रतिशत विकास बच्चे की 6 साल की उम्र तक हो जाता है।

(ग) ईसीसीई पहल का सबसे प्रभावी क्षेत्र है और इसे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 (सीआरसी) को ,,,,,,,,,,,,,, देशों द्वारा मान्यता दी

(ङ) आधे से ज्यादा मानसिक विकास ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, वर्ष की उम्र तक हो जाता है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षण उद्देश्य :

इस उप इकाई का अध्ययन करने के बाद आप विभिन्न आयु समूहों के लिए ईसीसीई कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझने और सराहना करने में सक्षम हो जाएंगे।

ईसीसीई कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना

(ii) औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए बच्चे को तैयार करना।

(iii) मातृ रोजगार की सुविधा के लिए बच्चे की देखभाल सहायता सेवाएं।

(iv) माता–पिता और बच्चे की बातचीत में सुधार और परिवार/घर के माहौल में बच्चे की देखभाल प्रथाएं

(v) सीखने के लिए प्रेरणा बढ़ाना

(vi) प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में योगदान

(vii) प्राथमिक स्कूल में अपव्यय और ठहराव को कम करना

इसलिए एक अच्छे ईसीसीई कार्यक्रम को निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए :

(i) शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत खेल, सक्रिय शिक्षण, खोज, प्रयोग करने और भाषा के विकास के लिए बच्चे को अवसर प्रदान करने के लिए;

(ii) प्रत्येक बच्चे में सकारात्मक आत्म छवि और आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए।

(iii) हर बच्चे को खुशी प्राप्त हो और वह प्रसन्नता से इसमें शामिल होना चाहे ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए।

NOTES

नवजात, बाल्यावस्था और प्री स्कूल आयु विकास के लिहाज से अलग होती हैं, इसलिए इस आयु समूह के बच्चों के लिए कार्यक्रम और उसके उद्देश्य भी अलग होते है।

0–3 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीसीई कार्यक्रम

हर जगह माता–पिता यह महसूस करते हैं कि नवजात की देखभाल माता–पिता की जिम्मेदारी है और ऐसा ही होता है। इस तरह की उम्मीद वास्तविक रूप से गलत नहीं है परंतु इसे कैसे किया जाना चाहिए या इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए ये एक विचारणीय विन्दु है। गरीब परिवार या जहां माँ कामकाजी हो ऐसे परिवार नवजात शिशुओं की पर्याप्त देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में, राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह बाल देखभाल की जवाबदेही का अंदाजा लगा कर और वैकल्पिक बाल देखभाल कार्यक्रम तैयार करें। 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ईसीसीई कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- आयु के अनुसार उपयुक्त आहार तरीकों को अपनाएं जैसे जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें, 6 महीने तक केवल स्तनपान करवाएं और 2 साल की उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखें। छह महीने की उम्र में पूरक आहार खिलाना शुरू करें और बच्चे के लिए उपलब्ध पौष्टिक और संतुलित भोजन तैयार करना।
- बच्चों के विकास की निगरानी करने, बच्चों में कुपोषण की पहचान करना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- बच्चे और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना।

NOTES

- निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चे का टीकाकरण।
- शारीरिक खतरों और दुर्घटनाओं से बच्चे को सुरक्षित रखना।
- शिशुओं के साथ बातचीत करना, उनका पोषण करना और स्नेहिल मनोवैज्ञानिक सामाजिक देखभाल प्रदान करना।
- बच्चे को पर्याप्त नींद आराम प्रदान करना।
- बच्चे के साथ बोलना और खेलना और पता लगाने और खोज करने के लिए अवसर देना।
- क्रेच सेवाएं प्रदान करना विशेष रूप से अगर माता–पिता कामकाजी हों।
- बेहतर शिशु और बच्चे की देखभाल प्रथाओं और विश्वासों पर माता–पिता और समुदाय के ज्ञान और कौशल को मजबूत करना।

3–6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीसीई कार्यक्रम

3–6 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि 3–6 वर्ष की उम्र के बच्चे प्री–स्कूल में भाग ले रहे हैं।
- उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना।
- अच्छी काया और मांसपेशियों में समन्वय विकसित करने में बच्चे की सहायता करना।
- खेलने के अवसर प्रदान करना क्योंकि खेल दुनिया और लोगों के बारे में जानने के लिए असीमित संभावनाएं देता है।
- उन्हें एक उपयुक्त वातावरण देना जहां बच्चे मेलजोल और बातचीत के तरीके सीख सके।
- वांछनीय आदतें, अनुशासन और स्वयं सहायता कौशल विकसित करने में उन्हें सक्षम बनाना।

- संज्ञानात्मक विकास का पोषण और बौद्धिक जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना।
- भाषा और संचार कौशल को प्रोत्साहित करना।

- ऐसा वातावरण प्रदान करना जहां बच्चे को भावनाओं को व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने के लिए अनुमति मिले।
- कामकाजी माता–पिता के बच्चों के लिए दिन देखभाल सुविधा केन्द्र।
- समुदाय बैठकों, बाल मेलों आदि के आयोजन से नियमित रूप से संपर्क के माध्यम से माता–पिता और समुदायों का सुदृढ़ीकरण।
- ड्राइंग, पेंटिंग, पूर्व नंबर अवधारणाओं आदि की शुरूआत की तरह स्कूल तत्परता गतिविधियों के माध्यम से औपचारिक स्कूली शिक्षा की नींव रखना।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

(i) ईसीसीई के किन्हीं भी तीन उद्देश्यों को लिखें

____

____

____

(ii) **वाक्य पूरे करें :**

(अ) बच्चों के विकास की निगरानी करना, बच्चों ,,,,,,,,,,,,,,,,, की पहचान करनी चाहिये

(ब) बच्चे और उसके आसपास के ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, को स्वच्छ रखना। .

(द) समुदाय बैठकों, बाल मेलों आदि के आयोजन से नियमित रूप से ,,,,,,,,,,,बनाना चाहिये

(ई) मांसपेशियों में समन्वय विकसित करने में बच्चे की ,,,,,,,,,,,,,,, करनी चाहिये

(फ) भाषा और संचार कौशल के लिये बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के ,,,,,,,,,,,,,,,,, देने चाहिये

NOTES

6.3.3 मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सेवा का अवलोकन

वर्तमान में मध्यप्रदेश के 51 जिलों के सभी 313 विकासखण्डों में 278 ग्रामीण और 102 आदिवासी परियोजनाएँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 78929 आँगनवाड़ी केन्द्र एवं 12070 उप आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन आँगनवाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लगभग 80 लाख बच्चों को आई.सी.डी.एस. में प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षासेवा से लाभान्वित किया जा रहा है। आँगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से दी जाने वाली आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विकास संप्रेषणसेवा के माध्यम से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा / शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा (3 से 6 वर्ष) देने का प्रावधान है।

स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा –

आंगनबाड़ी केन्द्रों के उद्देश्यों में बच्चों का मानसिक विकास शामिल है जिससे बच्चे प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। बच्चे के मानसिक विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3–6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती है। जिसके उद्देश्य निम्नतः है।

बच्चों में अच्छी स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास करते हुए दैनिक जीवन कौशलों का विकास करना।

वांछित सामाजिक अभिवृत्तियों तथा शिष्टाचार विकसित करना।

बालक को अपने भाव तथा संवेगों के प्रदर्शन, नियन्त्रण आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान कर संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना।

कलात्मक तथा सौंदर्यबोध को प्रेरित करना।

वातावरण के सन्दर्भ में बौद्धिक जिज्ञासा को प्रेरित करना, आसपास के वातावरण को समझने में बच्चों की सहायता करना तथा नई रूचियों के विकास के लिए प्रयोग, खोज आदि के अवसर प्रदान करना।

स्वप्रदर्शन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर बालक में स्वतंत्रता तथा रचनात्मक को प्रेरित करना।

बच्चों में स्पष्ट तथा उचित भाषा द्वारा विचार तथा भावों के प्रदर्शन की योग्यता का विकास करना।

बच्चों के उत्तम शारीरिक विकास, उत्तम मांसपेशीय सुसंचालन तथा आधारभूत क्रियात्मक कौशलों का विकास करना।

मध्य प्रदेश में ई0सी0सी0 सेवाऐं

NOTES

भारतीय संविधान में शिशुओं को प्रोत्साहित करने के लिए मौलिक अधिकारों एवं राज्य नीति के नीति निदेशक सिद्धांतो के अनुरूप निम्न प्रावधान हैः—

अनुच्छेद 39 (एफ)	बच्चों के स्वस्थ ढ़ंग से तथा स्वतंत्र और सम्मानजनक वातावरण में विकास हेतु अवसर और सुविधाऐं और बचपन और युवावस्था में शोषण से बचाव
अनुच्छेद 42	कार्यरत महिलाओं के प्रत्यक्ष संदर्भ में, ''राज्य को कार्य और मातृत्व संबंधी राहत की औचित्यपूर्ण और मानवीय परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए आदेश देना।''
अनुच्छेद 45	संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2001 पारित होने तक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 (राजनीति के नीति निदेशक सिद्वांत) राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश देता है। इस संवैधानिक निदेशक सिद्वांत के अधीन 0–6 वर्ष के बच्चों को शुरूआती दौर में शामिल करा इस उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि स्कूल पूर्व शिक्षा को एक जरूरी अवयव की तरह स्वीकार करते हुए बच्चे के सर्वागीण विकास के लिए स्थितियॉ उपलब्ध करवानी होंगी।
अनुच्छेद 47	राज्य स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपने लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा।

प्रदेश का यह कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के ''अनूठेपन'' (यूनिकनेस) का आदर करते हुए उनकी व्यक्तिगत शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास इस प्रकार से करना चाहता है कि वे सुपोषित, स्वस्थ तथा विविधता के प्रति संवेदनशील बने, अपने परिवेश की परवाह एवं आदर करते हुए उससे सामंजस्य स्थापित कर सकें। उनकी विचारधारा खुली एवं लचीली हो तथा वे बदलते परिवेश के साथ अपने को संयत रूप से अभिव्यक्त कर सकें। वे सकारात्मक सोच के साथ अन्वेषण करते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान रचनात्मकता एवं बुद्विमता से कर पाऐं। ऐसे खुशहाल एवं आत्मविश्वासी बच्चे भावी जीवन में भी स्वनियंत्रित आजीवन शिक्षार्थी बनें।

NOTES

प्रदेश में प्रारंभिक शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में किये गय प्रयास–

प्रदेश में 1988 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे है, जिनके माध्यम से 03–06 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान शिशु शिक्षा केन्द्र प्रारंभ किए गए।

वर्तमान में 92000 आंगनवाड़ी केन्द्र पर 03–06 वर्ष के 36.5 लाख बच्चे 04 घंटे प्रति दिन की शाला पूर्व शिक्षा पाते है।

वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा को सहयोग प्रत्येक जिले में नवाचार के रूप में दिया जाता रहा है।

17 नवम्बर 2009 से प्रदेष में शाला पूर्व षिक्षा को आंगनबाड़ी नर्सरी केन्द्र के नवीन स्वरूप में लागू किया गया।

वर्ष 2009–10 में महिला एवम् बाल विकास विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र एवम् यूनीसेफ द्वारा शाला पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु समन्वित प्रयास किये गये।

राज्य षिक्षा केन्द्र एवं‘यूनीसेफ के सहयोग से प्रदेष के 1993 पर्यवेक्षकों तथा 69,240 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रषिक्षित किया गया।

मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था में शिक्षा और देखभाल केअन्तर्गत बाल चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नतः है।

आई.सी.डी.एस.मिशन शिशु शिक्षा एवं देखभाल दिवस ’बाल चौपाल’

1. भूमिकाः

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा तथा 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के बारे में माता–पिता को जानकारी दी जाती है। यह शिशु शिक्षा एवं देखभाल बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः यह आवश्यक है कि हमारी

आंगनबाड़ियॉ आकर्षक एवं सक्रिय बाल्य विकास केन्द्रों के रूप में अपनी पहचान बनाएं। इसका सीधा प्रभाव आंगनबाड़ी में बच्चों की नियमित एवं पूर्ण उपस्थिति के रूप में दिखाई देगा।

NOTES

- एक अच्छा आंगनबाड़ी केन्द्र वही है, जहॉ पर बच्चे अलग–अलग गतिविधियों में सक्रियता एवं एकाग्रता से जुड़े हुए दिखाई दें। इस प्रकार की आंगनवाड़ी में बच्चे एक जैसी गतिविधि न करते हुए समूह में अलग–अलग गतिविधियॉ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे– कुछ बच्चे बाहर पौधों की पत्तियॉ इक्कट्ठी कर रहें हैं, कुछ अपने हाथों में रंग लगाकर विभिन्न आकृतियॉ बना रहे हैं, कुछ बच्चे दिए गए खिलौनों की गिनती कर रहे हैं और कुछ आंगनबाड़ी दीदी के साथ मुखौटे लगाकर हाथी–घोड़ा बने हुए हैं। यह आंगनबाड़ी शांत नहीं बल्कि बच्चों की हॅसी, किलकारी और प्रश्नों से भरी हुई है।
- यह आंगनबाड़ी दीदी के ऊपर निर्भर करता है कि वह इनमें और कितने रंग और ध्वनियॉ भर सकती हैं। इसी उद्देश्य से कि आंगनबाड़ियॉ आकर्षक एवं सक्रिय बाल विकास केन्द्रों के रूप में बन सकें, प्रत्येक आंगनबाड़ी पर माह में एक दिन शिशु शिक्षा एवं देखभाल के लिए '**बाल चौपाल**' के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा माता–पिता/समुदाय के बीच शिशु शिक्षा एवं देखभाल एवं प्री–प्रायमरी शिक्षा के लिए बातचीत का माध्यम होगा। यह बाल चौपाल शिशु देखभाल एवं प्री–प्रायमरी शिक्षा के लिए माता–पिता एवं समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, शिशुओं के उचित विकास के लिए वातावरण बनाने का काम करेगा।

2. उद्देश्य :

- माता पिता व समुदाय को बच्चों के विकास के लिए संवेदनशील बनाना तथा उन्हें बच्चों की वृद्धि निगरानी में जोड़ना।
- माता पिता व समुदाय की बच्चों के विकास को लेकर निम्न विषयों पर सामान्य जानकारी बढ़ाना–
  - ❖ बच्चों में उम्र अनुसार होने वाली वृद्धि एवं विकास के सूचकांक
  - ❖ शुरूआती वर्षों में बच्चों की देखभाल

❖ अनौपचारिक खेल एवं गतिविधियों के द्वारा प्री प्रायमरी शिक्षा की विधियां

NOTES

- माता–पिता को उनके बच्चे की बढ़त, विकास एवं सीखने की स्थिति को नियमित रूप से बताना एवं उनकी काउंसलिंग करना।
- माता पिता व समुदाय का आंगनबाड़ी केन्द्र के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर पैदा करना।
- आंगनबाड़ी में दी जाने वाली प्री प्रायमरी शिक्षा को बढ़ावा देना।

3. बाल–चौपाल की विषय वस्तु एवं सुझावात्मक गतिविधियाँ

- प्रत्येक बाल–चौपाल की एक थीम होगी, जिसे प्रत्येक माह की 25 तारीख को बड़े धूमधाम एवं साझेदारी के साथ मनाया जाएगा। प्रत्येक बाल चौपाल में निम्न बिन्दु आवश्यक रूप से जोड़े जाऐंगेः–

कमांक	गतिविधि	सुझावात्मक बिन्दु
1.	आंगनवाड़ी केन्द्रो पर प्रदर्शन	बच्चों के चित्र, मॉडल आदि, इसके अतिरिक्त परिचर्चा बिन्दु से संबंधित पोस्टर
2.	बालकेन्द्रित गतिविधियां	दौड़, खेल, नाटक, ड्रामा, गीत, कहानी कविता, आदि
3.	माता–पिता केन्द्रित गतिविधियां	रंगोली प्रतियोगिता, खेल–कूद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आदि
4.	परिचर्चा	विषय–विशेषज्ञों से बच्चों के विकास से संबंधित
5.	व्यक्तिगत चर्चा	माता–पिता को बच्चों की प्रगति एवं उनसे संबंधित बिन्दुओं पर समझाइश।
6.	जन्मदिन	उस माह में जन्में बच्चों का सामूहिक जन्म दिन मनाना।

- प्रति वर्ष राज्य स्तर से मुख्य थीम चिन्हांकित की जाएंगी जिनके अनुसार स्थानीय स्तर पर इन थीम पर गतिविधियां की जाएंगी ।

6. भूमिका एवं दायित्व

- बाल–चौपाल के आयोजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, पंचायत तथा स्थानीय प्रधानाध्यापक,

स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिलकर स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाऐंगे।

- क्षेत्रीय पदाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन में अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न

1. वाक्य पूरे करें।

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी समेकित बाल विकास परियोजनाऐं संचालित है।

(ख) शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों को दी जाती हैं

(ग) बाल चौपाल प्रत्येक माह की 25 तारीख को मनाया जाता है।

(ड) बाल चौपाल का उद्देश्य आंगनबाड़ी में दी जाने वाली प्री प्रायमरी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

2. सक्षेप में लिखिये

अ. प्रदेश में प्रारंभिक शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में किये गये प्रयास–

____

____

____

____

____

ब. ई0 सी0 सी0 ई0 के सन्दर्भ में अनुच्छेद 45 क्या कहता है।

____

____

____

____

ईसीसीई सेवाओं में माता–पिता और समुदाय की भूमिका

प्रारम्भिक बाल शिक्षा की पहली प्राथमिकता यदि शिशु है तो उसकी दूसरी प्राथमिकता उसके माता पिता है माता पिता ही शिशु के प्रथम शिक्षक है और शिशु के विकास में उनका योगदान बराबर बना रहता हैं अतः माता पिता को

शिक्षक के साथ मिल कर ये प्रयास करना चाहिये जिससे बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके।

NOTES

(अ) पालकों की भूमिका :

विकास और सीखने के लिए एक पोषक, प्रवाहकीय और सहायक वातावरण प्रदान करना

अन्वेषण और प्रयोगों को घर में प्रोत्साहित करना और दैनिक गतिविधियों से उपजे पर्याप्त अवसरों का आकस्मिक व आजीवन अधिगम के लिए अधिकतम उपयोग करना

शिक्षक के साथ विश्वास व आपसी समझ वाले संबंध विकसित करना ?

ईसीसीई शिक्षकों/देखभालकर्ताओं के साथ उनके पालकों व समुदाय के लिए दिवसों व अन्य विकास की योजना व साझेदारी करना

योजनों में हिस्सा लेना इस आरम्भिक आयु में औपचारिक शिक्षण और प्रतियोगिता के लिए ज़ोर ना डालना और बच्चों की योग्यताओं व व्यक्तित्व का सम्मान करना

(ब) समुदाय की भूमिका

ई.सी.सी.ई. को प्रभावी बनाने के लिए सजग एवं सक्रिय समुदाय की विशेष भूमिका है। यदि समुदाय के लोग किसी भी प्रावधान के गुणवत्ता मापदण्डों को भली प्रकार समझते हैं तो उनमें होने वाली कमियों को चिन्हित कर उनके निराकरण हेतु मांग कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार समुदाय की एक इकाई है जिसका सशक्त होना या न होना पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। एक सक्षम समुदाय ई.सी.सी.ई.के प्रावधानों में गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इस दृष्टि से समुदाय को हर परिवार को सुदृढ़ करते हुए पालकों को प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

(i) निम्नलिखित खाली स्थान को भरें (खाली स्थान रखें) :

(क) माता पिता ही शिशु के पहले .... है।

(ख) माता पिता को शिक्षक के साथ .... संबंध विकसित करना।

(ग) .... को शिक्षक के साथ मिल कर बच्चो के सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिये।

सक्षेप में लिखिये

अ. ई0सी0सी0ई0 में पालकों की भूमिका के बारे में सक्षेंप में लिखिये।

____

____

____

____

ब. ई0सी0सी0ई0 में समुदाय की भूमिका के बारे में सक्षेंप में लिखिये।

____

____

____

____

NOTES

सारांश

अब तक हमने सीखा कि –

प्रारम्भिक बाल्यावस्था का अर्थ 0–6 साल की आयु अवधि है। जीवन की इस अवधि को सबसे तेज विकास और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है जैसे बात करना, चलाना, बढ़ना, डर का सामना करना, प्रसन्नता और खुद को खोजना तथा घर के बाहर के वातावरण में समायोजित होना। इस अवधि के दौरान बच्चे स्वायत्त होना और आसपास के वातावरण में वस्तुओं के साथ प्रयोग करना सीखते हैं। वे अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति जीवंत जिज्ञासा दिखाते हैं, अन्य बच्चों के साथ का आनंद उठाते हैं और वयस्कों के व्यवहार की नकल करते हैं। इस आयु के शिशुओं और बच्चों का ध्यान रखना है। देखभाल मानव शिशु की अनिवार्य आवश्यकता है। देखभाल के बिना एक शिशु का अस्तित्व संभव नहीं है। हमने यह भी जाना कि प्रारम्भिक बाल शिक्षा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार करती है। तथा उसके भाषा तथा शारीरिक कौशलों का विकास करता है। जो आगे चलकर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने लिखने तथा गणित सीखने में उसकी सहायता करता है। इससे बच्चें को उनकी अन्य क्षमताओं के विकास मे मदद मिलती है।

हमने यह भी जाना कि मध्यप्रदेश में समेकित बाल विकास योजना के अर्न्तगत आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से 0 से 6 साल के बच्चें के लिये किस प्रकार प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल सेवा संचालित की जा रही है। तथा

NOTES

माह की 25 तारीख को आंगनवाड़ी केन्द्र में बाल चौपाल मनाया जाता है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में माता पिता ही शिशु के प्रथम शिक्षक है और शिशु के विकास में उनका योग्दान बराबर बना रहता हैं अतः माता पिता को शिक्षक के साथ मिल कर अपने बच्चों के बेहतर विकास कि लिये प्रयास करना चाहिये जिससे बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके ।

अभ्यास के प्रश्न

अभ्यास 1

(i) निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें

(क) इस अवधि में बच्चे स्वायत्त होना और आसपास के वातावरण में वस्तुओं का प्रयोग करना सीखते हैं।

(ख) ईसीसीई में, **'देखभाल'** का अर्थ है, बच्चों का ध्यान रखना है।

(ग) बच्चा आसपास के वातावरण में वस्तुओं के साथ प्रयोग करता है।

(घ) बच्चे वस्तुओं को जोड़ तोड़ के माध्यम से और स्वयं कार्य करके सीखते हैं;

(ड) ईसीसीई में शिशु की देखभाल, मां की देखभाल और बच्चे की देखभाल पर सामुदायिक जागरूकता में सुधार भी शामिल है।

(इन प्रश्नो के लिये पेज ....,.....देंखे)

(ii) **प्रारम्भिक बाल्यावस्था** की अहम् विशेषताएं क्या हैं

(iii) आप ईसीसीई की अवधारणा से क्या समझते हैं? अपने ही शब्दों में संक्षेप में लिखें।

अभ्यास 2

निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें :

(क) जीवन के पहले छह साल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस अवधि में सबसे तेज विकास होता है

(ख) लगभग 80 प्रतिशत विकास बच्चे की 6 साल की उम्र तक हो जाता है।

(ग) ईसीसीई पहल का सबसे प्रभावी क्षेत्र है और इसे 'अभाव के चक्र' को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 (सीआरसी) को 192 देशों द्वारा मान्यता दी

(ड़) आधे से ज्यादा मानसिक विकास 4 वर्ष की उम्र तक विकसित हो जाता है।

अभ्यास 3

(i) ईसीसीई के किन्हीं भी तीन उद्देश्यों को लिखें

____

____

____

NOTES

(ii) वाक्य पूरे करें :

(अ) बच्चों के विकास की निगरानी करना, बच्चों में कुपोषण की पहचान करनी चाहिये।

(ब) बच्चे और उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। .

(स) समुदाय बैठकों, बाल मेलों आदि के आयोजन से नियमित रूप से संपर्क बनाना चाहिये

(द) मांसपेशियों में समन्वय विकसित करने में बच्चे की सहायता करनी चाहिये

(ई) भाषा और संचार कौशल के लिये बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिये

अभ्यास 4

1. वाक्य पूरे करें।

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी समेकित बाल विकास परियोजनाऐं संचालित है।

(ख) शालापूर्व अनोपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल कू बच्चे को दी जाती हैं

(ग) बाल चौपाल प्रत्येक माह की 25 तारीख को मनाया जाता है।

(ड) बाल चौपाल का उद्देश्य आंगनबाड़ी में दी जाने वाली प्री प्रायमरी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

2. सक्षेप में लिखिये

अ. प्रदेश में प्रारंभिक शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में किये गय प्रयास **(** पेज .... को देंखे **)**

ब. ई0 सी0 सी0 ई0 के सर्न्दभ में अनुच्छेद 45 क्या कहता है। (पेज .... देखें)

अभ्यास –5

NOTES

(i) निम्नलिखित खाली स्थान को भरें

(क) माता पिता ही शिशु के पहले शिक्षक है

(ख) माता पिता को शिक्षक के साथ विश्वास व आपसी समझ वाले संबंध विकसित करना

(ग) माता पिता को शिक्षक के साथ मिल कर बच्चो के सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिये

2. सक्षेप में लिखिये (पेज ..... देंखें)

अ. ई0सी0सी0ई0 में पालको की भूमिका के बारे में सक्षेप में लिखिये

ब. ई0सी0सी0ई0 में समुदाय की भूमिका के बारे में सक्षेप में लिखिये

6.4 बालकों की देखभाल,सुरक्षा एवं शिक्षा

NOTES

''बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया गया हर एक डॉलर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम पैदा करता है।''–प्रो. जेम्स हेकमैन(अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार विजेता)

बचपन एक बहुत ही सुखद एवं सुन्दर अहसास है। हम जब भी अपने बचपन के बारे में सोचते है ंतो, विद्यालय में साथियों के साथ बिताये पल, घर में भाई–बहनों से हुई हॅसी–ठिठोली, मोहल्ले के साथी–सहेलियों के साथे खेले विभिन्न खेल, माता–पिता की डॉट और लाड़–दुलार ऑखों के सामने जीवन्त हो उठता है।बचपन की कल्पनामात्र से ही हम वर्तमान के सभी दुःख, दर्द और परेशानियों को भूल बैठते हैं।

जहाँ एक तरफ बचपन की सुन्दर तस्वीर की कल्पना मात्र में प्रसन्नता का अनुभव देती है, वहीं दूसरी तरफ बचपन का दयनीय और वर्तमान रूप शरीर में सिहरन और कम्पन पैदा कर देता है। आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिस में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार, हिंसा तथा शोषण का सामना ना किया हो। यदि हम अपने आस–पास के वातावरण का परीक्षण करेंगें तो पायेंगें कि नन्हे–नन्हे मासूम बच्चे स्कूल जाने की जगह चाय की दुकानों, ढाबों, कारखानों में अपना कीमती बचपन खो रहे हैं। बँधुआ मजदूर और गरीब माँ–बाप अपनी गरीबी की खिन्नता बच्चों की पिटाई करके निकालते अकसर मिल जायेंगें।विद्यालयों में शिक्षक भी उन्हें मारते–पीटते या फिर धर्म, जाति, अमीरी–गरीबी के नाम भेद–भाव करते मिल जायेंगें।कन्या भ्रूण हत्या या बालविवाह जैसी परम्पराएं अभी–भी हमारे समाज को कलंकित किये हुए हैं।

सुबह अखबार पढ़ो तो बच्चों के साथ हुए शोषण व दुर्व्यवहार की खबरें मन खिन्न कर देतीं है। बात सिर्फ मजदूरी या भार–पिटाई पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि हम शर्मसार हो जाते हैं जब पाते है कि छोटे–छोटे बच्चे देह व्यापार

NOTES

में लिप्त है। मन मानने को तैयार नहीं होता, आत्मा को कष्ट होताहै किन्तु आज भी बच्चों के एक बड़े वर्ग की सच्चाई यही है। इनमें से कई बच्चे रोज आपकी नजरों के सामने भी आते होंगें और शायद आप एक क्षण रूक कर, असहाय से आगे बढ़ जाते होंगें।

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जब आप किसी मासूम बच्चे को अपमानित, प्रताड़ित या शोषित होते हुए देखते हैं तो उस बारे में आप क्या करते हैं?

क्या आप.........

भाग्य को दोष देते हैं ?

सोचते है कि बड़े होने की प्रक्रिया में, इस अवस्था से गुजरना सामान्य बात है?

गरीबी का उलाहना देते हैं?

भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हैं ?

परिवार वालों की जिम्मेदारी बताते हैं ?

तर्क देते है कि यह तो रीति–रिवाज व परंपरा है।

खुद को असहाय समझते है ?

सोचते हैं कि इस बच्चे से आपका कोई रिश्ता या सम्बन्ध नहीं तो आप चिन्ता क्यों करें?

या फिर आप.......................

बच्चे से बात–चीत करते है ?

बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते है ?उसके परिवार वालों से उसकी उचित देखभाल करने के बारे में तथा उसके बाल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करते हैं ?

आवश्यकतानुसार बच्चे तथा उसके परिवार वालों की उचित मदद करते हैं ?

जानने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की सुरक्षा को क्या खतरा है?

कानूनी सुरक्षा तथा उपचार की स्थिति का अभास होने पर पुलिस से सम्पर्क करते है?

NOTES

उपर्युक्त बिन्दुओं पर आपकी प्रतिक्रिया दर्शायेगी कि आप बाल सुरक्षा तथा देखभाल के सन्दर्भ में अपनी भूमिका को किस नजरिये से देखते हैं। आप मात्र एक वयस्क नागरिक है या फिर एक, प्रेरक तथा मार्गदर्शक हैं जो सामाजिक बदलाव लाने में अपना योगदान देना चाहता है।

शिक्षण उद्देश्य :

बाल सुरक्षा तथा देखभाल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी के महत्व को समझना

अधिकारों को सुनिश्चित करने की अर्न्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को समझना

बच्चों को देखभाल तथा सुरक्षा में विभिन्न संस्थागत तथा गैर संस्थागत संस्थाओं की भूमिकाओं को जानना

6.4.1 बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा की अवधारणा

भारतीय संस्कृति के अनुसार प्राचीन काल से ही बच्चों की देख–भाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी, माता–पिता, दादा–दादी, तथा परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों द्वारा उठाने का प्रचलन है। प्राचीन काल में बच्चे शिक्षा अर्जित करने, गुरूकुल तथा आश्रमों में जाते थे, जिस कारण से उनके पालन पोषण एवं सुरक्षा में गुरूजनों की भी अहम भूमिका होती थी।

भारत में बच्चों की देखभाल हमेशा कल्याण की अवधारणा पर आधारित रही लेकिन आप सभी को यह जानकार आश्चर्य होगा कि 15वीं शताब्दी तक

NOTES

विदेशी सभ्यता में बचपन को जीवन की एक अलग अवस्था के रूप में नहीं देखा जाता था। बच्चे शैशवावस्था को पार करते ही, छोटे वयस्क माने जाने लगते थे।

बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

बीसवीं सदी में प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् करोड़ों बच्चे, अनाथ, बेघर और विकलांग हो गये, तब यह महसूस किया गया कि बच्चों को विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु कानून बनाने के प्रयास किये गये।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन्स–1924 में पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया जिसने बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य किया। लीग ऑफ नेशन्स (1924) ने शपथ ली कि **''समस्त मानव जाति बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने के लिए बाध्य है''।**

वर्ष 1948 में जब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की गयी तो इसमें बच्चों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान हैं।

बाल अधिकारों की यू.एन. घोषणा (1959) ने **लीग ऑफ नेशन्स (1924)** द्वारा बताये गये बाल अधिकारों को दोहराया तथा समस्त संसार की स्वयंसेवी संस्थाओं तथा क्षेत्रीय/स्थानीय अधिकारियों का बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवाह्न किया। इसके अतिरिक्त बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन (1989) सबसे महत्वपूर्ण है जिसने बाल अधिकारों को ओर बढावा दिया।

6.4.2 बाल अधिकार

बाल अधिकारों पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि आखिर बच्चे हैं कौन? उनके अधिकार क्या है?

बालक कौन है ?

अर्न्तराष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चे का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है,इस परिभाषा को बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी आर सी – अंर्तराष्ट्रीय कानूनी संस्था) में स्वीकार किया गया है और जिसे दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा मान्यता दी गयी है।

भारत ने हमेशा से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एक अलग कानूनी अंग के रूप में स्वीकार किया है। भारत में 18 वर्ष की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को बाल–विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के अर्न्तगत निषिद्ध किया गया है।

इसका यह अर्थ निकलता है कि यदि आपके गांव, या शहर में जो युवा 18 वर्ष से कम उम्र के हैं वे बच्चे हैं और उन्हें आपकी सहायता, समर्थन तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

NOTES

बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है?

बच्चे वयस्कों की अपेक्षा अपने वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

अधिकतर समाजों में बच्चों को माता–पिता की सम्पत्ति माना जाता है ।

बच्चे अपना निर्णय ले तो लेते हैं किन्तु अनुभव के अभाव में पथभ्रमित हो सकते हैं अतः उन्हे अनुभवी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

बच्चे शारीरिक रूप से वयस्कों की तुलना में दुर्बल तथा असक्षम होते हैं।

बच्चे भावुक, मासूम तथा कोमल हृदय के होते हैं अतः उन्हें विशेष देखभाल व रखरखाव की आवश्यकता होती हैं।

भारतीय संविधान और बच्चे

भारतीय संविधान में भी बच्चे के अधिकारों को शामिल किया गया है। यह अधिकार निम्नानुसार हैः–

समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14)

भेदभाव के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद–15)

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद–21)

जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरूद्ध सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–23)

समाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से, समाज के कमजोर तबकों की सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–45)

6–14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21 ए)

14 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–24)

आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–39ई)

समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतन्त्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वाभाविक रूप से विकास हो सके। साथ ही, नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–39 एफ)

भारतीय संविधान के अलावा भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कानून हैं जो विशेष रूप से बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बने हैं तथा भारत उन्हें सहमति प्रदान करता है। जिनमें संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रम्मुख सम्मेलन निम्न हैः–

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन–1989

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन–1989, बाल–आधिकारों पर पहला विस्तृत दस्तावेज है। बाल अधिकारों पर बने अन्तर्राष्ट्रीय कानून, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से सम्बद्ध है। भारत में ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा भारतीय संविधान विधि–विधान के साथ मिलकर तय करते हैं कि बच्चों के वास्तव में क्या अधिकार होने चाहियें।

हालांकि मानव अधिकार सभी लोगों के लिए है, जिसका उम्र से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन, फिर भी विशेष दर्जे के कारण बच्चों को वयस्क से अधिक सुरक्षा तथा मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान है–

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं 18 वर्ष की उम्र तक के लड़के और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। भले ही वे विवाहित हों या विवाह के पश्चात् उनके बच्चे भी हों।

बच्चों के बेहतर हित, भेदभाव रहित जीवन और बच्चों के विचारों का सम्मान के सिद्धांत पर निर्देशित है

यह परिवार के महत्व तथा ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देता है जो बच्चों के स्वस्थ विकास और उन्नति में सहायक हो।

सरकारों को निर्देश कि वे बच्चों के प्रति समाज में स्वच्छ और समान व्यवहार सुनिश्चित करें।

यह सम्मेलन, नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को, चार मुख्य भागों में विभाजित करता है–

1. जीने का अधिकार
2. सुरक्षा का अधिकार
3. विकास का अधिकार
4. सहभागिता का अधिकार

NOTES

6.4.3 बाल संरक्षण, सुरक्षा एवं कानून

प्रत्येक बच्चे को सभी प्रकार के शोषण एवं कष्टकारी स्थिति से सुरक्षा पाने का अधिकार है। इसके लिए आवश्यक है कि आप बाल सुरक्षा से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं तथा बच्चों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के प्रति जागरूक रहें। साथ ही आपको बच्चों के इस तरह के शोषण से बचाव के लिए देश में बने कानून एवं नीतियों के बारे में भी आवश्यक जानकारी हो

यदि आप बाल अधिकार तथा उसकी संरक्षण के लिए बने कानून से परिचित हैं, तो आप शोषित बच्चे/उसके मॉ बाप/ संरक्षक/ जन समुदाय को कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल व संरक्षण से सम्बन्धित निम्नलिखित कानूनी व्यवस्था की गयी है –

बाल श्रम

बाल (बंधुआ मजदूरी) कानून 1933 –यह कानून घोषणा करता है कि मां–बाप या संरक्षक या अभिभावक तर्कयुक्त मजदूरी से परे हटकर किसी भुगतान या लाभ के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा मजदूरी कराने का समझौता करता है तो वह अवैध एवं अमान्य होगा। इस कार्य में शामिल मॉ–बाप/संरक्षक तथा नियोक्ता को दंडित करने का प्रावधान है।

बंधुआ मजदूरी (समाप्ति) अधिनियम 1976– एक व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना कानूनन दंडनीय है, साथ ही, ऐसे अभिभावक या मॉ–बाप जो अपने बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों को बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करते है या इस तरह का समझौतो करते हैं तो वे भी दंड के भागी हैं।

बाल श्रम (निरोध विनियमन) अधिनियम 1986– यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाने को निषिद्ध करता है तथा बच्चों को जोखिम में डालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे निम्नलिखित व्यवसायों में काम नहीं कर सकते–

रेलवे अथवा रेलवे ट्रेक के निर्माण कार्य में

रेलवे की खान–पान इकाई में

साबुन बनाने के कारखाने में

ईंट के भट्टों तथा टाइल्स बनाने में

बीड़ी बनाने के कारखानों में

पशुवध गृह में

ऑटो मोबाइल कार्यशाला तथा गैरेज में

खानों में

पटाखे तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने की इकाई में

चमड़े बनाने व साफ करने के कारखानों में

अगरबत्ती बनाने में

भवन निर्माण के उद्योग में

तेल निकालने के उद्योग में

खाना बनाने के उद्योग में

बिजली की सप्लाई के काम में

पत्थर तोड़ने की इकाई में

विषाक्त वस्तुओं को बनाने की इकाई में

गोदामों में

मनोरंजन प्रदान करने वाले व्यवसायों में

NOTES

मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988

इस कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो बच्चों को मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए उपयोग में लाते है, उन्हें सहयोगी व षड़यंत्रकारी के रूप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सकता है।

लिंग की पहचान कर गर्भपात, कन्या (भ्रूण) हत्या तथा बाल हत्या

पैदा होने से पूर्व ही कन्या भ्रूण की गर्भपात के माध्यम से हत्या करने वालों पर अभियोग चलाने से सम्बन्धित मुख्य कानूनी प्रावधान–

जन्म पूर्व जांच तकनीक विनियमन एवं दुरूपयोग निरोध कानून 1994

यह कानून गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए लिंग निर्धारण के लिए पूर्व जांच तकनीक के विज्ञापन एवं दुरूपयोग का निषेध करता है जिसके परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या की जाती है।

NOTES

यह कानून विशिष्ट रूप से आनुवांशिक असमान्यता की स्थिति से बचाव के लिए जन्म पूर्व जांच तकनीक के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन इसका उपयोग कुछ निश्चित मानदंडों का पालन करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस कानून में दिये गये मानदण्डो का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है।

इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी को 30 दिनों के अंदर कदम उठाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

इस कानून के अलावा भारतीय दंड संहिता, 1860 के निम्न भाग भी महत्वपूर्ण है–

यदि शिशु के जन्म से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भवती स्त्री को गर्भपात के लिए प्रेरित किया गया हो। (भाग 312)

गर्भस्थ शिशु को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म होते ही मार देना (भाग 315)

गर्भस्थ शिशु की हत्या (भाग 316)

12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर करना और परित्यक्त करना (भाग 317)

किसी बच्चे/बच्ची के शव को फेंक कर जन्म को गुप्त रखना (भाग 318)

उपरोक्त अपराधों के दोषियों को दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अतः यदि आपके संज्ञान में उपर्युक्त अपराध करने वाले कोई डॉक्टर/पैथोलॉजी केन्द्र है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने को देनी चाहिए।

6.4.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

NOTES

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में 0 से 18 वर्ष तक के विधि विवादित किशोरों एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (निराश्रित, अनाथ, बेसहारा) का पालन पोषण, चिकित्सकीय देखभाल, शिक्षण–प्रशिक्षण एवं संरक्षण प्रदान किये जाने को प्रावधानित करता है। अधिनियम के तहत् 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जो किसी कारणवश विधि विवादित कार्यो में शामिल है, को प्रकरण के निराकरण होने तक संप्रेक्षण गृह में रखे जाने का प्रावधान है। संप्रेक्षण गृह में ऐसे बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समस्त प्रयास किये जाते है। अधिनियम में 0 से 18 वर्ष तक के निराश्रित, अनाथ, बेसहारा बालकों को गलत हाथों में जाने एवं सड़क पर निवास करने से रोक कर पारिवारिक पुर्नवास एवं समाज में रहकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के समग्र विकास, पोषण, संरक्षण, सुरक्षा एवं पारिवारिक पुर्नवास की व्यवस्था प्रदान करता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत् असुरक्षित बच्चो के अतिरिक्त अन्य बच्चे भी थे जिन्हे संरक्षण एवं सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से सभी श्रेणी के बच्चों को संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाऐं प्रदान की जा रही है। योजना के मूल्यांकन हेतु निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया हैं। इस योजना में कुछ अन्य सहायक प्रावधान भी है। योजना में विधि विवादित किशोरों एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के साथ–साथ अन्य प्रकार के बच्चो जैसे घर से भागे हुए बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे एवं विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिकित्सा, भरण–पोषण, शिक्षण–प्रशिक्षण समग्र कल्याण एंव पुर्नवास के लिए

प्रावधान है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण और **''सर्वोत्तम बाल हित''** के दिशा निर्देशक सिद्धान्तो पर आधारित है।

NOTES

अधिनियम एवं योजनांर्तगत सम्मिलित बच्चे

बेघर बच्चे (सड़क के किनारे रहने वाले, विस्थापित/घर से निकाले गये शरणार्थी आदि)

दूसरी जगह से आये बच्चे

गली या घर से भागे हुए बच्चे

अनाथ या परित्यक्त बच्चे

काम करने वाले बच्चे

भीख मांगने वाले बच्चे

वेश्याओं के बच्चे

बाल वेश्याएं

भगाकर लाये गये बच्चे

विधि विवादित कार्यो में लिप्त बच्चे

कैदियों के बच्चे

संघर्ष से प्रभावित बच्चे

एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे

असाध्य रोगों से ग्रसित बच्चे

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

लैंगिक भेद भाव से पीड़ित बच्चे

जातीय भेद भाव से पीड़ित बच्चे

निःशक्त बच्चे

घरेलू हिंसा से प्रभावित बच्चे

बाल–यौन शोषण

बाल वैश्वावृत्ति

बाल श्रमिक

बाल विवाह से पीड़ित बच्चे

बाल व्यापार में पाये गए बच्चे

स्कूलों में शारीरिक दण्ड प्राप्त बच्चे

प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चे

युद्ध एवं संघर्ष से प्रभावित बच्चे

NOTES

अ–वैधानिक संस्थाएं :–

1. **किशोर न्याय बोर्डः**–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंर्तगत विधि विवादित किशोरों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट एवं दो अशासकीय सदस्य जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होते है। इनमें एक महिला होना आवश्यक है।

   किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि यें बालकों की भावनाओं जरूरतों एवं मनोभावों को अच्छी तरह से समझते है। यह सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित, अनुभवी एवं विषय के विशेषज्ञ होते है।

   किशोर न्याय बोर्ड में अपराध करने वाले बालकों के प्रकरणो की सुनवाई की जाती है। जब किसी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बोर्ड बालक को सुरक्षा की दृष्टि से सम्प्रेक्षण गृह में भेज देते है। बालक सम्प्रेक्षण गृह में तब तक रहता है जब तक कि उसकी जमानत नही हो जाती है। सम्प्रेक्षण गृहों में बालक के सुधार हेतु सभी प्रयास किये जाते है।

NOTES

किशोर न्याय बोर्ड गम्भीर अपराधों में ऐसे बालकों को अधिकतम 03 वर्ष की सजा दे सकता है परन्तु यह सजा उसके भविष्य पर कोई असर नही डालती हो छोटे–मोटे अपराधों के लिए बालकों को सामान्य सजा दी जाती है। बालकों को समझाइश दी जाती है कि वे पुनः ऐसे कार्य न करे।

2. **बाल कल्याण समिति**:– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंर्तगत निराश्रित, अनाथ, बेसहारा बच्चो के प्रकरण के निराकरण, परिवारिक पुनर्वास एवं उन्हे संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति में 05 अशासकीय सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते है जिनमें एक महिला होती है।

   यह सभी सामाजिक कार्यकर्ता अनुभवी, दक्ष एवं बाल हितों के जानकार होते है। इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त होता है। इन्हें प्रति बैठक हेतु मानदेय दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस, किसी संस्था का प्रतिनिधि अथवा कोई अधिकारी ऐसे जरूरतमंद बालकों को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। समिति बालकों की आयु, लिंग के अनुसार शिशुगृह, बालगृह अथवा खुला आश्रय गृह में अस्थाई निवास के आदेश करती है। समिति सम्बंधित गृह को आदेश देती है कि वह बालक के जैविक माता–पिता की खोज करे। माता–पिता के मिलने के उपरांत समिति उन्हें उनके बालक सौपनें के आदेश देती है।

3. **विशेष पुलिस इकाई**:–प्रत्येक जिलें में एक विशेष पुलिस इकाई होती है। इकाई विधि विवादित एवं देखरेख और संरक्षण के जरूतमंद बच्चो को किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। इकाई बच्चो को संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवा प्रदान करने में सहायता करती है। इकाई में एक सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होते है।

विशेष पुलिस इकाई के जवान सादे कपड़ों में रहते है। वह बालकों के साथ बालसुलभ व्यवहार करते है। ये सदस्य बालकों की आवश्यकता एवं सुरक्षा को समझते है। विशेष पुलिस इकाई बच्चों को उनके परिवारों तक पहुचाने का भी कार्य करती है।

NOTES

ब–संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाऐं :–

बेघर, बेसहारा, अनाथ एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संरक्षण, सुरक्षा एवं पालन पोषण हेतु अनेक संस्थागत कार्यक्रम संचालित है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशुगृह, एवं 6 से 18 वर्ष के बच्चो के लिए बालगृह संचालित किये जा रहे है। गैर संस्थागत सेवा अंर्तगत बच्चों को दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। उन्हे फास्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप पर दिया जा रहा है ताकि इन बच्चो का पालन पोषण परिवार में पारिवारिक वातावरण मे हो सके जिससे उनका जीवन सरल, सुगम एवं सुव्यवस्थित हो सके।

आइये इन सेवाओं को विस्तार से जाने

(1) **संस्थागत सेवाऐं**

1. **शिशुगृहः**– यह ऐसी संस्था है जहां पर जन्म से लेकर 06 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चो को रखा जाता हे। इन संस्थाओं में परित्यक्त, अनाथ, बिछुड़े हुए बालको को संरक्षण एवं पालन पोषण किया जाता है। इन संस्थाओं में बच्चों के भोजन, शिक्षण तथा खेलकूद की व्यवस्था होती है। यह संस्थाऐं बच्चों को स्थाई पारिवारिक पुर्नवास उपलब्ध कराने हेतु दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चलाती है। इन संस्थाओं के संचालन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक अनुदान भी उपलब्ध कराती है।

2. **बालगृहः**– बालगृहों में 6 से 18 वर्ष के बालको को संरक्षण, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा आदि उपलब्ध करायी जाती है। इन संस्थाओं में परित्यक्त, अनाथ, बेसहारा एवं उन गरीब परिवारों के बच्चो को रखा जाता है जिनके माता–पिता इन्हे पालने में सक्षम नही होते

NOTES

है। इन संस्थाओं में निवास करने वाले बच्चो को उचित शिक्षा प्रदान कर भविष्य निर्माण का कार्य किया जाता है।

3. **आश्रयगृहः**— आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में अनेक बच्चे कूड़ा बीनते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए या घर से भागे हुए, छोटे—2 अपराधों में लिप्त बालक पाये जाते है। यह बालक आसानी से पहचाने जा सकते है। कुछ अपराधी तत्व इन बालकों को लालच देकर कानून के विरूद्ध काम करवाते है। ये बालक अनपढ़, अज्ञानी होने के कारण इन असामाजिक तत्वों के प्रभाव में आ जाते है। ऐसे बालको के लिए आश्रयगृह में अस्थाई रूप से निवास प्रदान किया जाता है ताकि उन्हे सुधारा जा सके। जब यह बालक अच्छा आचरण करने लगते है तो उन्हे बालगृहों में अथवा परिवार में भेज दिया जाता है। आश्रय गृहों में बच्चो को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4. **खुला आश्रयगृहः**— खुला आश्रयगृहों में उन बालको को सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनके माता—पिता गरीबी के कारण उनका पालन पोषण नही कर सकते है। वे उनसे भिक्षावृत्ति, बूट पॉलिस अथवा अन्य निंदनीय कार्य करवाते है। ऐसे बालक दिन—भर इन गृहों में रहकर पोषण एवं शिक्षा प्रदान करते है और रात्रि में अपने परिवारों में चले जाते है।

आपने अपने आस—पास अनेक ऐसे बच्चे देखे होंगे जो देखरेख और संरक्षण के अभाव में असामाजिक कार्यो में लिप्त हो जाते है अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा इन कार्यो में नियोजित कर लिया जाता है। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बेसहारा, अनाथ, निर्धन होते है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसे बच्चो को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन गृहों में भेजे जहां इनका उचित पालन—पोषण एवं शिक्षा व्यवस्था हो सके।

5. **पश्चतावर्ती गृह**:– इन संस्थाअें में 18–21 वर्ष के उन बालकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो बालगृह में रहते हुए पुनर्वासित नही हो पाते है। यहां शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है ताकि बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। इन संस्थाओं में निवासरत बालिकाओं के विवाह भी कराये जाते है ताकि उन्हे परिवार प्राप्त हो सके।

NOTES

6. **सम्प्रेक्षण गृह** :– जैसा कि आप जानते है कि 18 वर्ष तक की आयु के बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत् किशोर माना जाता है। यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक अपराध करता है तो उसे विधि विवादित श्रेणी मे माना जाता है।

   यदि कोई बालक कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे जेल नही भेजा जाता है बल्कि उसे सुधरने का अवसर प्रदान करने हेतु सम्प्रेक्षण गृहों में अस्थाई रूप से रखा जाता है ताकि बालक का भविष्य बर्बाद न हो। यहां पर यह बालक जांच पूरी होने तक अथवा जमानत होने तक रह सकता है। यहां प्रशिक्षण एवं सुधार कार्यक्रम चलाये जाते है।

7. **विशेष गृह**:– यदि किसी बालक को किसी मामले में सजा हो जाती है तो ऐसे बालकों को विशेष गृहों में रखा जाता है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किसी भी किशोर को 03 वर्ष से अधिक की सजा नही हो सकती है। इन गृहों में भी पुनर्वास कार्यक्रम चलाये जाते है।

   यहाँ यह जानना आवश्यक है कि किसी भी किशोर को (18 वर्ष से कम) उसके द्वारा किये गये अपराध के लिए जेल नही भेजा जाएगा एवं ऐसी कोई सजा नही दी जाऐगी जिसका असर उसके भविष्य पर पड़े।

NOTES

आप यह समझ ही गये होंगे कि बालकों के लिए देश में कौन–कौन सी संस्थागत सेवाऐं उपलब्ध है। आप यह भी समझ गये होंगे कि इन संस्थाओं में रहने वाले बालकों को क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध होती है। आपकी व्यावहारिक जानकारी के लिए अच्छा कि आप अपने समीप स्थित किसी गृह का स्वयं भ्रमण कर वहां की सेवाओं से परिचित हों। सामुदायिक नेता होने के नाते आपसे अपेक्षा है कि आप अपने समीप पाये जाने वाले ऐसे बालकों को उपरवर्णित संस्थाओं में प्रवेश दियाऐं। आप इन बच्चों को चाइल्ड लाईन, विशेष पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण समिति को भी दे सकते है ताकि वह इन्हें गृहों में पहुँच सके।

(2) **गैर–संस्थागत सेवाऐं**:– गैर संस्थागत सेवाओं के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बालकों को दत्तक पर दिया जाता है एवं जरूरतमंद बालकों को फास्टर केयर एवं स्पॉसरशिप योजना के तहत् सुरक्षा प्रदान की जाती है।

दत्तक ग्रहण:– पूर्व में अनाथ एवं बेसहारा बालकों को हिन्दू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम, 1956 के तहत् दत्तक पर दिया जाता था। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में बच्चो को दत्तक ग्रहण पर दिये जाने के अधिकार बाल कल्याण समिति को थे। वर्ष 2006 में अधिनियम में संशोधन कर यह अधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय को दिये गये। वर्तमान में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (CARA) के मार्गदर्शी दिशा–निर्देश (Guide line) के अनुसार न्यायालय के आदेश से बच्चों को दत्तक पर देकर स्थाई परिवार (अजैविक माता–पिता) के पास भेजा जाता है।

दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया :– षिषुगृह अथवा बालगृह में निवासरत अनाथ एवं बेसहारा बच्चो को दत्तक पर दिया जाता है। बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है। बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता–पिता द्वारा किसी भी विषेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (शिशुगृह अथवा बालगृह) में दत्तक ग्रहण हेतु 1000/– शुल्क नगद/डीडी के द्वारा भुगतान कर पंजीकरण करवाया जा सकता है। माता–पिता के पंजीकरण करने के बाद प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। माता–पिता के घर की स्थित की जानकारी ली जाएगी जिसका

शुल्क 5000/– चैक/डीडी के द्वारा भुगतान किया जायेगा। गृह अध्ययन में माता–पिता के उपयुक्त पाये जाने पर बच्चे को माता–पिता को गोद देने के पहले पालन पोषण देखरेख में दिया जायेगा। बच्चे के पूर्ण दत्तक हेतु न्यायालय द्वारा हिन्दू एडोप्सन लॉ के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर गोद देने संबंधी आदेश किये जायेगे। माता–पिता को न्यायालय द्वारा पूर्ण से गोद देने के बाद माता–पिता द्वारा 40,000/–चैक/डीडी के द्वारा बाल देखभाल कार्पस शुल्क के रूप में शिशुगृह/बालगृह को भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार आप बच्चे को गोद ले सकते है या किसी निःसन्तान दंपत्ति का गोद दिलवाने में मदद कर सकते है।

NOTES

पालन पोषण देखभाल (Foster Care):– पालन–पोषण देखरेख योजना के तहत उन बच्चों को लाभांवित किया जाता है जो निराश्रित है, जिनके माता–पिता नही है वह बच्चें या तो बेसहारा होते है या किसी रिश्तेदार के साथ रह रहे होते है या किसी आश्रय गृह में निवासरत होते है। उन बच्चों के पालन–पोषण देखरेख ऐसे परिवार को दिया जाता है जो बच्चो का संरक्षण, शिक्षण, चिकित्सकीय उपचार प्रदान कर सके। सामान्यतः ऐसे बालकों को दादा–दादी, नाना–नानी, मौसा–मौसी या अन्य रिश्तेदारों को दिया जाता है। बच्चे की देखरेख का परिवार पर वित्तीय भार न पड़े इस हेतु प्रत्येक बालक के लिये रूपये 2000 प्रति बच्चा/प्रतिमाह राशि दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि बालक पर ही व्यय की जाती है। राशि बच्चें एवं पोषक के संयुक्त खाते में जमा की जाती है।

अतः यदि हमें कोई ऐसा परिचित परिवार अथवा बच्चा जो ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो एवं आर्थिक सहायता से उसकी मदद की जा सकती है तो सम्बंधित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी/बाल कल्याण समिति से सम्पर्क कर उक्त योजना का लाभ दिलाये।

2. **प्रवर्तकता (Sponsorship)**:–भारत में गरीबी की विकराल समस्या है। ऐसे अनेक परिवार है जिनके पास दो वक्त का भोजन भी उपलब्ध नही है। ये परिवार अपने बच्चों का भरण–पोषण नहीं कर पाते है परिणाम यह होता है कि ये बच्चे गलत कार्यों में लिप्त हो जाते है। कुछ परिवार इन बच्चो को त्याग देते हैं।

NOTES

ऐसे अनेक बच्चे आज देश के अनेक आश्रय गृहों में निवास कर रहे है। इन बच्चों को पुनः परिवार में स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् प्रवर्तकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत आश्रय गृहों में निवास करने वाले ऐसे बालकों के माता–पिता की काउन्सलिंग की जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि बच्चे की परवरिश एक परिवार से बेहतर कहीं नही हो सकती है। सरकार इस कार्यक्रम के तहत बच्चें के लालन पालन हेतु माता–पिता को रू. 2000/– प्रतिमाह उपलब्ध कराती है। इस राशि में खाना, कपड़ा, शिक्षण पर होने वाला व्यय सम्मलित होता है।

अतः इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे लाभांवित होगें जो अपने परिवार के साथ रहकर एक बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकेंगें।

(3) सहायक सेवाऐंः–

1. **चाईल्ड लाईनः**– चाईल्ड लाईन 24 घंटे की आपतकालीन सेवा है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में चाईल्ड लाईन का फोन नम्बर 1098 है, यह नम्बर निःशुल्क है। यह गुमशुदा, अनाथ, बेसहारा, घर से भागे हुए, एचआईवी/एड्स से प्रभावित, कूड़ा बीनने वाले, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, सड़क पर रहने वाले, वेश्याओं के बच्चो को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु है।

   अपने संरक्षण में लेने के बाद चाईल्ड लाईन बच्चो को बाल कल्याण समिति के समक्ष पुर्नवास हेतु प्रस्तुत करती हैं। बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों को किसी शिशुगृह, बालगृह अथवा आवश्यकतानुसार आश्रय गृह में इस निर्देश के साथ भेजती है कि गृह के संरक्षक इन बच्चो के माता–पिता की खोज करे। माता–पिता के मिलने के उपरांत ऐसे बच्चो को उन्हें सौप दिया जाता है अन्यथा कि स्थिति में इन गृहों में तब तक निवास करते है जब तक कि उनका स्थाई पारिवारिक पुर्नवास नही हो जाता है।

अतः स्पष्ट है कियदि हमें कोई जरूरतमंद अथवा कठिन परिस्थितियों में बच्चा देखने को मिलता है तो हमे चाईल्ड लाईन की सेवा 1098 पर तत्काल फोन करना चाहिए। जब तक चाईल्ड लाईन के कर्मचारी को उसको संरक्षण में नही ले लेते तब तक हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा गलत हाथो में न पडे और उसका शोषण न हो।

NOTES

2. **ट्रैक मिसिंग चाईल्ड पोर्टलः**— सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा ट्रैक मिसिंग चाईल्ड पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का तैयार करने का मुख्य उद्देश्य अपने परिवारों से बिछड़े हुये बच्चो की खोज करना है। जैसा कि आप जानते है कि यदि कोई बच्चा गुम होता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में कि जाती है। कई बच्चे चाईल्ड लाईन अथवा अन्य माध्यमों से आश्रय गृहों में पहुच जाते है। देश में ऐसे अनेक आश्रय गृह संचालित है जहां पर ऐसे बच्चे निवास करते है। इस पोर्टल पर ऐसे सभी आश्रय गृहों के वहां निवासरत बच्चों की जानकारी फोटो के साथ अपलोड की जाती है। प्रत्येक थाने में इस पोर्टल पर इन बच्चों को देखा जा सकता है।

   यदि आपके परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस या गांव का कोई बच्चा गुमशुदा है तो आपको समीप के पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करवाये । पुलिस थाने का अधिकारी आपके बच्वें के हुलिये के अनुसार इस पोर्टल में उपलब्ध बच्चों से मिलान करेगा। हो सकता है आपका बच्चा वहां उपलब्ध हो और आप उसे प्राप्त कर सके। एक *सामुदायिक नेता* का यह भी कर्तव्य है कि वह इस सेवा का प्रचार करे ताकि अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके।

3. **निगरानी तंत्र**

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर

NOTES

निगरानी तंत्र गठित है जिसमें राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक समितियां गठित है

1. राज्य बाल संरक्षण समिति (SCLR) –

राज्य स्तर पर अधिनियम एवं योजना का पर्यवेक्षणऔर अनुश्रवण ।

जिला एवं ग्राम स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉन्टिरिंग।

विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करती है जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग आदि।

दत्तक ग्रहण योजना का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन।

स्वदेशी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना।

राज्य में दत्तक ग्रहण एजेंसियों से समन्वय।

दत्तक ग्रहण को बढावा देने हेतु सत्त प्रयास करना।

विभिन्न शासकीय एवं समुदाय कल्याण पर आधारित अभिकरणों के माध्यम से किशोरों/बालकों हेतु संचालित सेवाओं का विकास।

विभिन्न गृहों में निवासरत बच्चों के विकास एवं पुर्नवास के कार्यक्रम बनाना।

संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाओं में प्रभावी सुधार एवं आवश्यक सुझाव प्रस्तावित करना।

योजना का प्रचार–प्रसार करना।

जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति–

जिला स्तर पर अधिनियम एवं योजना का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन ।

जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

जिला स्तर पर संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवा का बच्चों को लाभ दिलवाना।

जिले में बच्चो के घर वापसी के कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन।

विभिन्न विभागों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों आदि के बीच सम्पूर्ण क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना।

विभिन्न गृह में निवासरत बच्चो के सम्पूर्ण विकास एवं पुर्नवास हेतु आर्थिक सहायता एवं सहयोग करना।

अधिनियम के अधीन संस्थाओं एवं योजना में सुनिश्चत न्यूनतम मानकों की समीक्षा करना।

योजना का प्रचार–प्रसार करना।

2. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति–

ब्लॉक स्तर पर अधिनियम एवं योजना का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

ब्लॉक स्तर पर योजना का क्रियान्वयन ।

ब्लॉक स्तर पर योजना का लाभ दिलवाये जाने हेतु जिला स्तर के विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

ब्लॉक स्तर पर संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवा का बच्चो को लाभ दिलवाना।

ब्लॉक में परिवीक्षा कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन।

सर्वेक्षण के माध्यम से योजना का लाभ बच्चों को दिलवाना।

योजना का प्रचार–प्रसार करना।

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति–

ग्राम स्तर पर योजना का क्रियान्वयन ।

अधिनियम एवं योजना का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

योजना का लाभ दिलवाये जाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर के विभिन्न शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवा का बच्चो को लाभ दिलवाना।

NOTES

बच्चो के घर वापसी के कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन।

सर्वेक्षण करना एवं उन्हें योजना का लाभ दिलवाना।

सुभेद बच्चों की पहचान करना।

NOTES

योजना का प्रचार–प्रसार करना।

बाल विवाह

बाल विवाह निषेध कानून (2006) जैसा कि आप सभी जानते है कि कच्ची उम्र में विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास में बाधक है। कच्ची उम्र में बच्चे इतने सक्षम नही होते है कि वे परिवारिक जीवन का भार उठा सके। कम उम्र में विवाह होने से उनकी शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति अत्यधिक प्रभावित होती है। लड़कियो पर तो इसका अत्यधिक बुरा असर पड़ता है वे कच्ची उम्र में माँ बन जाती है जबकि वह शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होती है। जिससे माँ बच्चे की मृत्यु का खतरा बना रहता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के द्वारा विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया है। अधिनियम में 21 वर्ष की आयु का पुरूष एवं 18 वर्ष की आयु की महिला को वयस्क माना गया है। यदि कोई माता–पिता अभिभावक अथवा संस्था अवयस्क पुरूष अथवा महिला का विवाह सम्पन्न कराती है तो उसे कानून के तहत् कारावास की सजा दी जा सकती है। यदि कोई वयस्क महिला अथवा पुरूष अवयस्क महिला अथवा पुरूष से विवाह सम्पन्न करता है तो उसे कारावास एवं जुर्माना की सजा हो सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध कानून में विवाह कराने वाले पंडित, मौलवी आदि को भी सजा का प्रावधान है। प्रत्येक जिले के कलेक्टर को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्योषित किया गया है। यदि कोई बाल विवाह होने की सम्भावना हो तो कलेक्टर अथवा पुलिस को सूचित करना चाहिए।

यदि आप अपने ग्राम या आस–पास बाल विवाह होता देखते है या होने की सम्भावना है तो किसे सूचित करेंगे, आप विवाह को कैसे रूकवाएेंगे। निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा कि पहले हम उस परिवार को

समझाऐंगे कि बाल विवाह के क्या नुकसान है, ऐसा करने से आपको सजा भी हो सकती है। यदि वह समझाने से नही मानेंगे तो इसकी सूचना पुलिस थाने अथवा जिला कलेक्टर को देंगे। हम बाल विवाह किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। हम बाल विवाह में सम्मल्लित होने वाले एवं विवाह सम्पन्न कराने वाले व्यक्तियों को भी बाल विवाह कानून की जानकारी देकर समझाऐंगे।

NOTES

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

आजकल छोटे बच्चो विशेषकर छोटी बच्चियों से दुराचार की घटनाओं के संबंध में आप लोगो ने विभिन्न समाचार माध्यम, टीवी, समाचार पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से देखा, सुना एवं पढ़ा होगा। आये दिन विभिन्न समाचार माध्यम में आने वाली इस प्रकार की दिल दहला देने वाली घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढोत्तरी ने हम सब को सोचने पर मजबूर कर दिया है। छोटे बच्चो विशेषकर छोटी बच्चियों के प्रति होने वाले अत्याचार एवं दुराचार को कड़ाई से रोकने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 प्रावधानित किया गया है। इस अधिनियम के तहत् बच्चो के प्रति अप्राकृतिक कृत्य ,दुराचार, शारीरिक शोषण करने वाले व्यक्ति को कठ़िन से कठ़िन सजा दिये जाने के विशेष प्रावधान किये गये है। ऐसे मामलो के लिए अधिनियम में विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। न्यायालय में ऐसे मामले तत्काल निपटाने हेतु प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम के तहत् यह विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बालक का लैगिंक शोषण होता है और वह किसी व्यक्ति को बताता है। तो व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह पुलिस को ऐसे शोषण की सूचना दे। ऐसा न करने पर उस व्यक्ति को 03 वर्ष तक का कारावास बालक के बयान पर हो सकता है।

इस के अतिरिक्त यदि किसी जिम्मेदार पद पर कार्यरत लोग अथवा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का अपराध करते है तो अपराध की सजा दोनों अधिक होगी।

NOTES

बच्चे राष्ट्र की धरोहर होते हैं स्वस्थ सुन्दर व खुशहाल बच्चे, सुचारू रूप से विकसित होने की क्षमता रखते हैं तथा देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे देश की धरोहर की रक्षा करने में अपना सहयोग प्रदान करे। ऐसा तभी सम्भव है जबकि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा एक सुरक्षित तथा बाल सुलभ वातावरण में बड़ा हो सकेगा। इस खण्ड के माध्यम से कोशिश की गयी है कि आप सभी उन अधिकारों, कानूनों तथा परियोजना व कार्यक्रमों को जाने, जो बच्चों के लिए सुरक्षा व कल्याणकारी वातावरण को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं। आशा है आपकी भागीदारी बच्चों की इस नैतिक जिम्मेदारी को समझेगी।

6.4.5 बच्चों की देखभाल शिक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाएँ तथा कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान –देश में प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सन् 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बालको की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। शैक्षिणक आवश्यकताओं में विद्यालय, विद्यालय भवन, अध्यापक, पुस्तके एवं अन्य अध्ययन अध्ययापन सामग्री सम्मलित है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् प्रत्येक 1 कि.मी की बसाहट पर प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 कि.मी की बसाहट पर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। अभियान के तहत प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क गणवेष तथा पुस्तके प्रदान की जाती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010:– इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की गारण्टी दी गई है। इस अधिनियम के तहत् निजी क्षेत्र के विद्यालयो की 25 प्रतिशत स्थान गरीब बच्चों के लिये आरक्षित किये गये है। यह अधिनियम किसी भी तरह के दान अथवा चंदे की माँग को रोकता है। अधिनियम में प्रावधान है कि

विद्यालय में प्रवेश के लिये छात्र एवं उसके माता–पिता तथा अभिभावक का साक्षात्कार नही लिया जायेगा। कक्षा में अनुर्त्तीण होने वाले विधार्थियो को भी विद्यालय से बाहर नही किया जायेगा।

NOTES

आपने अपने आस–पास विद्यालय की अनुपलब्धता, विद्यालय में प्रवेश की जटिलता, विद्यालयो में शिक्षको की कमी, विद्यालयो में गणवेश, पुस्तक एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताओ की कमी को देखा होगा। आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि इन समस्याओ का निराकरण किया जाये। परंतु कैसे ? इस समस्या का सीधा समाधान है आपको आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर को सम्पर्क करना है एवं नियमो का उदाहरण देते हुये अपनी बात रखनी है। एक अच्छे सामुदायिक नेता का यही गुण है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा का अधिकारी अधिनियम प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का समान अवसर प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में सभी भेदभाव समाप्त हो जाते है एक गरीब माता–पिता का बालक भी एक अच्छे निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है।

मिड–डे मील स्कीम– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम वर्ष 1980 में सर्वप्रथम गुजरात, केरल, तमिलनाडू तथा केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डीचेरी में प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढाने हेतु प्रारंम्भ किया गया था।यह योजना 1993 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा चलाये गये प्राथमिक विद्यालयो के बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

15 अगस्त 1995 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को पोषण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme of Nutrition) से जोड़कर देश के 2408 विकास खण्ड में लागू किया गया। 1997–98 से यह देश के प्रत्येक विकास खण्ड में लागू हुआ। वर्तमान में मध्यान भोजन कार्यक्रम प्राथमिक स्कूल के अलावा सभी माध्यमिक स्कूलो में भी संचालित है।

NOTES

मध्यान भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिक शाला में बच्चों को 450 कैलोरी उर्जा व 12 ग्राम प्रोटिन तथा माध्यमिक शाला में 700 कैलोरी उर्जा व 20 ग्राम प्रोटिन देने का प्रावधान है।

मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु संख्या के मान से रसोईया नियुक्त किये जाते हैं। जिसमें 25 बच्चो तक एक रसोईया, 26–100 बच्चो तक दो रसोईयें एवं इसके उपरांत प्रत्येक 100 बच्चो पर एक रसोईया रखा जाता है। प्रत्येक रसोईयों को प्रतिमाह रू. 1000/– पारिश्रामिक दिया जाता है। योजना के संचालन में 75% केन्द्र शासन का एवं 25% राज्य शासन का भागीदारी होती है।

हमे यह देखना चाहिए की हमारे ग्राम/ नगर में यह योजना नियमो के अनुरूप संचालित है अथवा नहीं । नियमो के अनुरूप संचालित न होने की स्थिति में स्थानीय सरपंच, विद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क करना चाहिए ताकि सभी बच्चो को पोष्टिक आहार प्राप्त हो सके।

अभ्यास के प्रश्न

रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए :–

1. ब्रिटिश दार्शनिक .... ने............................ की अवधारणा दी, जिसका अर्थ ....होता है।
2. फ्रेंच दाशर्निक .... ने बच्चों को ''..'' बताया।
3. बच्चों के अधिकारों पर कार्य करने वाला पहला अंर्तराष्ट्रीय संगठन .... है।
4. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा सन .... में हुई।

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में .... के बारे में बताया गया है।

6. भारतीय संविधन के अनुच्छेद .... में बच्चों के हितों की रक्षा का विवरण दिया है।

7. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सन् .... में पारित हुआ।

8. चाइल्ड लाइन सेवा मुम्बई में सन् .... मे प्रारम्भ हुई।

9. चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नम्बर .... है। इस नम्बर पर कॉल करके संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चे की मदद की जा सकती है।

10. सर्वशिक्षा अभियान .... में प्रारम्भ हुआ।

11. भारत सरकार ने सन् 2009 में .... कार्यक्रम का प्रमोचन किया।

12. समेकित बाल विकास सेवा का उद्घाटन सन् .... में किया गया।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को .... के द्वारा संचालित किया जाता है।

14. .... योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

15. सन् 2006 में काम–काजी महिलाओं के लिए .... योजना प्रारम्भ हुई।

NOTES

NOTES

खण्ड अ में भारतीय संविधान में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कुछ कानून व अधिनियम दिये है तथा खण्ड ब में उनके पारित होने का सन् दिया गया है। खण्ड अ के कानूनों के सामने दिये रिक्त स्थान में खण्ड ब से चुनकर सही सन् लिखे।

खण्ड अ	खण्ड ब
1. जन्म पूर्व जाँच तकनीक विनियमन एवं दुरूपयोग निरोध कानून (.........................)	1. 1976
2. बाल विवाह निषेध कानून (.........................)	2. 2000
3. बंधुआ मजदूरी (समाप्ति) अधिनियम (.........................)	3. 1966
4. बाल श्रम (निरोध विनियमन) अधिनियम (.........................)	4. 1994
5. किशोर न्याय (बालकों की सुरक्षा व संरक्षण) अधिनियम (........................)	5. 1929
6. कारखाना अधिनियम	6. 2006
7. बीड़ी व सिगरेट कामगार (शर्तें व रोजगार) अधिनियम	7. 1986
8. सूचना एवं प्रोद्योगिकी संशोधन अधिनियम (.........................)	8. 1988
9. किशोर न्याय (देखभाल एवं सुरक्षा) संशोधन अधिनियम (........................)	9. 1948
10. मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (.......................)	10. 2008

ISBN: 978-81-966567-2-0

अभ्यास के प्रश्न

NOTES

(अ) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ बताइये।

(ब) तत्काल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सूची बनाइये।

(स) किसी बच्चे को गोद लेते समय किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है ?

(द) फॉस्टर केयर किसे कहते हैं?

(ई) यदि आप बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं तो किन व्यक्तियों से सम्पर्क करेंगें ?

अभ्यास के प्रश्न

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए –

(अ) किशोर न्याय (बालकों की सुरक्षा व संरक्षण अधिनियम) संशोधन अधिनियम 2006

(ब) बालश्रम (निरोध विनियम) अधिनियम 1986

(स) निगरानी गृह

(द) बाल सुधार गृह

अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास 1

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. जॉन लॉक, दैब्यूला रासा, खाली स्लेट
2. रूसों, सभ्यता से अप्रभावित जन्मजात प्राकृतिक सादगी वाला व्यक्ति

3. लीग ऑफ नेशन्स 1924
4. 1948
5. समानता का अधिकार
6. अनुच्छेद 29
7. सन् 1989
8. सन् 1996
9. 1098
10. 2001
11. समेकित बाल संरक्षण सेवा
12. 1975
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14. मिड–डे–मील
15. राजीव गाँधी राष्ट्रीय क्रेच योजना

NOTES

अभ्यास – 2

1. 1994
2. 1929
3. 1976
4. 1986
5. 2000
6. 1948

ISBN: 978-81-966567-2-0

7. 1966

8. 2008

9. 2006

10. 1988

NOTES

बाल सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ मिथक एवं सच्चाई

1. **मिथक**– बच्चों का कभी भी अपमान या शोषण नहीं किया जाता। समाज अपने बच्चों से प्यार करता है

   सच्चाई– हम बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन आज भी बच्चों का एक बड़ा वर्ग हमारे प्यार से वंचित, बाल मजदूरी तथा अनेकों प्रकार के शोषण का शिकार होता है।

2. **मिथक**– घर सबसे सुरक्षित स्थान है।

   सच्चाई – आधुनिक परिवेश को देखते हुए घर को भी सुरक्षित स्थान नहीं माना जा सकता। आए दिन अखबारों, पत्रिकाओं तथा टी.वी. पर घरों में हुए बच्चों पर हुए अत्याचार तथा शोषण का उल्लेख होता है। पिता द्वारा पुत्री का बलात्कार, पैसों की खातिर बच्चों को बेंचना, अंधविश्वास के कारण बच्चों की बलि, बाल विवाह आदि बाल शोषण सम्बन्धित घटनाएं आम होती जा रही हैं।

3. **मिथक**– लड़कों के बारे में चिंता की कोई जरूरत नहीं, न ही लड़कों को सुरक्षा की आवश्यकता है।

   सच्चाई –लड़कियों के समान लड़कों का भी शारीरिक व मानसिक शोषण होता है। लड़के स्कूल व घर दोनेां में शारीरिक दण्ड का शिकार होते हैं। कई लड़कों को बाल श्रम के लिए बेच दिया जाता है या फिर उनका यौन शोषण होता है।

ISBN: 978-81-966567-2-0

NOTES

4. **मिथक**– ऐसा हमारे स्कूलों या गांवों में नहीं होता।

सच्चाई – बच्चों का शोषण कहीं भी, कभी भी तथा किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। आपका स्कूल गॉव या घर कोई अपवाद नहीं है।

5. **मिथक**– शोषणकर्ता मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं।

सच्चाई– शोषणकर्ता मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं बल्कि सामान्य तथा विविध चरित्रों वाले व्यक्ति होते है। शोषणकर्ता आपका मित्र, रिश्तेदार तथा परिवार का सदस्य भी हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) बाल विकास के मनोवैज्ञानिक आधार– राजेन्द्र सिंह चौहान, पी.सी. बाग्ला

(2) मातृ कला एवं बाल विकास– अनुपम रानी